खण्ड-195, अंक-3
बुधवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1880
(23 जुलाई, 1958 ई0)

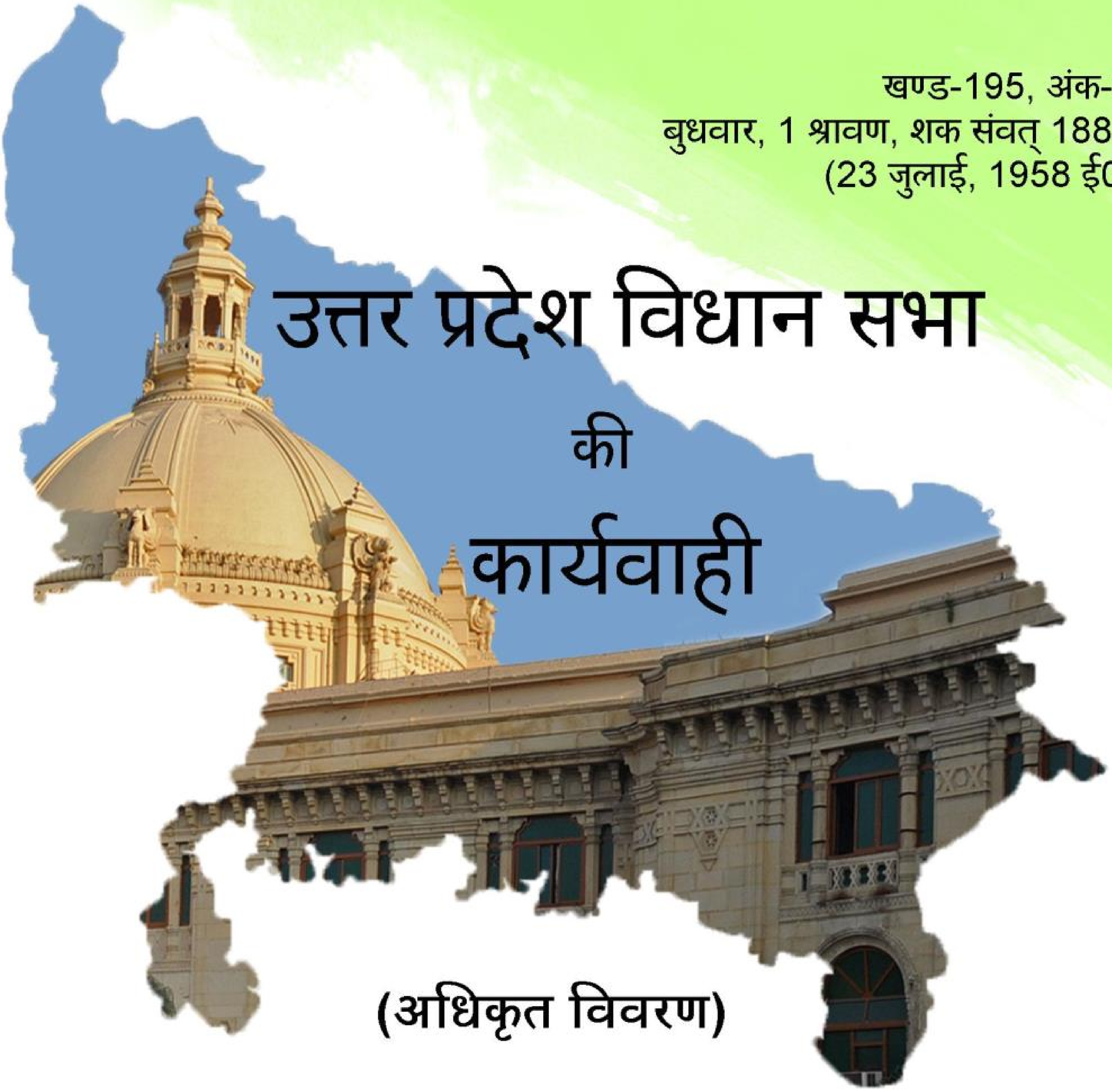

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बुधवार, २३ जुलाई, १९५८ ई०

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

### उपस्थित सदस्य (३८२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अवधशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद, 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनमिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लागकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर ,श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी

श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

---

## प्रश्नोत्तर

### बुधवार, २३ जुलाई, १९५८ ई०

## तारांकित प्रश्न

### गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में लेखपालों की नियुक्ति

*१—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माल विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश दिनांक ७ मार्च, १९५३ के अनुसार गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में कुल कितने लेखपाल स्थायी एवं अस्थायी तौर पर नियुक्त किये गये थे? क्या सरकार इन लेखपालों की अलग-अलग एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

*२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दिसम्बर, १९५६ मास में हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सैदपुर तहसील में उपरोक्त स्थायी लेखपालों में से कोई लेखपाल स्थायी रूप से नहीं रक्खा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री यमुनासिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी और एकत्रित होने पर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे या लिखित भेजेंगे?

श्री चरणसिंह—सूचना तो जिलाधीश ने कुछ भेजी थी, फिर हमने यहां पर कुछ और तहकीकात की तो पहले जो सूचना भेजी था, तहकीकात के बाद दोनों में हमको

कुछ कंट्राडिक्शन दिखायी दिया। फिर वह सफाई करने के लिये भेजी गई। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द आ जायगी।

श्री अध्यक्ष---जब आ जायगी तो आप पेश करेंगे ही।

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी दिसम्बर, १९५६ के हाई कोर्ट के उस फैसले की नकल सदन की मेज पर प्रस्तुत करेंगे ?

श्री चरणसिंह---मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

## जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में चकबन्दी के कर्मचारियों में हरिजनों की कमी

*३---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के चकबन्दी विभाग में कितने कंसालीडेटर, अमीन, पेशकार, क्लर्क और चपरासी कार्य कर रहे हैं और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह---इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२५ पर)

श्री माताप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३४८ चकबन्दी कर्त्ताओं में एक भी हरिजन नहीं, २३० अमीन लेखपालों में केवल २ और ४७ पेशकार तथा क्लर्कों में केवल १ ही हरिजन क्लर्क क्यों रखे गये हैं ?

श्री चरणसिंह---मैं समझता हूं कि इसका बड़ा कारण यह है कि दरख्वास्तें कम आती हैं, और आती भी हैं तो उनमें से योग्य लड़के बहुत कम होते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों में शिक्षा का अभाव होने के कारण, उनकी योग्यता पूर्ण न होने के कारण क्या ऐसा वह विचार नहीं करेंगे कि उनके एप्वाइंटमेंट्स की दृष्टि से योग्यता में कुछ कमी की जाय ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, चकबन्दी में ऐसा करना मुश्किल होगा।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दरख्वास्तें कम आने के क्या कारण हैं, इस बात की सरकार ने जांच की है ?

श्री चरणसिंह---इतनी बात तो मैं अर्ज करता हूं कि पिछली बार जो ए० सी० ओज० का सिलेक्शन हुआ था तो ऐडवर्टिजमेंट्स अखबारात में दिये गये, लेकिन शायद एक या दो दरख्वास्त उनकी आयीं। इसके बाद यह हुक्म हुआ कि एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से कहो, तब ६ दरख्वास्तें आयीं। क्या कारण हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वाकयात यह हैं।

## गांव समाज की सम्पत्ति पर अनधिकृत अधिकार के सम्बन्ध में मैनपुरी जिले से शिकायतें

*४---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की हर तहसील में ऐसे प्रार्थना-पत्र कितने-कितने १९५५ से अगस्त, १९५७ तक आये जिनमें यह शिकायत की गई है कि प्रधानों ने गांव समाज की सम्पत्ति पर अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा करा दिया है ?

श्री चरणसिंह—ऐसे प्रार्थना-पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :

| तहसील | संख्या |
|---|---|
| मैनपुरी .. .. .. .. .. | २ |
| भौगांव .. .. .. .. .. | ९ |
| शिकोहाबाद .. .. .. .. .. | ९ |
| करहल .. .. .. .. .. | ६ |
| जसराना .. .. .. .. .. | शून्य |

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो प्रार्थना-पत्र आये उनमें कितने सही साबित हुये और कितने गलत साबित हुए ?

श्री चरणसिंह—९ तो गलत साबित हुए, ४ में जो प्रार्थना-पत्र देने वाले थे उन्होंने पैरवी नहीं की। १२ सही साबित हुए, १ जेर बहस है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो १२ सही साबित हुए, उन प्रधानों के खिलाफ जिन्होंने गलत काम किया, कोई कार्रवाई की गयी ?

श्री चरणसिंह—जो उन्होंने गलत पट्टे किये थे वह कैंसिल कर दिये गये और नियमानुसार पट्टे देने की हिदायत उनको दे दी गयी। जहां तक प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, उन्होंने कोई बदनियती से कोई गलती नहीं की थी, बल्कि जानकारी न होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण, योग्य न होने के कारण यह किया। इसलिये उन को तम्बीह दी जा रही है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जमीनों के अनधिकृत पट्टे किये गये वे जमीनें फिर गांव सभाज के कब्जे में आ गयीं ?

श्री चरणसिंह—मैं तो जवाब दे चुका हूं।

## हरदोई जिले में बाढ़ से क्षति

*५—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में १९५७ में सैलाब आने से कितने गांवों में फसल नष्ट हो गई और कितने गांवों में लगान माफ किया गया तथा उन्हें तकावी दी गई ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

## बस्ती जिले की कृषि भूमि

*६—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला बस्ती में कितनी भूमि पर खेती होती है ?

श्री चरणसिंह—बस्ती जिले में लगभग १४·२५ लाख एकड़ भूमि पर खेती होती है।

*७—श्री रणबहादुरसिंह (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में प्रत्येक व्यक्ति पर कितनी भूमि का हिसाब पड़ता है ? प्रत्येक बीघे की कितनी औसत पैदावार है ?

श्री चरणसिंह—बस्ती जिले में प्रत्येक व्यक्ति पर ·६१ एकड़ भूमि का हिसाब पड़ता है। पैदावार का हिसाब उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि यह न मालूम हो कि किस जिन्स की औसत पैदावार चाही जाती है।

## पूर्वी जिलों में खरीफ की फसल को क्षति

*८—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष बरसात कम होने के कारण राज्य के पूर्वी जिलों में (गोरखपुर, बनारस और फैजाबाद डिवीजनों में) सूखे की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उससे फसलों को कितनी क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह—गत वर्ष खरीफ की फसल की क्षति का विवरण संलग्न तालिका में दिखा दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२६ पर)

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में ८ आने या उससे अधिक क्षति हुई है उनमें सरकार की ओर से क्या छूट दी गयी है ?

श्री चरणसिंह—इस वक्त यह बताना नामुमकिन है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस तालिका से यह प्रकट होता है कि ८ आने से लेकर १६ आने तक क्षति हुई है । इसको देखते हुये सरकार इन क्षेत्रों को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र क्यों नहीं घोषित करती ?

श्री चरणसिंह—यह कोई नियम नहीं है कि अगर किसी साल किसी गांव या जिले की फसल में ८ आने या ८ आने से ज्यादा क्षति हो जाय तो उसे अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यह देखते हुये कि इन क्षेत्रों में ८ आने से लेकर १६ आने तक फसल नष्ट हुई, वहां की वसूली लगान तथा अन्यान्य सरकारी देय की वसूली रोकी गयी या नहीं ?

श्री चरणसिंह—जरूर वहां माफी हुई होगी और जरूर वहां मालगुजारी की वसूली नहीं हुई होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, बनारस और फैजाबाद डिवीजनों के किन हिस्सों में ८ आने से ज्यादा हानि हुई है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो फेहरिस्त देख कर आप जान सकते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जितनी मालगुजारी छूट के लिये प्रस्तावित हुई थी १३६५ फसली की रबी के लिये उसकी भी वसूली हो रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मुझको ऐसी गलत बात मालूम नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या मंत्री महोदय के पास इस प्रकार की शिकायतें लिखित तथा इस सदन में नहीं आयी हैं कि बावजूद उनके यह कहने के कि छूट हुई होगी, तकावी की या अन्यान्य सरकारी देयों और लगान की वसूली सख्ती के साथ हो रही है ?

श्री चरणसिंह—मैंने बहुत से बयान पढ़े हैं अखबारों में, लेकिन मालगुजारी अगर वह कायदे के मुताबिक वसूल की जाती है और कोई नहीं देता है तो कोर्ट से प्रोसेस जारी होता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री तालिका में से उन जिलों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां पर ८ आने से ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है ?

**श्री अध्यक्ष**---यह तो फेहरिस्त में दिया है ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---लेकिन हमको क्या पता है ?

**श्री अध्यक्ष**---वह ठीक है, लेकिन यह कोई महत्व की बात नहीं मालूम होती है । ८ आने से लेकर १६ आने तक नुकसान हुआ यह तो उन्होंने बता ही दिया ।

**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या मंत्री महोदय इस बात को सूचना मान कर यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में बावजूद सरकारी आदेश के सख्ती के साथ वसूली हुई है, वहां इसकी जांच करा के वसूल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

## आजमगढ़ जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में लिपिकों की नियुक्ति

*९---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ फरवरी, सन् १९५५ के एल० आर० सी० आदेश नं० ५१---५/४---१४८ (१९५४) के पैरा ४ के अनुसार मुहम्मदाबाद तहसील (आजमगढ़) में लिपिक नहीं रखे गये हैं ?

**श्री चरणसिंह**---जी नहीं, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ में लिपिक, लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के आदेश, दिनांक २६ फरवरी, सन् १९५५ के अनुसार ही रक्खे गये ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कौन-कौन लिपिक हैं ?

**श्री चरणसिंह**---नाम तो मैंने नहीं मंगाये ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार के पास ऐसे लिपिकों के प्रार्थना-पत्र आये हैं जो काम करते थे और कायदे के मुताबिक उनको नहीं रखा गया है ?

**श्री चरण सिंह**---लिपिकों और मुहर्रिरों के रखने का अधिकार कलेक्टर को है । वहां दरख्वास्तें आई होंगी । यहां गवर्नमेंट के पास जहां तक मुझे इल्म है, कोई नहीं आई ।

## गोरखपुर जिले में नारायणी नहर के टूटने से कथित हानि

*१०---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में नारायणी नहर के टूटने से परतावल, बंसवार, सेमरा, चन्दौली, छातीराम, पिपराजट्टू, बेलवा बुजुर्ग, बरगदही, कम्हरिया खुर्द, भरगांवा उर्फ लक्ष्मीपुर आदि गांवों के फसलों की बरबादी हुई है ?

**श्री चरणसिंह**---कथित ग्रामों में नारायणी नहर के टूटने से कोई उपागभ्य हानि नहीं हुई ।

*११---**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त क्षति के उपलक्ष्य में गोरखपुर जिले के किन-किन गांवों में ग्रेचुअस रिलीफ बांटी गई ?

**श्री चरणसिंह**---उपर्युक्त ग्रामों में ग्रेचुअस रिलीफ (Gratuitous Relief) बांटने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । निर्धन, निःसहाय, अपाहिज व वृद्ध व्यक्तियों को निशुल्क राशन वितरण करने की योजना इन ग्रामों में लागू की गई थी ।

## झांसी जिले में तालबेहट ग्राम समाज की बंजर भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*१२---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट गांव समाज (जिला झांसी) में कितनी भूमि बंजर पड़ी है ?

श्री चरणसिंह---ताल बेहट गांव समाज जिला झांसी में कुल १,३४० एकड़ भूमि बंजर पड़ी है ।

*१३---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---[हटा दिया गया ।]

*१४---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ताल बेहट गांव समाज (झांसी) की भूमि पर कुछ लोग अनधिकृत कब्जा किये हैं ? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह---२६ व्यक्तियों ने ताल बेहट ग्राम समाज की १२७·७४ एकड़ भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा अवश्य कर लिया है और उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अनधिकृत कब्जा कितने दिनों से कर लिया है और बेदखली की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री चरणसिंह---कब कब्जा कर लिया है, सब ने एक साथ किया है या अलग-अलग किया है, ऐसी कोई तफसील नहीं मंगाई है और यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायगी । बेदखली की कार्यवाही चल रही है, हो जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी इसको देखते हुए कि भूमि पर अनधिकृत कब्जा बढ़ता चला जा रहा है, आने वाले भूमि प्रबंधक नियमों में कोई संशोधन ला रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---गवर्नमेंट की तरफ से जो संशोधन आ रहे हैं उनमें इस तरह का कोई संशोधन नहीं है । लेकिन यदि माननीय मित्र कोई सुझाव दे सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी ।

## जौनपुर जिले में शिकमी व सीरदारी के अधिकार वाले काश्तकार

*१५---श्री माताप्रसाद---क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में फसली सन् १३५६ और १३५९ में कितने शिकमी काश्तकार थे ? उनमें से फसली सन् १३६३ में कितने काश्तकारों को सीरदारी के अधिकार मिले ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री माताप्रसाद---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वांछित सूचना की कब तक एकत्रित हो जाने की आशा है ?

श्री चरणसिंह---बहुत जल्दी उम्मीद है । जो आंकड़े भेजे हैं वे तहसीलवार भेजे हैं । एक तहसील के आंकड़ों में ९०० का फर्क है । इसलिये इसको दुबारा साफ करने के लिये भेजा गया है कि यह फर्क क्यों है ।

## मैनपुरी जिले में वर्षा व बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*१६---श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में इस वर्ष अधिक वर्षा से एवं नदियों की बाढ़ से तहसीलवार खरीफ की फसल में कितना नुकसान हुआ ?

श्री चरणसिंह--अधिक वर्षा एवं नदियों में बाढ़ के कारण मैनपुरी जिले में १३६५ फसली की खरीफ की फसल में जो नुकसान हुआ है उसका तहसीलवार ब्यौरा निम्नांकित है--

| | तहसील का नाम | ग्रामों की संख्या जिसमें क्षति रुपये में ८ आने या उससे अधिक रही |
|---|---|---|
| १ | मैनपुरी .. .. .. .. | ११५ |
| २ | भौगांव .. .. .. .. | १०९ |
| ३ | शिकोहाबाद .. .. .. .. | ५६ |
| ४ | जसराना .. .. .. .. | १८२ |
| ५ | करहल .. .. .. .. | १९ |
| | योग .. | ४८१ |

*१७--श्री नत्थूसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष अधिक वर्षा से और नदियों की बाढ़ से मैनपुरी जिले में तहसीलवार कितने मकान गिरे और उन गिरे हुए मकान मालिकों की क्या मदद की गई ?

श्री चरणसिंह--पिछले वर्ष अधिक वर्षा एवं नदियों की बाढ़ से मैनपुरी जिले में ३,३६६ मकानों को क्षति पहुंची जिनमें से जसराना तहसील में ९२५ मकान बिलकुल बरबाद हुए और गिर गये। क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या तहसीलवार इस प्रकार है :

| | तहसील का नाम | क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या |
|---|---|---|
| १ | मैनपुरी .. .. .. .. | २८ |
| २ | शिकोहाबाद .. .. .. .. | ३ |
| ३ | भौगांव .. .. .. .. | १३२ |
| ४ | जसराना .. .. .. .. | ३,१४० |
| ५ | करहल .. .. .. .. | ६३ |
| | कुल योग .. | ३,३६६ |

क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों के सहायतार्थ शासन ने २,००० रुपये मंजूर किये, जिसमें से १,००० रुपया तहसील जसराना में, ७५० रुपया तहसील शिकोहाबाद में, और २५० रुपये तहसील करहल में वितरण के लिये दिया गया। इसके अतिरिक्त ४,९५० रु० की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में बांटी गई और डिस्ट्रेस तकावी भी दी गई।

श्री नत्थूसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ की फसल के नुकसान में किसानों को लगान में तथा आबपाशी में छूट दी गई या नहीं ?

श्री चरणसिंह--जहां नुकसान ८ आने से ज्यादा हुआ है वहां जरूर छूट दी गई होगी।

श्री उग्रसेन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितनी लागत के मकान गिरे ?

श्री चरणसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों में से हर एक गांव को क्या तकावी की सहायता नहीं दी गई ?

श्री चरणसिंह---जहां-जहां ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों ने चाहा और गवर्नमेंट के पास रुपया हुआ, वहां दिया ।

## फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के कुछ गांवों को लगान में छूट देने की प्रार्थना

*१८---श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १३६४ फसली में गांव जगदीशपुर कपिलेश्वर मरहरा, टंडवा मौलाई, बरौना, परगना सुरहुरपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में टोड़ी नदी की बाढ़ के कारण जो छूट मिली थी, लेकिन बेबाकी लगान की वजह से उस साल किसानों को नहीं दी जा सकी तो क्या उसको सन् १३६५ फसली के लगान में मुजरा कर दिया जायगा ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में से किसी भी ग्राम को खरीफ व रबी १३६४ फसली में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई । अतः उन ग्रामों में १३६४ फसली की छूट की धनराशि को १३६५ फसली के लगान में मुजरा करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों का उल्लेख हुआ है, उन गावों में बाढ़ के कारण कुछ नुकसान होने का अन्दाजा सरकार को है ?

श्री चरणसिंह---मैंने कहा कि छूट नहीं दी गई । बावजूद छूट के रकम को वसूल किया गया, इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता ।

## उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में मुकदमे

*१९---श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के मुकदमे जनवरी, सन् १९५६ से नवम्बर, १९५७ तक कितने चले ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री उग्रसेन---कब तक यह सूचना एकत्रित की जा सकेगी ?

श्री चरणसिंह---हमारे यहां से तो जल्दी ही हो रही है ।

## जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में हरिजन बस्तियों की भूमि को काश्त में लेने की शिकायत

*२०---श्री माताप्रसाद---क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में जहां चकबन्दी हो रही है, वहां पर बहुत सी हरिजन बस्तियों की आबादी की भूमि को 'काश्त' लिखकर दूसरों के चक में मिला दिया गया है ?

---

नोट---तारांकित प्रश्न १८ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछा ।

नोट---तारांकित प्रश्न १९ श्री उग्रसेन ने पूछा ।

**श्री चरणसिंह**--सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी हरिजन बस्ती की भूमि काश्त की भूमि लिखकर दूसरों के चक में नहीं मिलाई गई ।

**श्री माताप्रसाद**--क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि शाहगंज तहसील की बदल पट्टी कुहीकलां में बने हुए मकान दूसरे लोगों के चक में मिला दिये गये हैं ?

**श्री चरणसिंह**--मेरे पास जो खबर है वह चेगहां गांव की है, लेकिन जिसका माननीय मित्र ने जिक्र किया है उसकी इत्तला मेरे पास नहीं है ।

**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन खेतों में हरिजन बसे हुये हैं उनमें चक बनने वाले हैं या नहीं ?

**श्री चरणसिंह**--खेत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो कानून में लिखा हुआ है कि हत्तुलइमकान कोशिश की जाय कि अगर किसी के खेत में मकान या कुआं बना हुआ है, तो इस प्रकार चक बनाया जाय कि वह खेत उसके चक में शामिल कर दिया जाय । अगर कहीं ऐसा नहीं है या गलती हुई है तो उज्रदारी हो, अपील हो ।

**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी इसे सूचना मान कर यह जांच कराने की कोशिश करेंगे कि वहां हरिजनों के मकान दूसरों के चक में दे दिये गये हैं ?

**श्री चरणसिंह**--यह सूचना चूंकि नाकाफी है इसलिये मैं सूचना नहीं मांगूंगा जब तक दोनों मित्र मुझसे आ कर मिल न लेंगे ।

## बलिया जिले में कुछ ग्राम सभाओं को मालगुजारी वसूली के अधिकार देना

*२१--**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों के अन्दर जिला बलिया में कुछ ग्राम सभाओं को सरकार द्वारा मालगुजारी की वसूली का कार्य सौंपा गया था ? यदि हां, तो किन-किन ग्राम सभाओं को ?

**श्री चरणसिंह**--जी हां । १३६० फसली में जिन ग्राम सभाओं को मालगुजारी वसूली का कार्य सौंपा गया था उनके नाम संलग्न तालिका में दिये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२७ पर)

*२२--**श्री गंगाप्रसादसिंह**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बलिया में अब भी कोई ग्राम सभा ऐसी है जो उक्त वसूली का कार्य कर रही है ?

**श्री चरणसिंह**--जी हां । ५ ग्राम सभायें १३६५ फसली से वसूली का कार्य कर रही हैं ।

**श्री गंगाप्रसादसिंह**--श्रीमन्, जहां तक जानकारी की बात है सरकार की यह नीति रही है कि ज्यादा से ज्यादा वसूली का कार्य ग्राम सभाओं को दिया जाय तो क्या कारण है कि १३६० फसली में २० ग्राम सभायें काम कर रही थीं, लेकिन १३६५ फसली में सिर्फ ५ ही काम कर रही हैं ?

**श्री चरणसिंह**--माननीय मित्र ने जो बात कही है वह ठीक ही फरमायी है कि सरकार की नीति ऐसी ही है, लेकिन ग्राम सभायें ये काम नहीं कर पा रही हैं । पूरी रकम वसूल नहीं कर पातीं और कलेक्शन स्टाफ को उनकी मदद के लिये जाना ही पड़ता है । १३६० के बाद इसलिये एक भी ग्राम सभा नहीं रही थी । किन्तु अब ५ ग्राम सभाओं को फिर मुश्किल से राजी किया है ।

**श्री गंगाप्रसाद सिंह**---क्या यह सही है कि फसली सन् १३६० में जो ग्राम सभायें काम कर रही थीं, उनमें से कुछ ग्राम सभापतियों ने अपने कमीशन के लिये बार-बार तहसीलों में दौड़ लगायी, लेकिन उनको कमीशन नहीं दिया गया, इसलिये हतोत्साहित हो कर उन्होंने काम करना छोड़ दिया ?

**श्री चरणसिंह**---जी नहीं, इस कारण छोड़ा हो यह बात नहीं है। उनके छोड़ने का सवाल नहीं था, गवर्नमेंट ने छुड़ा दिया। हां, यह बात ठीक है कि उनके कमीशन के मिलने में कुछ देर हुई क्योंकि यह एक नयी बात थी और इस तरह से नया रुपया खजाने से खर्च होता है, आफिसरों की नियुक्ति वगैरह होती है तो एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां इस मामले में देर हो जाती है।

**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से बलिया जिले में कुछ ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया गया था, प्रदेश के किसी अन्य जिले में भी इस प्रकार का अधिकार दिया गया था ?

**श्री चरणसिंह**---जी हां, बहुत से जिलों में दिया गया था। सन् १९५३ में २८२ ग्राम सभायें इस प्रकार का काम कर रही थीं।

**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले सालों में कुछ ग्राम सभाओं को इसके पूर्व लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था ?

**श्री चरणसिंह**---इसके पूर्व का तो सवाल ही नहीं उठता है। जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट पास हुआ सन् १३५९ फसली में और ६० में लागू हुआ। सन् ६० फसली में २० ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया था। लिहाजा में सवाल समझ नहीं सका।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी जिन कठिनाइयों के कारण ग्राम सभाओं से लगान की वसूली ले ली गयी, उन कठिनाइयों को दूर करने में सरकार के लिये क्या कठिनाई है ?

**श्री चरण सिंह**---कठिनाई दूर करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ग्राम सभाओं को अपने कर्त्तव्य का ज्ञान कराया जाय, उनमें ईमानदारी लायी जाय और पबिलक ड्यूटी करने की उनमें स्पिरिट और लगन हो। यह काम गवर्नमेंट का बहुत कम है, गवर्नमेंट के बूते का यह काम नहीं है। यह अधिकतर गैरसरकारी जनसेवक कर सकते हैं और उनमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उस तरह की सहायता गवर्नमेंट को नहीं मिलती।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि ग्राम सभा के सभापतियों को वसूली में से अपना कमीशन काट कर खजाने में जमा करने का अधिकार हो ?

**श्री चरणसिंह**---जी नहीं, अगर यह अधिकार दे दिया गया तो फिर ग्राम सभायें बहुत कम रकम वसूल कर सकेंगी। मान लीजिये कि पौने ९४ प्रतिशत वसूली हुई और उनको सवा ६ प्रतिशत कमीशन मिलना है, तो फिर सवा ६ परसेंट वसूल करना उनके लिये बहुत मुश्किल होगा। इसलिये पूरी रकम तो वसूल करनी ही होगी।

**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---क्या राजस्व मंत्री जी ने जिन विधायकों के इलाके में इन ग्राम सभाओं के सुपुर्द यह काम किया था और अब वसूली का काम वापस ले लिया है, उनको कोई खत लिखने की मेहरबानी की है ?

**श्री चरणसिंह**--खत लिखना जरूरी नहीं है। अगर वे विधायक सजग होंगे तो उनको मालूम होगा कि उनकी कांस्टीटुएंसी में कौन-कौन ग्राम सभायें क्या काम कर रही हैं।

**श्री चन्द्रजीत यादव**--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगभग जो २८२ गांवों को यह अधिकार दिया गया था, उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों को यह अधिकार देने का विचार सरकार कर रही है ?

**श्री चरणसिंह**--जी, नहीं, जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके बल पर तो नहीं। वैसे मालगुजारी की वसूलयाबी में हमारे सामने कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उसके कारणों में इस समय मैं जाना नहीं चाहता, जब कभी मौका आयेगा तो मैं अर्ज करूंगा। तो उसको देखते हुए कोई आल्टरनेटिव स्कीम हो सकती है या नहीं, इस पर बराबर विचार होता रहा है। एक स्कीम हमारे विचाराधीन है और हमने जिले के जिलाधीशों से उस सिलसिले में दरियाफ्त भी किया है।

**श्री उग्रसेन**--क्या माननीय मंत्री यह जानते हुए कि गांव पंचायतों की सबसे बड़ी कमजोरी आर्थिक कमजोरी है। प्रदेश के राजस्व का कुछ हिस्सा गांव सभाओं को देंगे ताकि वे सबल हो कर मालगुजारी ठीक से वसूल कर सकें ?

**श्री चरणसिंह**--मालगुजारी अगर वह वसूल नहीं कर पाती है तो इसका कारण यह नहीं है कि उनकी वित्तीय कमजोरी है, बल्कि वित्तीय कमजोरी तो एक कारण होना चाहिये क्यों वे वसूल करें। इसलिये उनको मालगुजारी का कुछ हिस्सा दिया जाय या न दिया जाय इससे उसका वास्ता नहीं रहता, वह एक अलग मजमून है।

## अलीगढ़ जिले में राजनीतिक पीड़ितों को भूमि न मिलना

*२३--**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को जमीन दी गई है ?

**श्री चरणसिंह**--अलीगढ़ जिले में कोई भूमि राजनीतिक पीड़ितों को वितरित नहीं की गई है।

## गोरखपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को भूमि

*२४--**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को जमीन मिली है ?

**श्री चरणसिंह**--गोरखपुर जिले में ६४ राजनीतिक पीड़ितों को भूमि दी गयी थी, लेकिन इस समय केवल ४७ राजनीतिक पीड़ितों के पास भूमि है।

**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**--क्या सरकार बतायेगी कि ६४ राजनीतिक पीड़ितों को जमीन दी गयी थी, बाद में ४७ ही रह गये तो बाकी लोगों ने अपनी जमीन छोड़ दी ?

**श्री चरणसिंह**--लैंड यूटीलाईजेशन ऐक्ट के मातहत ६४ आदमियों को जमीनें दी गयी थी। कुछ लोगों के एलाटमेंट कैंसिल हो गये क्योंकि जमीदारों ने उस पर एतराज किया, इसलिये ४७ ही रह गये।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**--जिन १७ व्यक्तियों के एलाटमेंट कैंसिल हो गये उनको किसी दूसरी जगह जमीन क्यों नहीं दी गयी ?

---

नोट--तारांकित प्रश्न २४ श्री उग्रसेन ने पूछा।

श्री चरणसिंह--जी नहीं। लैंड यूटिलाईजेशन ऐक्ट के मातहत जमींदारों के पास अगर ऐसी जमीन हो जो काबिल काश्त हो जिस पर वे काश्त न कर रहे हों तो कलेक्टर को यह अधिकार था कि वह लैंड लेस लोगों को या जिनके पास थोड़ी जमीन हो, एलाट कर दे। उसी के मातहत ६४ पोलिटिकल सफरर्स को ये जमीन दी गयी थी। गोरखपुर के कलेक्टर ने ४-५ केटेगरीज बना रखी थीं, उसमें पहला नंबर उन्होंने पोलिटिकल सफरर्स का रखा था। उसके अनुसार उन्होंने उन लोगों को जमीन दी थी।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन ६४ राजनीतिक पीड़ितों को कितनी भूमि दी गयी ?

श्री चरणसिंह--इसका रकबा इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन लोगों को जमीन दी गयी उन लोगों को निम्नतम और अधिकतम कितनी कितनी जमीन दी गयी ?

श्री चरणसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

## देवरिया जिले के इनरसनवां ग्राम में बकाया लगान के लिए एक किसान के नाम वारंट गिरफ्तारी

*२५--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बतरौली इनरसेन, जिला देवरिया के अन्तर्गत ग्राम इनरसेनवां तहसील पड़रौना के कितने काश्तकारों ने पिछले दो वर्ष से लगान मनीआर्डर द्वारा तहसीलदार को भेजा ?

श्री चरणसिंह--ग्राम इनरसनवां से गत दो वर्षों में केवल एक काश्तकार ने मनीआर्डर द्वारा लगान भेजा था।

*२६--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या वित्त मंत्री को यह मालूम है कि वे किसान, जिन्होंने लगान मनीआर्डर द्वारा तहसीलदार को भेज दिया था, उनके ऊपर लगान वसूली के लिये वारन्ट जारी करके दोबारा लगान वसूल हुआ है और उसमें १३६५ फसली को रबी का लगान भी वसूल हुआ है ?

श्री चरणसिंह--१३६४ फसली में केवल एक काश्तकार का मनीआर्डर आया था जिसके मुजरा करने के बाद उसके खाते में लगान बाकी रह गया। इस बकाया की वसूली के लिये और खरीफ १३६५ फसली के लगान की वसूली के लिये वारन्ट गिरफ्तारी जारी किया गया। १३६५ फसली रबी के लगान की वसूली के लिये कोई वारन्ट इजरा नहीं किया गया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मनीआर्डर के बाद कितनी रकम की बकाया रह गयी जिसके लिए वारंट जारी किया गया ?

श्री चरणसिंह--यह तो इत्तला मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर एक रुपया की भी रकम रह गयी होगी तो भी वारंट जारी हो सकता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एक ही काश्तकार को उस तहसील में क्यों यह आवश्यकता हुई कि वह मनीआर्डर से अपना लगान भेजे ?

श्री चरणसिंह--यह बात तो उस काश्तकार से जनाब जाकर दरियाफत करें तो शायद मालूम हो जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस बारंट के नतीजे क्या हुए, कुर्की हुई या गिरफ्तारी ?

श्री चरणसिंह---वारंट गिरफ्तारी का नतीजा कुर्की नहीं होता है ।

श्री गेंदासिंह---माननीय वित्त मंत्री जी ने जब जिला से इत्तला मांगी थी तो उस वक्त नहीं बतलाया था कि पूरा लगान जमा नहीं किया तो कितनी रकम जमा की थी जिसके लिये वारंट है और यह किस प्रकार की रकम थी ?

श्री चरणसिंह---जिला वालों के लिये बताना लाजमी नहीं था । उनके लिये केवल यह लाजमी था कि पूरी रकम नहीं दी गयी ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मनी आर्डर आने के बाद तहसील में मनी आर्डर की रकम जमा की और उसके बाद वारंट भी जारी कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बतला दिया है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त किसान जिसने मनी आर्डर किया था उसको इस बात की सूचना दी गयी थी कि उसकी इतनी रकम उसके कागज में मुजरा की गयी है ?

श्री चरणसिंह---जब वारंट ही बकाया लगान का निकाला गया तो अपने आप सूचना हो गयी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वारन्ट गिरफ्तारी के पहले कोई और कार्यवाही की गई थी ?

श्री चरणसिंह---मैंने इसमें उनसे मालूम नहीं किया, लेकिन नियम के अनुसार वह होगी ऐसा मेरा खयाल है ।

## देवरिया की कलेक्टरी में पेड अपरेंटिसों का स्थायित्व

*२७---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---देवरिया की कलेक्टरी कचहरी में सन् १९५० ई० से सन् १९५७ ई० तक कितने paid apprentices स्थायी किये गये हैं तथा इन paid apprentices की कुल कितनी संख्या है ?

श्री चरणसिंह---देवरिया कलेक्ट्रेट में सन् १९५० से १९५७ तक केवल ६ paid apprentices स्थायी किये गये हैं तथा इनकी कुल संख्या इस समय १३ है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या माननीय वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस क्रम से पेड अपरेन्टिस रखे गये हैं उसी क्रम से उनका स्थायित्व हुआ है ?

श्री चरणसिंह---इतनी तफसील मेरे पास नहीं है ।

## एटा जिले की अलीगंज तहसील में वन लगाने के लिये बंजर भूमि लेना

*२८---श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगंज तहसील (जिला एटा) में कितनी भूमि बंजर है तथा उस में से कितनी भूमि जंगलात लगाने को ली गई है ?

श्री चरणसिंह---जिला एटा की तहसील अलीगंज में कुल ३२,८५७ एकड़ भूमि बंजर है । इसमें से १,६५,५३५ एकड़ भूमि जंगलात लगाने के लिये वन विभाग ने ली है ।

श्री भूपकिशोर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जमीन वन लगाने के लिये ली गई है उस समूची भूमि में वन लगा दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---यह मेरे इल्म में नहीं है । यह तो वन विभाग से मालूम किया जाय तब पता लगे ।

श्री भूपकिशोर--- इस भूमि पर यदि वन नहीं लगाया गया है तो क्या सरकार इस भूमि को हरिजनों को देने का इरादा रखती है ?

श्री चरणसिंह--यही नहीं मालूम है कि वन लगा है या नहीं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह भूमि वन विभाग ने कब ली थी ?

श्री चरणसिंह---सन् १९५२-५३ में ।

## बदायूं जिले में क्षति ग्रस्त फसल के लगान में छूट देने की प्रार्थना

*२९---श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बदायूं तहसील, जिला बदायूं में गंगा के किनारे-किनारे तीन वर्ष से सैलाब के कारण फसल पूर्णतया बरबाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां लगान में छूट देने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---जी हां । खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ है । क्षतिग्रस्त खातों के लगान की वसूली नियमानुसार स्थगित की गई । रबी की फसलों में नुकसान नहीं हुआ । लगान में छूट देने का कोई प्रश्न ही नहीं होता । हां जिन खातों का रकबा नदी की धार के कारण कम हो गया उनमें नियमानुसार लगान की छूट व कमी दी गई ।

*३०---श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ के सैलाब से बदायूं जिले में किन-किन ग्रामों में बारह आने से ज्यादा नुकसान हुआ है और सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह---सन् १९५७ ई० के सैलाब से बदायूं जिले के जिन जिन ग्रामों में फसल को १२ आने से अधिक नुकसान हुआ है उनकी सूची संलग्न है । सहायता के रूप में मालगुजारी और तकावी की वसूली जो स्थगित की गई वह संलग्न सूची में दिये गये प्रत्येक ग्राम के सामने अंकित है । इसके अतिरिक्त इन ग्रामों में ३६,३०५ रु० सैलाबी तकावी, ४,२२९ रु० प्रेचुटी और ४,७३० रु० मकान बनाने की अनुदान बांटी गई, और अति अधिक क्षतिग्रस्त ग्रामों में कपड़ा, अनाज आदि वस्तुएं बांटकर भी सहायता पहुंचाई गई ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२८-२३१ पर)

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त ग्रामों में ३ साल से बाढ़ आने के कारण वहां की गन्ने और खरीफ की जो मेन फसल है उसके काफी नष्ट हो जाने की वजह से वित्त मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि उनको पुनः छूट दी जाय ?

श्री चरणसिंह---मेरे विचार करने न करने का कोई सवाल नहीं है । अगर नुकसान होगा तो छूट जरूर दी जायगी ।

## बलिया जिले में गंगा के कटाव में आये हुए परिवारों को बसाने की व्यवस्था

*३१---श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बलिया जिले में सन् १९५७ में सरकार की ओर से कितने ऐसे परिवारों को बसाने की व्यवस्था की गई है जिनके घर गंगा के कटाव से छूट गये हैं ?

**श्री चरण सिंह**--सन् १९५७ में बलिया जिले में गंगा की कटान से विस्थापित १२ परिवारों के पुनर्वास के लिये भूमि की व्यवस्था की गई ।

**श्री गौरीशंकर राय**--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने परिवारों ने बसने के लिये जमीन के लिये दरख्वास्त दी है ?

**श्री चरणसिंह**--मैं आप के जरिये माननीय मित्र से और सदन से भी माफी चाहूंगा कि मैं इस फाइल को अच्छी प्रकार देख नहीं सका, इसलिये मैं सप्लीमेंट्रीज का जवाब दे नहीं सकूंगा ।

**श्री अध्यक्ष**--मैं समझता हूं कि अगर आप इसको किसी दूसरे रोज के लिये मुल्तवी करवा लें तो अच्छा हो ।

**श्री चरणसिंह**--मुल्तवी कर दीजिये ।

(प्रश्न दूसरे दिन के लिये स्थगित किया गया ।)

## मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में चकबन्दी संबंधी मुकदमे

*३२--**श्री जगदीशनारायण** (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिलारी तहसील, जिला मुरादाबाद में कितने किसानों को अपने चकों पर अभी तक कब्जा नहीं मिला है ?

**श्री चरणसिंह**--बिलारी तहसील में ऐसा कोई किसान नहीं है जिसे अब तक नये चकों पर कब्जा न मिला हो ।

*३३--**श्री जगदीशनारायण**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में १९५७ में चकबन्दी की कितनी अपील जिलाधीश को की गई, कितनी स्वीकार हुईं और कितनी अस्वीकार तथा कितने मुकदमे बाकी हैं ?

**श्री चरणसिंह**--सन् १९५७ में कुल ७४७ निगरानियां जिलाधीश के न्यायालय में हुईं जिसमें १ बाकी है । २४० निगरानियां स्वीकार हुईं व ४५१ अस्वीकार हुईं । ३१ दिसम्बर, १९५७ को ५६ निगरानियां विचाराधीन थीं ।

*३४--**श्री जगदीशनारायण**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सी० ओ०, बिलारी, जिला मुरादाबाद के यहां कितने मुकदमे पड़े हैं और अधिक से अधिक मुकदमे कितने दिनों के हैं ?

**श्री चरणसिंह**--सी० ओ०, बिलारी के न्यायालय में कुल मुकदमों की संख्या २० है और इनमें सब से पुराना मुकदमा अक्तूबर, १९५७ का है ।

**श्री जगदीशनारायण**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कागज पर तो वास्तव में कब्जा दिला दिया गया है, लेकिन अभी पुराने किसानों ने अपने खेतों पर से कब्जा छोड़ा नहीं है ?

**श्री चरणसिंह**--मेरे इल्म में तो ऐसा है ही नहीं लिहाजा इसकी कोई जांच आदि कराने की जरूरत नहीं मालूम होती । अगर माननीय मित्र बतलायेंगे कि यहां ऐसा-ऐसा है तो जांच करा लूंगा ।

**श्री जगदीशनारायण**--क्या माननीय मंत्री जी इसकी तहकीकात करान की कृपा करेंगे कि अभी तक पुराने किसानों ने वहां अपना कब्जा नहीं छोड़ा है ?

**श्री चरणसिंह**--जी नहीं । सारी तहसील में कैसे इंक्वायरी करायी जायगी । आप कोई केस बतलायें तो जांच करा ली जायगी ।

## लेखपालों पर मुकदमे

*३५--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लेखपाल कितने हैं जिन पर कि सरकार की तरफ से अदालतों में इस वक्त मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--सदन में यह सूचना पूर्व ही दी जा चुकी है कि २३ लेखपालों पर सरकार की ओर से फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं । जिन लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां ३१ मार्च, १९५८ तक हो रही थीं उनकी संख्या ८०९ थी ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ८०९ लेखपालों के खिलाफ जो विभागीय कार्यवाही हो रही है उनमें कितनों का फैसला हो चुका है और कितनों का बाकी है ?

श्री अध्यक्ष--आपका सवाल था कि सरकार की तरफ से अदालतों में कितने मुकदमे चल रहे हैं । अगर उन्होंने विभागीय कार्यवाही की कोई बात जवाब में कह दी तो उसका आप ब्योरा नहीं पूछ सकते ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन २३ लेखपालों पर फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं वे किस प्रकार के मुकदमे हैं ?

श्री चरणसिंह--एक तो मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है कि जिससे माननीय मित्र नाराज हो कर सवाल करें ।

श्री अध्यक्ष--वह उनका तरीका ही है । (श्री गनेशचन्द्र काछी से ) आप अपना प्रश्न स्पष्ट कर दें ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन २३ लेखपालों के खिलाफ फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं वे किस प्रकार के मुकदमे हैं ?

श्री चरणसिंह--इसकी तफसील मेरे पास नहीं है ।

श्री ब्रज नारायण तिवारी--क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिन लेखपालों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है वे काम पर हैं या अलहदा कर दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, जिन पर क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं वे फौजदारी या मारपीट के नहीं हैं, गलत इन्दराज के हो सकते हैं, वे जरूर ससपेन्ड हो गये होंगे । बाकी का उनकी गलती की गम्भीरता के ऊपर है ।

## भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को एलाट की गई फारेन एक्सचेंज की धनराशि

*३६--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र द्वारा १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितना फारेन एक्सचेंज प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर में इस प्रदेश के हेतु एलाट किया गया है ?

श्री चरणसिंह--फारेन एक्सचेंज का एलाटमेंट राज्यों के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है तथा उन विभिन्न प्रयोजनों के लिये किया जाता है जो इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुकूल हों । राज्य सरकार के पूछने पर भारत सरकार ने १९५६-५७ और १९५७-५८ में उत्तर प्रदेश को एलोकेट की गई फारेन एक्सचेंज की राशि बताने में अपनी असमर्थता प्रकट की है । साथ ही उक्त सरकार ने यह सूचित किया है कि यह बतलाना भी संभव नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट इम्पोर्टरों को कितना फारेन एक्सचेंज रिलीज

किया गया। राज्य सरकार के लिये भी यह संभव नहीं है कि वह १९५६-५७ और १९५७-५८ में इस राज्य में प्राइवेट सेक्टर को एलाट की हुई फारेन एक्सचेंज की धनराशि के बारे में विश्वस्त सूचना प्राप्त कर सकें। विभागाध्यक्षों से एकत्र की हुई सूचना के आधार पर १९५६-५७ और १९५७-५८ में भारत सरकार द्वारा इस राज्य में पब्लिक सेक्टर को एलाट की हुई या रिलीज की हुई फारेन एक्सचेंज की धनराशि क्रमशः लगभग ७५ लाख रुपये और ४५३ लाख रुपये थी।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि १९५६-५७ और १९५७-५८ में राज्य के पब्लिक सैक्टर में फारेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्या थी ?

**श्री चरणसिंह**--मुझे इसका इल्म नहीं है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--जो भारत सरकार ने राज्य सरकार के पूछने पर बतलाया कि फारेन एक्सचेंज की राशि बतलाने में वह असमर्थ हैं तो इस असमर्थता के उन्होंने क्या कारण दिये हैं ?

**श्री चरणसिंह**--वे अपने यहां इस तरह का कोई हिसाब नहीं रखते।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--उत्तर प्रदेश की वे कौन-कौन सी योजनायें हैं जिनके लिये फारेन एक्सचेंज का एलाटमेंट हुआ है ?

**श्री चरणसिंह**--नोटिस की आवश्यकता है।

**श्री चन्द्रजीत यादव**--राज्य सरकार ने १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय सरकार से पब्लिक सेक्टर में कितना फारेन एक्सचेंज एलाट करने की प्रार्थना की थी ?

**श्री चरणसिंह**--मैं इसका जवाब तो दे चुका हूं। पहले ही प्रश्न इस बात का हुआ था।

**श्री गेंदासिंह**--फारेन एक्सचेंज की कितनी जरूरत सरकार को इन वर्षों में थी, क्या इसे मंत्री जी ने जानने की कोशिश की है और इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कहा ?

**श्री अध्यक्ष**--जवाब दिया जा चुका है कि उनको मालूम नहीं है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--सन् १९५६-५७ और १९५७-५८ में जो फारेन एक्सचेंज पब्लिक सेक्टर में एलाट हुआ और जिसका वर्णन इस प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, यह किस-किस योजना के लिये कितना-कितना हुआ ?

**श्री चरणसिंह**--मैंने यह सूचना इकट्ठी नहीं की। फारेन एक्सचेंज में यह कहना कठिन है कि फलां चीज बाहर से ही मंगाई जावेगी, क्योंकि बहुत सी चीजें हिन्दुस्तान में भी बनती हैं।

**श्री उग्रसेन**--प्राइवेट सैक्टर में कितनी और किन योजनाओं के लिये फारेन एक्सचेंज की मांग राज्य सरकार ने की थी ?

**श्री अध्यक्ष**--इसका जवाब वह दे चुके हैं।

---

## वाराणसी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जल-कर की वृद्धि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

**श्री अध्यक्ष**--श्री ऊदल जी का एक कामरोको प्रस्ताव है जो वाराणसी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा वाटर टैक्स में वृद्धि के कारण वाराणसी के नागरिकों में गहरा क्षोभ एवं असंतोष के संबंध में है। इसे मैं अनावश्यक समझता हूं। इस बारे में आम बहस में प्रश्न उठाया जा सकता है।

## बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे का है—"कल २२-७-५८ को जिला बस्ती की नौगढ़ तहसील की नंगी व भूखी जनता के लगभग दस हजार व्यक्ति जिनमें स्त्रियां व बच्चे भी सम्मिलित थे तहसील पर सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपना दुखड़ा रो कर सहयोग तथा सहायता की याचना करने गये। अधिकारियों ने उनकी कुछ सुनवाई नहीं की और सांत्वना के बजाय उन पर लाठी चार्ज किया। जिससे कितने ही व्यक्तियों को चोटें आईं। इस घटना से जनता में क्षोभ, निराशा तथा रोष उत्पन्न हो कर स्थिति गंभीर हो गई है और शान्ति एवं सुरक्षा को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है।

इस स्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है"।

जहां तक आवश्यकता का सवाल है इस प्रश्न को तो माननीय सदस्य अपने भाषण में उठा सकते हैं या उनके साथी उठा सकते हैं। लेकिन यह भी एक बात है कि लाठी चार्ज हजारों आदमियों पर हुआ है, ऐसा वे कहते हैं। इस बारे में अगर माननीय गृह मंत्री को कुछ जानकारी हो तो सदन को वे उसकी इत्तला दे दें। मैं इसे कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में तो स्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सूचना इस संबंध में माननीय मंत्री दे दें तो उचित होगा, फिर आम बहस में अपने भाषण के समय माननीय सदस्य कुछ जिक्र करना चाहें तो उसका जिक्र वे कर सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जो रिपोर्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उपलब्ध है उससे यह पता लगेगा कि नौगढ़ तहसील की तहसील को १००–१५० आदमियों ने घेर लिया और नारे लगाने लगे और यह कहा कि "मुझको खाना दो या जेल भेज दो।" यह भी मांग की कि लगान की वसूली बन्द कर दी जाय और बकाया लगान माफ कर दिया जाय। समझाने पर भी वे माने नहीं, यहां तक कि तहसील का काम होना असंभव हो गया। दफा १४४ लगाई गयी और कहा गया कि आप यहां से चले जायं, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इस पर १९ आदमी गिरफ्तार किये गये। न कोई लाठी चार्ज हुआ और न कोई घायल हुआ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—मैं श्रीमान् को एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इस पर बहस की इजाजत नहीं दे सकता। सूचना आप किसी और से दिलवा दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं तो, श्रीमन्, पहले ही बोल चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसीलिये कहा कि किसी और सदस्य से दिलवा सकते हैं।

## मोहनलालगंज तहसील के ससेंडी क्षेत्र में चकबन्दी योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है—"लखनऊ जिला में मोहनलालगंज तहसील के अन्तर्गत चकबन्दी क्षेत्र ससेंडी के चकबन्दी अधिकारियों ने गलत तथा मनमाने ढंग से चकबन्दी योजना लागू की है, गरीब किसानों के तीन-तीन चक के आठ-आठ चक बन गए हैं इत्यादि....."।

मैं इसको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। इसको वह अपने भाषण में उठा सकते हैं। दूसरे यह बहुत दिनों की घटना भी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—गिरफ्तारियां कल हुई हैं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन घटना के बारे में तो आप पहले उठा सकते थे। आप गिरफ्तारियों का जिक्र अपने भाषण में आसानी से कर सकते हैं।

## गाजीपुर जिले के करन्डा परगने में श्रीमती चनरी की भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय यमुना सिंह जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है—

"गाजीपुर जिले के करन्डा परगने के सबुआ ग्राम की चनरी नाम की हरिजन औरत की मृत्यु भूख से तड़प-तड़प कर हाल ही में हो गई है, इत्यादि ....।"

इसका भी जिक्र माननीय सदस्य अपने भाषण में कर सकते हैं।

## बलिया शहर में हैजे के प्रकोप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री गौरीशंकर राय जी का कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है—

"यह सदन, बलिया शहर में हैजे के अत्यन्त ही भयंकर प्रकोप, जिसके परिणाम स्वरूप दो चार ही दिनों के अन्दर १०० से अधिक व्यक्ति मर गये हैं, से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचारार्थ, अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

यह प्रश्न भी अभिभाषण के विवाद में उठाया जा सकता है। दूसरे, अगर उनको यह आवश्यक मालूम होता तो दो, चार दिन पहले ही इसको उठा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले ही रोज नहीं उठाया। अब भी वे इसका अपने भाषण में जिक्र कर सकते हैं या किसी दूसरे सदस्य से जो उनके दल के हों उनसे कहला सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—आज ही सूचना मिली है कि अस्पताल भर गये हैं, टेंट लगे हुए हैं .....

श्री अध्यक्ष—आप अपने भाषण में कह सकते हैं।

## श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत†)

श्री अध्यक्ष—अब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर विवाद जारी रहेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो श्री वीरेन्द्र वर्मा ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने कल माननीय त्रिलोकी सिंह जी तथा अन्य पार्टियों के नेताओं की स्पीचेज सुनीं। लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह जी के भाषण को सुन कर थोड़ी सी मायूसी हुई। मैं समझता था कि वे अपने भाषण में कुछ ठोस सुझाव रखेंगे जिससे देश के निर्माण में, प्लानिंग में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि इस संबोधन में यह नहीं था कि आगे सरकार क्या करने वाली है। पिछली ही बातों की चर्चा की गई है.....

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, अगर इजाजत दें तो जो गलतफहमी हो गई है उसको दूर कर दूं। मैंने यह कहा कि १२ आने पीछे की बातें हैं और ४ आने अगली बातें हैं।

---

†२२ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन तो है नहीं। आपके भाषण के शब्दों का अर्थ लगा कर वे टीका कर सकते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह—टीका कर सकते हैं लेकिन फैक्ट्स के मामले में.....

श्री अध्यक्ष—अभी फैक्ट्स कहे ही नहीं। आम तौर से बात कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—उन्होंने कहा था कि माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में जो प्रोग्राम प्रदेश के सामने आइन्दा साल का होगा वह नहीं रखा है, वह कब रखा है। लेकिन मैं अभिभाषण के दूसरे पृष्ठ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां उन्होंने यह कहा है कि कुछ ही महीने पहले प्रदेश के वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण देते समय उन विभिन्न कार्य-क्रमों को आपके सामने रखा है जिन्हें हमारी सरकार ने अपनाना चाहा है। तो यह जो सम्बोधन है उसके साथ-साथ ही बजट भाषण भी पढ़ लेते तो उन्हें पता चल जाता कि उसमें पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है।

यह भी शिकायत की गई कि यह देश सन् १९४७ में आजाद हुआ और तब से अब तक देश में कोई खास तरक्की नहीं की। खेती की समस्या, कपड़े की समस्या, मकानों की समस्या और चीनी आदि की समस्याओं में से कोई समस्या हल नहीं हो सकी। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जिन कन्डीशन्स में भारत आजाद हुआ उनको देखते हुये जो कुछ हमने किया है उस पर हम सही मानों में गर्व कर सकते हैं। आज हमारा गौरव देश में और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कितना बढ़ा हुआ है इसका अन्दाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि अब जब लेबनान और ईराक के मामलों में समिट टाक्स (summit talks) की बात हुई तो उसके लिये हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी को इनवाइट किया गया है जब कि एशिया के और किसी देश से किसी और को आमंत्रित नहीं किया गया। इससे पहले भी हम आप देख चुके हैं कि कोरिया में शान्ति स्थापित करने के लिये हमारी सेनायें भेजी गई थीं। इस सब से सिद्ध होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमने कितनी ख्याति हासिल की है और हमारे देश का कितना गौरव बढ़ा है।

एक सदस्य—प्रदेश की बात कीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—इस देश में जो तरक्की हमने की है वह आंकड़ों से मालूम हो सकती है। सन् १९४८-४९ में अगर हम १०० को बेसिक फिगर मानकर चलें तो सन् ५४-५५ में हमारी फूड क्राप्स थीं १२२ और वह सन् ५६-५७ में ११५ रह गई और कैश क्राप्स जो सन् १९५४-५५ में १२२ थीं वह सन् ५६-५७ में १३१ हो गईं। इससे जाहिर होता है कि जो रकबा पहले फूड क्राप्स में था वह कैश क्राप्स में आ गया और इससे हमारा फूड प्रोडक्शन का जो एक संतुलन था वह कुछ नष्ट हुआ। सन् ५५-५६ और ५६-५७ में हमारा फूड प्रोडक्शन का फिगर गिरा। इसका कारण माननीय सदस्यों को मालूम है कि सन् ५५-५६ और ५७ में हमको कितनी आफतों का मुकाबला करना पड़ा, कहीं पर अतिवृष्टि हुई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई आदि अनेक दैवी आपत्तियां आईं और हमारा फूड प्रोडक्शन गिरा तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम उसका सन् ४८-४९ से मुकाबिला करते हैं तो वह गिरा नहीं है, बल्कि बढ़ा ही है। सन् ५४-५५ में हमारे यहां गेहूं और चावल की पैदावार ५० लाख ७८ हजार टन थी जो सन् १९५६-५७ में ५० लाख ४७ हजार टन रह गई है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने तथा अन्य सदस्यों ने कहा है कि पूर्वी जिलों में पर एकड़ उत्पादन कम है, लेकिन जहां इसके अन्य कारण हैं वहां एक यह भी है कि वहां के लोगों का अब तक ऐसा विचार है कि हल की मूठ छूना पाप है और वह लोग नौकरों से काश्त कराते हैं यह बिल-कुल जाहिर सी बात है कि जो लोग नौकरी से काश्त करायेंगे उनकी पैदावार कम होगी। हमारे यहां एक कहावत है खेती खसम सेती, यानी खेती स्वयं करने से ही ठीक रहती है। इसलिये

आवश्यकता इस बात की है कि जिन लोगों में अब भी ऐसी भावना है कि हल की मूठ न छुई जाय उनको समझाकर बताना चाहिये कि हल छूना कोई पाप नहीं है बल्कि वह तो हमारे देश का मुख्य उद्यम है और एक गौरव और शान की बात है और एक बड़ा आदर्श प्रोफेशन है।

दूसरी चीज जो हमारी फूड प्राब्लम में हायल होती है वह हमारी बढ़ती हुई पापुलेशन है। आबादी के बढ़ने की हालत यह है कि हम अपने प्लानिंग के समय प्लान करते हैं कि हमें ६ करोड़ आदमियों का इन्तजाम करना है, लेकिन एक प्लान खत्म होते-होते हम देखते हैं कि वह आबादी ६ करोड़ ६० लाख हो जाती है। इस प्रकार तो फिर कोई भी प्लानिंग नहीं चल सकती है जब तक हम पापुलेशन को कंट्रोल न करें और बर्थ कंट्रोल का कोई तरीका हम लोग अमल में न लायें। आप देखेंगे कि सन् ५४–५५ में बर्थ रेट १६.६७ पर थाउजेंड थी और डेथ रेट ९.८८ पर थाउजेंड था। १९५५–५६ में बर्थ रेट १५.४१ और डेथ रेट ८.३२ था और सन १९५६–५७ में बर्थ रेट १५.४२ और डेथ रेट ८.५७ था। जब डेथ रेट और बर्थ रेट में इतनी असमानता है तो आबादी बढ़ेगी ही। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि एसे क्लीनिक्स खोले जायं जो बर्थ कंट्रोल को प्रोत्साहन दें। केवल इसी से यह प्राब्लम हल नहीं हो सकती है, बल्कि सरकार लोगों में ऐसी भावना भी उत्पन्न करे कि वह मुल्क में आबादी के बढ़ने को रोकें। मेरा एक सुझाव यह है कि अगर आप उन लोगों को, जिनके ३–४ बच्चे हो गये हैं आपरेशन की सुविधा मुफ्त दें और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको छुट्टियां भी दें और बाउंटी के रूप में ५० रुपया दें तो उस पर बहुत से लोग आपरेशन कराने के लिये तैयार हो जायंगे।

श्रीमन्, शिक्षा की निस्बत यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अभाव है और अभी तक शिक्षा हमारी उस स्तर पर नहीं पहुंच पायी है जिस पर होनी चाहिये। श्रीमन्, शिक्षा के लिए, अगर आप देखेंगे तो सन् १९५४–५५ में २३,३१,१३,००० रुपया और १९५६–५७ में २७,७३,४९,००० रुपया शिक्षा के बजट में रखा गया। जब इतना रुपया शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास नहीं हुआ। लेकिन शिक्षा की प्राब्लम इतनी जबरदस्त है कि एक दिन, दो दिन या १०–२० वर्ष में हल नहीं की जा सकती है। आप राष्ट्र के जीवन का अपने जीवन से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर अपने जीवन से मुकाबला करेंगे तो जरा मायूसी होगी। राष्ट्र तो सदियों में बनते-बिगड़ते हैं। १० वर्ष में अगर आप सोचें कि राष्ट्र उठ कर उच्च शिखर पर पहुंच जायगा तो नामुमकिन बात है। अगर और मुल्कों को देखा जाय तो हिन्दुस्तान ने थोड़े ही समय में आश्चर्यजनक तरक्की की है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली और एक ही वक्त में मिली। आप देखिये कि पाकिस्तान की क्या हालत है और हिन्दुस्तान की क्या हालत है। इससे पता चल सकता है कि इस मुल्क में कितनी तरक्की हुई है, कितनी यहां की स्टेबिल गवर्नमेंट रही है, कितनी शान्ति रही है। उसका अन्दाज इससे ही लगाया जा सकता है कि आज तक इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं बदली है, जैसा कि आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में होता रहता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि हमने जो कुछ किया है वह ठीक किया है और जो कुछ करने जा रहे हैं वह भी ठीक करने जा रहे हैं।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि "किन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी सरकार को परिस्थिति का पूरा-पूरा ध्यान है तथा स्थिति सम्हालने के लिए प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जा चुकी है"। इसका कुछ माननीय सदस्यों ने यह मतलब निकाला कि जब प्रत्येक सम्भव कार्यवाही हो गयी तो अब करने को कुछ नहीं रहा, लेकिन अगर ५–७ लाइनों के बाद वह पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने यह भी कहा है कि "मेरी सरकार स्थिति पर गौर कर रही है और मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि वह इस सम्बन्ध में सारे आवश्यक उपाय करेगी"। तो फिर असल में से एक स्ट्रे सेंटेंस को अलग पढ़ कर के अगर माने निकाले जायं तो पूरे ढांचे के माने समझ में नहीं आ सकते। इसलिए पूरी चीज पढ़ कर तब कोई माने निकालने चाहिए।

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

जो स्टेट की फूड प्राब्लम और दूसरी प्राब्लम्स हैं उनसे हमारी सरकार अनिभिज्ञ नहीं है। जो कुछ हमसे कोशिश हो सकती है वह की गयी है और की जायगी। जहां तक फूड की स्केयरसिटी का सवाल है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश में कोई भी आदमी, चाहे अनाज की कितनी ही कमी हो, इसलिए नहीं मरा है कि उसको अन्न उपलब्ध नहीं था। तो इस प्रकार खाद्य की स्थिति पर पूरा काबू पाना जब कि प्रकृति के ऊपर हम लोगों को मुनहसिर रहना पड़ता है, हमको ऊंचा नीचा देखना पड़ता है, इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है। सरकार के पास तो अन्न के भंडार मौजूद हैं। सरकार ने जगह-जगह सस्ते गल्ले की दूकानें खोली हैं और अन्न बंट रहा है। कोई भी ऐसा उदाहरण न होगा कि अन्न की कमी के कारण उसको अन्न उपलब्ध न हो और कोई मर जाय।

एक सवाल जिसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है कि वह है भ्रष्टाचार का। आखिर भ्रष्टाचार है क्या? क्या भ्रष्टाचार केवल यही है कि सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेते हैं; और कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या जो दूध में पानी मिलाता है वह सरकारी मुलाजिम है और क्या वह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या घी में चरबी मिलाने वाला भ्रष्टाचार नहीं करता? क्या वह आदमी जो अपने अखबार के लिये कागज का कोटा लेकर ब्लैक में बेंचे भ्रष्टाचारी नहीं है? अगर वह भ्रष्टाचार है तो मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठायी। केवल सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कार्यवाही करने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाइय। क्या म पूछ सकता हूं कि सन् १९३० में जिस वक्त विदेशी कपड़े का बाइकाट किया गया उस वक्त क्या वह लहर नहीं उठी थी कि बाजार में आपको एक इंच भी विलायती कपड़ा नहीं मिलता था? उसकी वजह यह थी कि लोकमत संग्रह किया गया था। आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये जरूरत इस बात की होगी कि हमको स्ट्रांग पब्लिक ओपीनियन बनानी पड़ेगी।

क्या मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा पूछ सकता हूं कि उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके लड़के, भांजे या भतीजे आदि सरकारी मुलाजिम नहीं हैं और क्या उन्होंन इस तरफ भी कोशिश की कि उनका स्तर ऊंचा हो? सवाल तो यह है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये एक स्टांग पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करनी पड़ेगी और स्ट्रांग पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करने के लिये मारल स्टैंडर्ड बढ़ाने की जरूरत है और मारल स्टैंडर्ड शिक्षा से ही बढ़ सकता है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां एजूकेशन में हिसाब किताब की जरूरत है वहां मारल और रेलिजस एजूकेशन के लिये भी प्राविजन रखें। आखिर सरकारी मुलाजिम कोई इंगलैण्ड, फ्रांस या बेलजियम से तो आते नहीं हैं, वे यहीं के लोग होते हैं। लिहाजा अगर वे भ्रष्ट होते हैं तो खुद हम ही भ्रष्टाचारी हैं। इसके लिय एक ऐसी लहर पैदा करनी पड़ेगी जिससे भ्रष्टाचार दूर हो सके और लोगों का मारल स्टैंडर्ड बढ़े।

श्रीमन्, माननीय महामहिम राज्यपाल ने ला ऐंड आर्डर पर प्रकाश डालते हुये कहा कि ला ऐंड आर्डर की स्थिति प्रदेश में अच्छी हो गयी है। मुझे खुशी है। लेकिन दुःख इस बात का है कि आगरा जिले की स्थिति नहीं सुधरी है। अगर शरीर में किसी जगह कोई तकलीफ हो तो सारे शरीर को तकलीफ हुआ करती है। अगर सार प्रदेश में शान्ति है लेकिन आगरा जिले में नहीं है तो उससे सारे प्रदेश को दुःख होता है। वहां की हालत कैसी है, मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में फतिहाबाद तहसील के कुतुबपुर गोला गांव में एक बहुत भीषण डाका पड़ा जिसमें चार आदमी मारे गये और स्त्रियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और काफी माल लूटा गया। मैं माननीय गृह मंत्री का आभारी हूं कि मैंने जब उनसे इस बात की शिकायत की तो उन्होंने बड़ा प्राम्प्ट ऐक्शन लिया और आई० जी०

को भी भेजा जिससे वहां की पब्लिक में कुछ कान्फीडेन्स हुआ। सरकार को चाहिये कि इस मीनेस को फाइट करने के लिये लोगों को हथियार दे। वह यह न सोचे कि वे हथियार डाकू लोगों के पास पहुंच जायंगे। डाकुओं के पास तो हथियार अब भी पहुंचते हैं। मैं आपको बताऊं कि उसी गांव में एक आदमी था जिसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ लाठी थी और उसने लाठी से ही दो डाकुओं को बहुत बुरी तरह से घायल किया। अगर उसके पास बन्दूक होती तो वह बहुत ज्यादा कर सकता था। इसलिये सरकार को चाहिये कि उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा लाइसेन्स दे। अगर उनके पास हथियार होंगे तो वे सफलता-पूर्वक डाकुओं का मुकाबला कर सकेंगे। डाकुओं का मुकाबला किया जा सकता है पब्लिक की सहायता से, उसके कोआपरेशन से। स्वतंत्रता के पहले जिस आर्म्स ऐक्ट के ऊपर हम लड़ा करते थे कि यह हमको कायर बनाता है उस ऐक्ट में अभी तक कोई संशोधन हम नहीं कर सके। मैं चाहूंगा कि कम से कम उस एरिया में लिबरली लाइसेन्स बांटे जायं ताकि पब्लिक अपनी रक्षा कर सके।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय देवनारायण भारतीय जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में हम पूर्वी अंचल में रहने वालों के प्रति दो तीन बातों का जिक्र किया है। उसमें आप कहते हैं कि "फलतः उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की हमारी जनता निर्धनता और कठिनाइयों से पीड़ित है।" श्रीमन्, मुझे अच्छी तरह से खयाल है कि जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय गये थे तो उनके साथ हमारे राज्यपाल महोदय भी गये थे। इसके पश्चात् वे एक बार और गये थे और उन्होंने हमारी हालत को देखा था और वहां के जन प्रतिनिधियों से सुना भी था। इतनी जानकारी होते हुये भी महामान्य राज्यपाल महोदय ने आज हमारी क्या हालत है, उस पर ठीक से प्रकाश नहीं डाला है।

हमारे बहुत जन प्रतिनिधियों ने भी हमारी स्थिति का वर्णन किया है और बहुत सी कमेटियों और कमीशनों की मांग भी की गई है। लेकिन, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से निहायत अदब और बड़ी नम्रता के साथ एक मांग करना चाहता हूं कि कमेटी और कमीशन तो हमें बहुत मिल चुके हैं-- हाई पावर कमेटी भी आई और अशोक मेहता जी की कमेटी की भी रिपोर्ट हमारे सामने है-- लेकिन हमारी जो हालत है वह ऐसी है कि इन कमेटियों और कमीशनों की रिपोर्टों से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। हमें आज रोटियों के लाले पड़े हुये हैं। श्रीमन्, यह सोचने की बात है कि आज हमें साखू के बीज की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। गेंठी, यह एक जहरीली जड़ होती है जिसको किसान काटकर दो तीन दिन तक सुखाते हैं और फिर इसके बाद पानी में भिगोते हैं। तब कहीं जाकर इसकी रोटी बनाई जाती है और हमारे मासूम बच्चों को इसकी रोटी भी एक बार भी नसीब नहीं हो पाती है। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हम किसी को भूख से मरने नहीं देंगे क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि दो साल के अन्दर ३०० से अधिक आदमी भुखमरी से मर चुके हैं। मेरे पास पूरी-पूरी सूचना है। जब भुखमरी का सवाल उठता है तो मंत्री जी लेखपाल की रिपोर्ट पर कह देते हैं कि सांप ने काट लिया, शौक से मर गया, कुयें में गिर कर मर गया, आदि। मैं इसकी सूचना सदन में पेश करूंगा।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आंकड़ों की ओर ले जाना चाहता हूं। आज हमारे पास जो जन-संख्या का भार पूर्वी अंचल में है वह और कहीं नहीं है। नार्दन बिहार में जनसंख्या का भार ८३३ प्रति वर्ग मील है और सारे उत्तर प्रदेश में ५५७·४१ प्रति वर्ग मील है और हिन्दुस्तान का २८१ प्रति वर्ग मील है; हमारे पूर्वी अंचल का १,००० के आसपास है और जो हम जमीन जोतते हैं वह क्रमशः

[श्री उग्रसेन]

हल की नोक के नीचे से निकलती चली जा रही है। इसके भी आंकड़े में आपके द्वारा आदरणीय सदन को देना चाहता हूं। वह इस प्रकार हैं :—

| जिला | १९२१ | १९४१ | १९५१ |
|---|---|---|---|
| देवरिया .. .. | ७३.७ | ५४.८ | ५०.१ |
| बस्ती .. .. | ६६.५ | ६०.३ | ५६.७ |
| आजमगढ़ .. .. | ५८.३ | ५२.४ | ४८.० |
| जौनपुर .. .. | ५५.५ | ४८.१ | ४५.९ |

जो जमीन हम जोतते हैं वह भी निकलती चली जा रही है और जन-संख्या का भार-निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है पर सरकार ने कोई उपयोगी सुझाव या योजना हमको नहीं दी है।

श्रीमन्, एक रिहन्द डैम की योजना आयी। कहा गया कि जब रिहन्द डैम की बिजली आयेगी तो पूर्वी प्रदेश में जायगी। लेकिन गरीबी और भुखमरी लाने वाली इस सरकार ने फैसला कर दिया कि रिहन्द डैम की बिजली देवरिया, गोरखपुर, बस्ती में नहीं दी जायगी। पूर्वी जिलों में १९५० से सूखा और बाढ़ की हालत है। लेकिन वह हम को पांच रुपये की मदद देती है। एक आने की ढिबरी और एक दियासलाई देती है। ऐसी दशा में भुखमरी लाने का सारा समा इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने बांधा है। जब तक लखनऊ की गद्दी से उत्तर प्रदेश की सरकार ढाही नहीं जायगी तब तक पूर्वी अंचल से भुखमरी और गरीबी दूर नहीं हो सकती।

अब मैं हाल की जो भुखमरी की घटनाएं हुई हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित् करूंगा। रंगबिहारी पुत्र दृगपाल, उम्र ३५ वर्ष, बेरहघाटी (सलेमपुर) में दस दिन भूख रहने के बाद उनके प्राण पखेरू हो गये। बाप पागल हो गया। गिदहवा में रघु, पुत्र मकनू, राधाकिशुन, पुत्र रघु, लालछपरा में नकछेद हरिजन पुत्र मोथा, जीउट पुत्र चरित्र तथा गजराज कोइरी, सलेमपुर तहसील में रारि ग्राम में कोलेसर, और पनवादेवी, हरिजन। देवरिया जिले में हाल में भुखमरी से इतनी मृत्युएं हुई हैं। इसके पहले जो भुखमरी की घटनाएं बराबर प्रदेश की सरकार के सामने रखी गयीं उनकी कोई जांच नहीं की गयी। उनके संतप्त परिवार को एक छटांक दाना नहीं दिया गया। दिनों दिन भुखमरी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस प्रदेश की सरकार ने उसके निवारण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया।

यहां एक किताब अभी हाल में मिली है—"राजस्व शासन सम्बन्धी शासकीय आज्ञाओं का संग्रह, १९५७–५८"। इसमें लिखा है कि १९५७–५८ में इतने लोगों को काम मिल जायगा जिसमें गोरखपुर कमिश्नरी की संख्या ३२ लाख ४० हजार है। राजस्व विभाग का १९५७–५८ का एक आर्डर था कि इतने लोगों को काम मिल जायगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने हजार आदमियों को काम मिला। देवरिया में कितने लोगों को काम मिला? बाढ़ विभाग की सब योजनाएं खत्म कर दी गयीं। डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करके ५०५ गांवों में पटाई हुई। बाढ़ मंत्री के देवरिया जाने के बाद, अब सरकार ने लिख दिया कि बाढ़ विभाग द्वारा जो गांवों में मिट्टी की पटाई हुई है उसकी कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। सब मिट्टी बह जायगी। पंचवर्षीय योजना में कोई काम चालू नहीं है। टैस्ट वर्क्स भी बन्द कर दिये गये। वादा किया गया था १९५७–५८ में कि गोरखपुर कमिश्नरी में ३२ लाख ४० हजार आदमियों को काम देंगे। एक आदमी को काम नहीं मिला। कहा जाता है कि हमारे गल्ला भंडारों में काफी गल्ला मौजूद है। लेकिन खरीदने के लिए कहां से हम पैसा लाएं? मैं तो कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में सरैया चीनी मिल पर १६ लाख रु० गन्ने का दाम बाकी है। २० लाख केन सेस बकाया है।

१० लाख रेलवे लाइन का लोन बकाया है। कानपुर के पूंजीपतियों पर ८ करोड़ बकाया है। २७ लाख बिजली का कर बकाया है। इसी सरकार ने १९५६ में प्रदेश के पूंजीपतियों को ३ करोड़ लोन दिया वह आज तक वसूल नहीं हुआ। केन यूनियंस का लाखों रुपया १९५७ स आज तक कमीशन का बकाया पड़ा हुआ है, लेकिन मिल मालिक नहीं देते हैं। यह उन गरीबों का रुपया है जिनके पास गल्ला खरीदने के लिए दाम नहीं हैं। गल्ला दिया, दाम नहीं। हम गल्ला दूकान से कैसे खरीदें? मेरा यह चार्ज है कि जितनी दूकानें पहले थीं उतनी आज नहीं हैं। पूर्वी जिलों में उतनी दूकानें आज नहीं रह गई हैं। दूकानें खुली हैं, लेकिन उनके पास गल्ला नहीं है। जितनी दूकानें हैं वह कागज पर लिखी हुई हैं। दूकानें भी ऐसी खोली जाती हैं जहां पर लोगों को गल्ला नहीं मिलता।

दूसरी सूरत यह है कि माननीय गवर्नर महोदय ने अपने सम्बोधन में इस बात को स्वीकार किया है कि पारसाल से इस साल पैदावार कम हुई है। सरकार जानती है कि पारसाल सरकार ने मुफ्त राशन कार्ड चालू किया था, लेकिन इस साल कितने मुफ्त राशन कार्ड सरकार ने चालू किये हैं। माननीय जैन साहब ने मिर्जापुर और बांदा का दौरा किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास गल्ले की कमी नहीं है, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने राशन कार्ड मुफ्त इस साल पूर्वी जिलों के लिये चालू किये गये हैं जब कि वहां पर यह हालत है कि लोग भूखे मर रहे हैं मगर फिर भी वह चुप बैठे हैं। यह हिन्दुस्तान देश बुद्ध और राम का देश है। अगर यह बर्मा या चीन का देश होता तो सरकार को मालूम होता कि जनता क्या करती है। यहां पर अधिक संख्या में जनता गरीब है और वह रोटी चाहती है। यहां की जनता को कमीशन की जरूरत नहीं है। उसको तो खाने के लिये चाहिये। उनकी जो हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है और किसी को बतलाने की उसकी जरूरत नहीं है।

हमारे प्रदेश में टोटल सिंचित क्षेत्र ३५% कृषि क्षेत्र का है जिसमें सरकार के द्वारा सिंचाई होती है। जब अन्य स्थानों के लिये सिंचाई के लिये पानी मांगते हैं तो मालूम होता है कि ट्यूबवेल बेकार पड़े हुये हैं। गोरखपुर डिवीजन में सरकारी नहरों, ट्यूबवेल द्वारा केवल ३०% क्षेत्र में सिंचाई होती है।

अब यह सरकार जरा हमारी बाढ़ और कटाव की योजना को भी देखे। जलकुंडी योजना वैसे ही पड़ी हुई है। वह नैपाल के बार्डर का सारा इलाका गोंडा, बहराइच और गोरखपुर का इलाका जहां पर भुखमरी से लोग आज मर रहे हैं, गंडक और राप्ती की बाढ़ से जो हर साल आक्रान्त रहता है, उसकी बहुत बुरी हालत है। हमने बाढ़ मंत्री से उसके लिये निवेदन किया कि वहां पर २५ हजार लोग इस तरह से मर रहे हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि हम कोई योजना वहां के लिये लागू नहीं कर सकते हैं। वहां की जनता मर रही है और २५ हजार आदमी गोरखपुर में कटाव से तबाह हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिये कोई योजना लागू करने के लिये नहीं सोच रही है।

गवर्नर साहब अपने सम्बोधन में कहते हैं कि यहां की बेकारी को दूर करने के लिये यह किया जा रहा है और वह किया जा रहा है, लेकिन आज कानपुर की क्या हालत है? आज कानपुर में ७ हजार मजदूर बेकारी का शिकार हो रहा है। बागला ने अपनी मिल का झगड़ा आज तक तय नहीं किया, जिससे मजदूरों की दशा शोचनीय है। इस प्रकार की भयंकर स्थिति जब सामने आ गई तो सोशलिस्ट पार्टी न मजबूर होकर यह घोषणा की है कि हम इसके लिये संघर्ष करेंगे। पूर्वी जिलों की सोशलिस्ट पार्टी ने और खास कर देवरिया की सोशलिस्ट पार्टी ने गत ३ जुलाई को यह फैसला किया है कि अगर ८ अगस्त तक सोशलिस्ट पार्टी की ११ मांगों को जो जमीन के बटवारे और जीवन की जरूरी चीजों के बारे में हैं, सरकार पूरा नहीं करती है तो सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया ९ अगस्त से जिले अधिकारियों का घेरा डाल देगी। यह घेरा बांसी में भी ११ जुलाई को डाला था। वह घेरा १ हजार से शुरू हुआ और ४ हजार आदमी उस में जमा हो गये और वह १७ तारीख तक डटे रहे। देवरिया की सोशलिस्ट पार्टी ने जिलाधीश को १५ जुलाई को

[श्री उग्रसेन]

अपनी नोटिस दे दी है कि अगर हमारी ये मांगें जिनकी सूची सरकार के पास आ गई है, ८ अगस्त तक पूरी नहीं हुई तो देवरिया के किसान भूखे मरते हुये भी उनका घेरा डाल देंगे। वह इन मांगों के लिये जेल जायंगे और जेल नहीं जायंगे तो अस्पताल जायंगे या कहीं भी जायेंगे वह अपनी मांगें पूरी करायेंगे।

मुझे तो मजदूरों की तरह से पत्रकारों की हालत पर भी तरस आता है। उत्तर प्रदेश की सरकार उनके मामले में भी बंगलिंग कर रही है। मुझे तजुर्बा है और मैं एक मामला कोट करना चाहता हूं। श्री के० पी० अवस्थी जो पहले 'अमृत पत्रिका' में थे अब 'भारत' में हैं उनके मामले को सरकार ने अदालत में भेजा। बाद में उनको सरकार ने चिट्ठी लिखी कि तुम्हारा मामला अब विचाराधीन नहीं है। यह पत्रकार जो हिन्दुस्तान को बनाने के लिये काम करते हैं और प्रदेशीय सरकार की भी सहायता करते हैं, उनकी यह दुर्दशा है तो फिर कारखानों के मजदूरों की क्या हालत होगी वह आप समझ सकते हैं।

देश में हरिजनों की जो दुर्दशा है उसको भी आप जानते हैं। पिछड़े वर्ग के कमीशन की रिपोर्ट आज तक सरकार ने लागू नहीं की है।

जब सारे प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति है तो देश के पूर्वांचल से ही इस क्रान्ति का प्रादुर्भाव होगा क्योंकि लाली पूर्वांचल से ही आती है और मैं प्रदेशीय सरकार को फिर चेतावनी दे देता हूं कि आप कुर्सियों पर केवल बैठे न रहें। आप चेतें, हमारी असली मांगों को हमें दें। केवल यह कहने से कि अब कोई भूखा नहीं मरेगा अब काम नहीं चलेगा। शान्ति की बात आप करते हैं, लेकिन शान्ति लोगों को भूखा मार कर नहीं रह सकती है यह आप जान ल।

**श्री गोविन्दसहाय** (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण को काफी गौर से पढ़ा और मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि उस भाषण में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी को विरोध करने की कोई गुन्जायश हो। उन्होंने कुछ पुरानी बातों का चर्चा किया है और कुछ जो काम आगे सरकार करना चाहती है उसका तजकिरा किया है।

मैंने अपोजीशन लीडर, श्री त्रिलोकीसिंह जी, का भाषण भी सुना और उस के पश्चात् मेरी यह राय और भी दृढ़ हो गई कि इस भाषण में विरोध की कोई बात नहीं है। श्री त्रिलोकीसिंह जी का कहना है कि महामान्य राज्यपाल ने जो बातें कही हैं वह तो कही हैं, उन से उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ और बातें जो कहना चाहिये थीं वह उन्होंने नहीं कही हैं। यानी उन्होंने बेरोजगारी बढ़ रही है यह नहीं कहा है, उन्होंने नहीं कहा है कि पूर्वी जिलों की हालत खराब हो रही है। इस किस्म की कुछ बातें उन्होंने अपने अमेंडमेंट में पेश की हैं। मेरा खयाल है कि अगर इस अभिभाषण को पढ़ा जाय तो आप देखेंगे कि उस में इन सब बातों का चर्चा है सिर्फ कहने के तर्ज में फर्क है। महामान्य राज्यपाल ने कुछ बातें कबूल की हैं जैसे अन्न की समस्या अभी हल नहीं हुई है। उस के लिये कुछ प्रयत्न हुये हैं, लेकिन बावजूद उन प्रयत्नों के और भी करना बाकी है। इस के अंदर जितनी बातें त्रिलोकी सिंह जी ने कही हैं उनका चर्चा जरूर है सिर्फ तरतीब में फर्क है। एक दानिशमंद आदमी तरतीब के साथ हर काम करने की कोशिश करता है और किसी समस्या को हल कैसे किया जाय उसको बताने की चेष्टा करता है। मेरा खयाल है कि श्री त्रिलोकीसिंह जी का जो अमेंडमेंट है वह कहीं और फिट होता हो या न होता हो, लेकिन इस जगह फिट नहीं होता। यह बातें इस तरीके से कही नहीं जा सकतीं।

अब मैं अभिभाषण पर आता हूं। यह सही है कि सरकार की बुनियादी पालिसी पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है कि यहां यह तब्दीली की जरूरत है, यहां यह खामी है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उन बातों को आज उठाने का मौका है। इस सिलसिले में उनको उठाना चाहिये ? अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने कुछ चीजों का चर्चा

किया है, जैसे प्लानिंग के बारे में उन्होंने चर्चा की है और यह बताया है कि ४३ प्रतिशत के करीब रकबे और इतने लोगों तक हमारी पहुंच हुई है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि इसमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और इस में अजसरेनौ गौर करने की जरूरत है । मैं नहीं समझता कि इसमें क्या विरोध हो सकता है किसी को । मैंने अपोजीशन लीडर से खुद बतचीत की थी और उन्होंने कहा कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब को सुझाव दिया था कि इस बात के आंकने की जरूरत है और इस के लिये जांच कराई जाय । अब अगर इसमें कोई खामी हो सकती है तो यही कि मैं उसका चेयरमैन हूं । मैं यह तवक्को करता था कि यह एक ऐसा प्रपोजल है कि जो हर स्टेट में आना चाहिये क्योंकि जो प्रोग्राम बना है उसको आंकने, देखने और जरूरत हो तो तब्दील करने की जरूरत है । तो मैं समझता था कि वह इसका स्वागत करेंगे ।

इसी तरह से कोआपरेशन का उन्होंने चर्चा किया है । राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हमारे मौजूदा कोआपरेशन के जो तरीके हैं उनमें असंतोष है । सही है, मौजूदा कोआपरेशन की जो मशीनरी है, जो तरीके हैं उनमें तब्दीली की जरूरत है । कोआपरेशन से वह नतीजे नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिये । कोआपरेटिव सोसाइटियां बढ़ रही हैं, लेकिन जनता में कोआपरेशन की स्प्रिट नहीं फैल रही है । यह हकीकत है जिसे हमें कबूल करना चाहिये । इसके लिये राज्यपाल महोदय ने संकेत किया कि हम भी अनुभव करते हैं कि कोआपरेशन के तरीके में तब्दीली की जरूरत है और इस के लिये हमें जो कोआपरेटिव्ज का ढांचा है उसको बदलना होगा । उसके लिये एक बिल की जरूरत है तो एक बिल लाना पड़ेगा । एक बात उन्होंने कही है और मैं तवक्को करता था कि उसकी सराहना की जायगी । उन्होंने इस बात को माना है कि अच्छा कोआपरेशन--जेल, पब्लिक वर्क्स और इरीगेशन के कामों में, जिनको अब तक प्राइवेट ठेकेदार करता था, उन में हो सकता है । इन कामों को अब कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिये जाने की कोशिश होगी । यह एक ऐसा सुझाव है जो तवक्को करता था कि उसका स्वागत हो ।

अभी आपसी कोआपरेशन की चर्चा की गई । कहा गया कि ट्रूस हो । यही काम है कि जिनमें ट्रूस की आवश्यकता है । कांग्रेस और पी० एस० पी० मिल जांय, यही ट्रूस नहीं है । हमारा ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि सोशलिस्ट समाज बनाने में जो हमारे बुनियादी कदम हैं उनको हम मिल कर उठायें और अपने प्रदेश और देश में ऐसी कंडीशन्स पैदा करें कि जिनमें हमारे ये एक्सपैरीमेंट्स कामयाब हो सकें । इसलिये मैं समझता हूं कि कोआपरेशन के क्षेत्र में जरूरत है इस किस्म के ट्रूस की । लोगों के दिलों में यह खयाल जमाना होगा कि जो मुनाफा एक आदमी कमाता है उससे समाज के विभिन्न लोगों में संघर्ष की भावना पैदा होती है और इसलिये उसके मुकाबले में कोआपरेटिव की भावना एक अच्छी भावना है ।

इसी तरह से राज्यपाल महोदय ने पूर्वी जिलों का जिक्र किया । पूर्वी जिलो की वैसी हालत है या नहीं जैसी कि बयान की जाती है, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा लेकिन जैसा कि कहा जाता है अगर उसको मान भी लिया जाय कि पूर्वी जिलों की स्थिति ऐसी खराब है कि लोग अनाज के बजाय गुठली खा रहे हैं तो यह और भी इस बात की वजह है कि इस प्राब्लम पर हावी हुआ जाय और जो आज उन लोगों की शोचनीय दशा है, उस पर कैसे हम हावी हो सकते हैं, इसका उपाय सोचा जाय । जहां तक राज्यपाल महोदय का ताल्लुक है उन्होंने इस ओर सिर्फ इशारा किया है कि बावजूद कोशिश के, कुदरत के साथ न देने के कारण हम इस समस्या पर काबू नहीं पा सके हैं । लेकिन अब भी अगर हमारी खाद्य स्थिति ऐसी खराब है तो वह हमारे लिये एक शर्म की बात है । हमारी सारी तरक्की इस बात पर मुनहसिर करती है कि हमें रा मेटीरियल मिल सके चाहे वह कृषि से ताल्लुक रखता हो या इंडस्ट्री से । हम यह अभी तक नहीं कर पाये हैं । पूरी तरह से हम उनको मुहैया नहीं कर पाये हैं । कुछ किया है जैसे सायल के बारे में हमने लोगों को जानकारी करायी है, किस जगह और किस समय में कौन-सी चीज बोनी चाहिये, यह भी लोगों को बताया है, लेकिन अभी इस पर पूरी तरह से हम हावी नहीं हो पाये हैं । अब यह कैसे किया जाय, इस तरफ हमें ध्यान देना है । रोज-रोज ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात कहना, कुछ मौजूं नहीं मालूम पड़ता । ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की हालत खराब है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता

[श्री गोविन्दसहाय]

और न उसके इन्कार करने से ही कोई फायदा है । लेकिन अब प्रश्न यह है कि वहां के लोगों के मॉरेल को किस प्रकार से ऊंचा किया जाय, जिससे वे इस मुसीबत का मुकाबला कर सकें, जिससे वे अपनी जमीन से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें ।

हमने जो अपने सूबे का या सारे देश के लिये जो पोलिटिकल ढांचा कबूल किया है, उससे उलझनें बढ़ती जा रही हैं । मौजूदा पोलीटिकल ढांचे में यह मानते हैं कि इधर के लोगों का फर्ज है कि वाह वाह करें और उधर के लोगों का फर्ज है कि वे मुखालिफत करें, लेकिन यह मुल्क की तरक्की के लिये मुजिर हो रहा है । मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्यों ये बातें होती हैं, लेकिन यह जरूर है कि हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा कि किस प्रकार से हम गरीबी और भूख का मुकाबला कर सकते हैं और किस प्रकार से भ्रष्टाचार से लड़ा जा सकता है । भ्रष्टाचार का ताल्लुक केवल एक तबके से नहीं है । हमारे सारे समाज का ढांचा ही उसके मातहत है । समाज के दर्शन में, उसकी कार्य-प्रणाली में, उसकी शिक्षा और शासन में, वह निहित है । उसका मुकाबला करने के लिये हमें चौतरफा अटैम्प्ट करना होगा । भ्रष्टाचार केवल कहने मात्र से दूर न हो सकेगा । एक बात हम लोगों में घर कर गई मालूम होती है कि भ्रष्टाचार परिणाम में उतना बुरा नहीं है, सिर्फ उसके बारे में कहते रहना चाहिये । जो आज की अदालत का ढांचा है, शासन का ढांचा है, व्यापार का ढांचा है उन में कहीं भी आदमी भ्रष्टाचार को बुरा नहीं कहता है ।

अगर उसके पास पैसा होता है तो समाज उसकी इज्जत करता है, समाज उसका सम्मान करता है । अदालत में भी अगर आप जाकर देखें तो अदालत में जो झूठ बोल आता है वह निकल आता है, अगर सच बोलता है तो सजा खाता है । तो इसके लिये एक टोटल अटेम्प्ट करना होगा, एक टोटल मोबीलाइजेशन करना होगा और उसके लिये ट्रूस जरूरी है, बजाय इसके कि हम भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार रोज चीखते रहें और एक दूसरे को कहते रहें । अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं माफी चाहूंगा कि मेरा अनुभव तो यह बतलाता है कि भ्रष्टाचार की चर्चा ज्यादातर वे ही लोग करते हैं जो भ्रष्टाचार करने में गुरेज नहीं करते हैं । एक फैशन हो गया है कहने का कि भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार । इस तरह से भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं किया जा सकता है ।

एक बात अन्त में मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । शिक्षा का जहां तक ताल्लुक है, जैसा कि अभी बतलाया गया है शिक्षा के ऊपर पैसा बढ़ा है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा का बजट बढ़ गया तो शिक्षा भी बढ़ गई । अगर शिक्षा का बजट चौगुना भी बढ़ जाय और शिक्षा की प्रणाली पुरानी ही हो तो उसके नतायज कुछ भी नहीं निकलेंगे । इस-लिये शिक्षा के बारे में हमको यह करना है कि शिक्षा प्रणाली में इस तरह की तब्दीली करनी है जिससे शुरू ही हम बच्चे के दिल व दिमाग को उस तरफ मोड़ सकें जिससे वह आगे चलकर तरक्की कर सके । जहां तक छठें दर्जे तक की तालीम का ताल्लुक है, उसके बारे में सरकार को अजसरे नौ सोचना पड़ेगा और अपने सोचने के ढंग में शुरू से ही तब्दीली करनी होगी, तभी हम शिक्षा की तरक्की कर सकेंगे ।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी की स्पीच को मैंने सुना । उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी मिले । उन्होंने एक सुझाव यह दिया कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग कर दिया जाय । मैं आपसे सच कहता हूं और, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं उन तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि यह जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन की मांग तो लिबरल लोगों की थी । आज जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है और आज मांग तो यह होनी चाहिये कि जो मौजूदा जुडिशियरी है उसके सोचने और समझने के ढंग में तबदीली होनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह यकीन है कि जो मौजूदा जुडिशियरी है, आज उसकी यह हालत है कि वह पोलीटिकल पार्टीज के मामले में भी दखल देने लगी है और कहती है कि हम उसको रोक सकते हैं । मैं तो इस तरह की मांग को जो सेपरेशन की है कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं समझता, बल्कि मैं तो इसको

बिलकुल पिछड़ा हुआ २५-३० साल पहले का कदम समझता हूं । जुडिशियरी को अपने सोचने के ढंग को बदलना होगा। इसके लिये कांस्टीट्यूशन ने जो फंडामेंटल हैं, उनके इंटरप्रिटेशन के खयाल में सुधार करना होगा । महज बेकारी और गरीबी का नारा लगाने से कुछ नहीं होने को है ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने बड़ी बुनियादी बातें अपने अभिभाषण में कही हैं । यह मैं नहीं कहता कि जो कुछ किया गया है सब से ठीक नतायज निकले हैं, बहुत से अनुभव हुये हैं, बहुत के ठीक नतायज निकलें हैं, बहुत के ठीक नतायज नहीं निकलें हैं, लेकिन प्रयत्न हुआ है । इस तरह से पता चलता है कि खेती की पैदावार बढ़ाने में, शिक्षा को बढ़ाने में , कोआपरेशन के अनुभव से जो नतायज आये, उनके अनुसार काफी तब्दीली करने का प्रयत्न किया गया है । तो जहां तक प्रयत्न होना चाहिये, कंट्रीब्यूशन डिबेट का तभी हो सकता है, जब कि उसके ढांचे में तब्दीली हो । उसके सोचने और समझने के ढंग में तब्दीली होनी चाहिये । अगर आपने यहां बिल पास कर दिया तो महज बिल पास कर देने से ही लोगों का दिल व दिमाग नहीं बदल जायगा, महज माडेल कानून पास कर देने से ही लोगों का दिल व दिमाग नहीं बदला करता, जब तक कि बिल के बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं कराई जाती । इसलिये मेरा यह विचार है कि बार-बार एक ही बात को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है । मुझे तो इस बात से बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हर विषय के बारे में एक ही किस्म की बात यहां होती है, वही पूर्वी जिलों की दास्तान, वही भूख, गरीबी, बेकारी, इस तरह से कोई मसला हल होने वाला नहीं है । मसले को हल करने के लिये हमको सोचने, समझने और मिलजुल कर बैठने का मौका होना चाहिये ।

अगर हमने डेमोक्रेसी को इसी तरह से ट्रीट किया कि इधर के लोगों ने केवल वाह-वाह कर दी और उधर के लोगों ने चाहे जितनी अच्छी बात हो न- न कर दी तो हम डेमोक्रेसी में कंटेम्प्ट ले आयेंगे । अभी त्रिलोकीसिंह जी ने इशारा किया कि आज लेबनान में जो हो रहा है यहां भी कुछ ऐसी ही बातें हो सकती हैं । मैं उन बातों को तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि जिस तरह से हम लुढ़क रहे हैं, जिस तरह से हमारा बरताव , भाषा और प्राबलम्स को हल करने का तरीका बन गया है उससे डर लगता है कि कहीं जनतंत्र के प्रति लोग घृणा न करने लगें । मौके बे मौके एक खास किस्म की बात कहने का कहीं डेमोक्रेसी प्लेटफार्म न बन जाय । जनतंत्र और सोशलिज्म में जिनका विश्वास है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है और मेरा यह पक्का यकीन है कि किसी तरह से ट्रूस की जरूरत है और ट्रूस का मतलब है कि अच्छे काम जो हैं सोशलिज्म में उनकी तरफ हम सब मिलकर लोगों का एतकाद पैदा करें । आज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में लड़ाई हो रही है और तरह-तरह से प्राइवेट सेक्टर यह साबित कर रहा है कि पब्लिक सेक्टर में करप्शन है ।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की जो तारीफ की जा रही है और कारण बतलाया गया है कि प्रदेश की सरकार ने सामाजिक और आर्थिक बड़ी उन्नति की है, पुलिस प्रशासन में बड़ा सुधार हुआ है, तो, मान्यवर, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है । यदि देखा जाय तो उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं । अगर नंगी और भूखी जनता सरकार के समक्ष अपनी बात कहने के लिये उसका दरवाजा खटखटाती है तो वहां पुलिस किस तरह से लोगों को घसीटती है, मारती है यह गौर करने की बात है ।

मान्यवर, एक तार नौगढ़ तहसील जिला बस्ती से हमारे जनसंघ के नेता राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे के पास आया है । उसमें लिखा है कि नौगढ़ तहसील की भूखी जनता करीब १ हजार के तहसील के आस-पास नारे लगा रही थी कि हमको रोटी दो । इस पर सरकारी कर्मचारियों ने उस गरीब और निरीह जनता पर जो अत्याचार किया है वह बहुत ही निन्दनीय है । करीब ४६ महिलाओं को जमीन पर घसीटा गया, उनको जूतों से मारा और जिन महिलाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

की गोद में बच्चे थे उनको छीनकर उनके समक्ष पृथ्वी पर पटका गया और जिन आदमियों ने उनके लिये किसी प्रकार भोजन की व्यवस्था की थी उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है । अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि १५०–२०० आदमियों ने तहसील को घेर लिया था । मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वे मेरे साथ ठीक तरह से जांच करने की कृपा करें और नौगढ़ तहसील चलें तो देखेंगे कि किस प्रकार से, कितने लोगों को चोटें पहुंची हैं, लोगों को मारा गया है। श्रीमन् मेरे पास ब्योरा है डिटेल में और उन आदमियों के नाम हैं जो बेहोश होकर गिर गये थे । बच्चों को नोकीले हथियारों से छेदा गया है और औरतों के बाल पकड़कर उनको घसीटा गया है । माननीय मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी करके सदन में मेरी बातों का स्पष्टीकरण दें ।

कहा गया है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरने दिया गया है, जब कि हमारे खाद्य मंत्री जी ने यहां यह माना है कि देवरिया जिले में एक महिला भूख के कारण मरी । आम की गुठली को खा-खा कर उसने अपने प्राणों को त्यागा । अभी अखबार में निकला है कि सहारनपुर, रुड़की में एक मिस्त्री अदालत में आया और बयान दिया कि उसने कत्ल कर दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाय । सहारनपुर जिले में ज्वालापुर में जो कत्ल हुआ उसी के सम्बन्ध में उसने कहा था । वह निर्दोष व्यक्ति था, उसने केवल इसलिये किया कि भूखा था, गरीब था । जब चारों तरफ से निराश हो गया तो अदालत में आ करके अपने को जुर्मी बताया । लेकिन जब कोई जुर्म उसके खिलाफ साबित नहीं हुआ तो उसने मैजिस्ट्रेट के सामने आंखों में आंसू भर कर कहा कि चूंकि मुझे कहीं कोई रोटी नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया जिससे मेरी भूख मिटती तो मैंने ऐसा किया। प्रदेश की ऐसी दशा हो और फिर भी कहा जाय कि यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में उन्नति कर रहा है तो आश्चर्य होता है । हां, भूख में, अत्याचार में जरूर उन्नति कर रहा है । वास्तविक उन्नति केवल कागजी है ।

एक सदस्य ने कहा कि भ्रष्टाचार की बड़ी दुहाई यहां दी जाती है । भ्रष्टाचार केवल सरकारी आफिसों में ही नहीं जनता में भी है । जनता दूध में पानी मिलाती है, घी में वनस्पति मिलाती है । ठीक है, लेकिन बात कुछ ऐसी ही थी यदि हमारी सरकार दिन को रात कहे तो कुछ साथी उसको रात ही कहते हैं । भ्रष्टाचार वहीं है । जब घी में कोई मिलावट करता है और पकड़ा जाता है तो उसको उचित दंड भी नहीं दिया जाता और वहीं भ्रष्टाचार हो जाता है । जब कहा जाता है जनता खुद ऐसा भ्रष्टाचार कराती है तो जनता के स्तर को ऊंचा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है । वह किसी को भूखा न मरने दे । सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न हो जिससे यहां के सामाजिक स्तर में कोई कमी आये , लेकिन आज वह नहीं हो रहा है ।

सिंचाई के बारे में कहा जाता है कि पहले से कहीं अधिक सिंचाई होने लगी है । अगर किताबों को ही पढ़कर संतोष कर लें तब तो ठीक है, लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और ही है । नहरों में पानी ठीक समय पर नहीं आता है, ट्यूबवेलों की मशीन ठीक समय पर नहीं चलती और गरीब किसान का बीज तक भी खेत से नहीं निकलता, खाने की तो बात ही क्या है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सरकार का ध्यान नहीं जाता है । जहां मंत्रियों की कारें पहुंच जाती हैं वहां तो कुछ होता है लेकिन वह बीहड़ जहां के निवासी केवल गुठली खा करके और पेड़ों की पत्तियां खा करके गुजर करते हैं उनके सुधार के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई । इटावा जिले में जमुना और चम्बल के बीच का जो क्षेत्र है जिसे पार पट्टी कहते हैं, ११ साल भारत को स्वतंत्र हुये हो गये, लेकिन मान्यवर, अभी तक वहां १ मील भी सड़क नहीं बनायी गई । एक भी ट्यूबवेल नहीं बनाया गया । सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे वहां का गरीब किसान अपने खेतों को हरा-भरा कर सके । कोई पुल नहीं बनाया गया । डकैतों का गढ़ है । सरकार का लाखों रुपया उनके पकड़ने और मारने में खर्च होता है । एक मानसिंह खत्म कर दिया, सैकड़ों मानसिंह तैयार हो जाते हैं । सरकार इन सब बातों की तह में नहीं जाती कि आखिर वहीं क्यों ऐसा होता है । वहां के आदमियों के लिये सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां की जनता के स्तर को

ऊंचा करने के लिये कुछ भी नहीं किया जाता है । परिणाम यही होता है कि वह मजबूर हो जाते हैं डकैत बनने के लिये । तो ऐसी स्थिति में अगर इन सब की जड़ में पहुंचा जाय कि इतने घृणित काम क्यों करते हैं, तभी कुछ समस्या का हल हो सकता है, अन्यथा नहीं, और उसका एक मात्र इलाज है कि वहां इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वहां के मनुष्य अपनी उन्नति कर सकें, उन्हें सिंचाई की सुविधा मिले, आने-जाने के मार्ग हों । सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वहां का आदमी ऐसे घृणित कार्य करने के लिये बाध्य न हो । मान्यवर, वह हमारा क्षेत्र जो इटावा जिले में पारपट्टी का है वहां पर करीब-करीब तीन चार जगह जमुना और चम्बल को पार करना पड़ता है, लेकिन वहां कहीं पर भी किसी पुल की व्यवस्था नहीं है । जब कि वहां पर तमाम फोर्स पड़े रहते हैं । अगर वहां पुल बन जाय तो ट्रेफिक के आने जाने में बहुत आसानी हो सकती है और पुलिस फोर्स भी डाके आदि की सूचना मिलने पर समय से पहुंच सकती है, लेकिन अब पुल न होने से होता यह है कि सूचना मिलने पर भी पुलिस के दल ८, १० और १२ घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंच पाते हैं और डाकू निकल भागते हैं और कोई साज-सज्जा आदि वहां नहीं पहुंच पाती ।

अभिभाषण में सड़कों के बारे में लिखा है कि प्रदेश में करीब-करीब सैकड़ों मील पक्की सड़कें बनाई गईं, लेकिन अगर आप देखें तो इन पक्की सड़कों की हालत यह है कि वह इधर पूरी बनने नहीं पातीं और टूटनी शुरू हो जाती हैं और कच्ची से भी बदतर हो जाती हैं, क्योंकि वह थोड़ी सी मिट्टी डालने के पश्चात् पक्की कर दी जाती हैं और थोड़ा सा ट्रेफिक चलने के बाद ही वे खराब हो जाती हैं ।

शिक्षा की भी यहां ऐसी ही व्यवस्था है । हमारे पड़ोस में पश्चिम में पंजाब प्रदेश है जहां पर हाई स्कूल तक की शिक्षा फ्री कर दी गई है और किसी विद्यार्थी पर कोई शुल्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी सरकार ने केवल ६ठे दर्जे तक की शिक्षा फ्री की है । हमें आशा थी कि इस साल ऊपर के दर्जा सातवें-आठवें में भी साफ की जायगी और उसके फलस्वरूप हमारे यहां के गरीब लड़के भी पढ़ सकेंगे, लेकिन उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

एक कठिनाई हिन्दी लिपि के बारे में भी है । हमारी सरकार इस तरह के एक्सपेरीमेंट्स बच्चों पर करती है जिन पर देश का भार भविष्य में आने वाला है । पहले न मालूम सरकार के दिमाग में क्या विचार आया कि उसने लिपि बदल दी और एक नई लिपि बच्चों को पढ़नी पड़ी, लेकिन इम्साल फिर वही पुरानी लिपि आ गई और इस तरह से कितना लेबर, कितना लिटरेचर, कितनी पुस्तकें खराब हुईं और इस गरीब प्रदेश का कितना रुपया बरबाद हो गया । जो बेचारे बच्चे दर्जा ५ तक नई लिपि पढ़ चुके थे उनको अब फिर उसे भूल कर पुरानी लिपि पढ़नी होगी । हमारी समझ में नहीं आता कि इस तरह के एक्सपेरीमेंट सरकार बच्चों पर क्यों करती है । ऐसा मालूम होता है कि किसी जगह भी सरकार की कोई स्थिर पालिसी नहीं है, आज कुछ और कल कुछ हो जाती है । आज योजना बनती है, वह पूरी नहीं हो पाती और बिगड़ जाती है ।

हमारी समझ में नहीं आता कि अभी थोड़े दिन से फिर हिन्दी, उर्दू का प्रश्न चल गया । इसको उठाने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब फिर वही बात कि यहां उर्दू भाषा भी चले, इस तरह की बातों से हिन्दू-मुसलमानों के बीच खाई डाली जाती है । अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और कोई उर्दू का सवाल नहीं रह गया था । यह बात बरसों पहले ठीक हो गई थी और हर आदमी आसानी से हिन्दी में काम करने लग गया था और कर सकता है ।

इसी तरह से यह भी कहा जाता है कि हमारी सरकार ने हर तरह से हर एक के लिये न्याय बड़ा सुलभ कर दिया, लेकिन हो यह रहा है कि एक छोटे से मुकदमें के लिये जो दो तारीखों में हल हो सकता है सालों तक कचहरी में दौड़ना पड़ता है और न्याय के लिये सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता । लोग अपना पैसा और समय बरबाद करते हैं । अधिकारी वर्ग लोगों को झूठ-मूठ परेशान करने के लिये १०७ के मुकदमें चला देते हैं, जो

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

एकतरफा होते हैं और केवल परेशान करने के लिये होते हैं । उसमें कोई सजा नहीं होती, बो चा : गवाहियों के बाद ठीक हो सकता है, लेकिन वह नहीं होता । आज कर्मचारियों में विश्वास नहीं रहा । उनको ९–१० साल कार्य करते हो गये , लेकिन उनको स्थायी नहीं किया जाता, उनकी आयु भी कहीं पर कार्य करने योग्य नहीं रह गई है । आज जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को ९ साल कार्य करते हो गये, बहुतों की आयु दूसरी जगह कार्य में जाने की नहीं रही, लेकिन उनको मुस्तकिल नहीं किया जाता है । वह २५ साल से ऊपर हो गये । अब किसी सरकारी नौकरी में नहीं लिये जायेंगे । यदि वह सरकारी काम में निपुण है तो उनको क्यों नहीं मुस्तकिल किया जाता है ? छोटे-छोटे क्लर्क बर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन उन को मुस्तकिल नहीं किया जाता है और हर तरह से परेशान किया जाता है । यही कारण है कि भ्रष्टाचार अधिक है ।

**श्री उबैदुर्रहमान** (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मैंने कल विरोधी दल के नेता की तकरीर को बड़े गौर से सुना और जितना मुझसे हो सका मैंने उसको समझने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे इस चीज को जाहिर करने में कोई झिझक नहीं है कि मैं जिस मयार और जिस स्टैन्डर्ड की उम्मीद रखता था उससे मैंने उनकी तकरीर को बहुत नीचे पाया। जो तकरीरें उधर से हुईं वह वही थीं जो आर्डिनरी डिबेट में हम रोज सुना करते हैं अपने साल के ३६५ दिनों में। हम सब जानते हैं कि गवर्नर साहब का एड्रेस एक सालेम डाकुमेन्ट (solemr document) होता है, उसमें एक पालिसी बयान की जाती है और उस पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिये । उस पर उनको धन्यवाद या मुबारकबादी देने का एक तरीका होता है । अगर हमारा पालिसीज के मामले में कोई इख्तिलाफ भी होता है तो उसको जाहिर करने का भी एक स्टैन्डर्ड होता है । लेकिन अफसोस है कि हमारे सामने जिस तरह से कल चीजें रखी गईं और बाज मेम्बरान ने आज भी रखीं वह कुछ इस तरह की मालूम होती हैं जैसे कुछ रटी हुई चीजें हैं । बेरोजगारी और भूख वगैरह और इसी किस्म की और चीजें और उन्हीं को यहां बार-बार दोहरा दिया जाता है । हमें भी यह तकलीफें याद हैं इनको बार-बार याद कराने की जरूरत नहीं है । यह मसायल जैसे उन के सामने हैं हमारे सामने भी हैं, हमारी आंखों से ओझल नहीं हैं, लेकिन उनको इस एड्रेस के मौके पर इस तरह से लाने का और इख्तिलाफ जाहिर करने का मौका नहीं था और ताज्जुब की बात यह है कि जो संशोधन लाये गये हैं वे भी बड़े लुत्फ के आये हैं । इस तरह के भी आये हैं कि साहब हमारे यहां चूल्हा नहीं जला---मैं यह स्तआरे के तौर पर कह रहा हूं जिसे मैटेफर कहते हैं--या बनारस में यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ इस तरह की तकरीरें गवर्नर के एड्रेस पर हो रही हैं । अगर मैं वाकिफ नहीं हूं तो अपने अलफाज को वापस ले लूंगा, लेकिन अगर मैं पार्लियामेंटरी प्रोसीजर से कुछ थोड़ा-सा भी वाकिफ हूं तो मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि इस तरह के संशोधन गवर्नर के एड्रेस पर कहीं भी किसी पार्लियामेंटरी प्रोसीजर में नहीं मिलेंगे । इस मौके पर पालिसीज का सवाल लाया जाता है और जैसा कि माननीय गोविंद सहाय जी ने कहा कि विरोधी दल के नेता ने कोई इख्तिलाफ नहीं किया है, बल्कि जो चीजें उन्होंने पेश की हैं वह यह हैं कि कुछ ऐसी बातें थीं कि जो उन्होंने इसमें नहीं रखी हैं । यह अजीब इत्तफाक की बात है कि श्री गोविंदसहाय जी ने जिन चीजों की तरफ इशारा किया है कि विरोधी दल को शिकायत है कि गवर्नर के एड्रेस में बहुत-सी बातों का जिक्र नहीं है हालां कि उनका जिक्र मौजूद है । मैंने भी अपनी जगह पर वैसे ही गौर किया और महसूस किया कि सब इसके अन्दर मौजूद है । मगर बहरहाल अपोज करना चाहिये । तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जो मेयार अपोजीशन का है वह हमारी तवक्कोआत के खिलाफ है ।

इसके अलावा एक गुजारिश मैं और भी करना चाहता था और वह यह कि यह जो हमारे मसले हैं उनमें वक्त पर पानी न बरसने की वजह से एक मसला गिजा का हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, पश्चिमी जिलों में या पूर्वी जिलों में या और कहीं भी । बहरहाल, हमारे सूबे के अन्दर यह मसला है और इन गुजिश्ता तीन-चार सालों से कभी बाढ़, सैलाब और कभी सूखा एक के बाद एक

बीगरे चल रहा है। तो इससे यह मसला जरूर खड़ा हो गया है और जैसा कि मैंने अर्ज किया, हर शख्स वाकिफ है और इसका हल कैसे हो सकता है इससे भी हम वाकिफ हैं। इसके मुतालिक जो मिसालें दी गयीं कि साखू का एक फल होता है और दो तीन दिन उसको सुखाया जाता है, उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है, उससे कुछ सेहत को नुकसान भी पहुंचता है, सही है। पानी में एक चीज पैदा होती है, उसे उधर दहकानी जबान में "भसींड़" कहते हैं, उसका बिर्रा निकलता है, एक वह भी होता है। मैं अपने बचपन की बातें कर रहा हूं कि अंग्रेजी जमाने से हम इस चीज से वाकिफ हैं। मेरे यहां एक मामा थी जो खाना पकाया करती थी और वह साखू के फल को भी खाती थी। उस वक्त भी जबकि कहत नहीं पड़ता था। यह जो पानी में फल होता है "भसींड़" जिसका बिर्रा होता है उसको भी वह इस्तेमाल करती थी। चुनांचे जब हम छोटे-छोटे थे तो हम भी शौकिया खाया करते थे। (व्यवधान)

मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन्सान अपने जीने का रास्ता निकाल लेता है। यह हमें अच्छा नहीं मालूम होता है कि हम सड़े-गले जख्मों को बाहर ले जाकर दिखलायें। जख्म हमारे और आपके पास दोनों के हैं। शायद आप भूल गये इसको कि हमारा वह मुल्क है जो हजारों वर्ष की गुलामी के बाद आजाद हुआ है। आज जिन आदमियों को लेकर हमें काम करना है, वह किस किस्म के हैं, सारी जिम्मेदारी जिन पर है, जिन मोहरों से हमें शतरंज खेलनी है वह किस किस्म के हैं, यह आपको बखूबी मालूम है। जिन इस्तेमाल शुदा ईंटों से चूना और प्लास्टर छुड़ा करके हमें उनको इस काबिल बनाना है कि वह दूसरी इमारत की तामीर में लगायी जा सकें उनकी क्या हकीकत हो सकती है, यह आप समझ सकते हैं। एक वह ईंट होती है जो नयी होती है, जिसमें सीमेंट लगा कर उसे फौरन कारीगर लगा सकता है और एक वह सीमेंट और चूना लगी ईंट होती है जो इस्तेमाल हो चुकी होती है। वैसी ही ईंटें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक मेटाफर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जिन आदमियों से हमें काम लेना है वह किस किस्म के हैं इससे आप भी और हम भी वाकिफ हैं।

मैं बस्ती एक केस आर्गू करने के लिये गया। वहां मालूम हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से वहां पर कुछ बेचारे गांव वालों को बता दिया गया कि तहसील में गल्ला तकसीम हो रहा है और कपड़ा तकसीम हो रहा है, तुम लोग चलो। चुनांचे वह तहरीक इस किस्म की चली, मेरे खयाल में स्टेट वाइज एक स्लोगन सोशलिस्ट पार्टी का मिला कि "घेरा डालो"। चुनांचे हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो मुकामी थे उन्होंने घेरा डाला। ज्यादातर उसमें औरतें थीं, ८० फीसदी, और उन्होंने घेरा डाल दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि तीन दिन तक तहसील का काम रुका रहा। इन्तहाई सब्र के साथ तहसीलदार ने काम लिया। सुबह वे लोग आते थे और शाम को चले जाते थे।

**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)---मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का जिक्र किया और साथ में यह भी कहा कि सोशलिस्ट स्लोगन था कि 'घेरा डालो' और उन्होंने तहसील को घेर लिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे किस जगह का वर्णन कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**--यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह तो आप इन्फार्मेशन चाहते हैं। आप कृपा करके बैठें। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

**श्री उबैदुर्रहमान**---मैं अर्ज यह कर रहा था कि हमारी जो कमजोरियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं उनसे जितना हमारे विरोधी दल के भाई वाकिफ हैं उतना ही हम भी वाकिफ हैं। लेकिन बहरहाल, अपना-अपना काम करने का एक तरीका होता है। उनको शिकायत यह है कि गवर्नर साहब ने ऐड्रेस में भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया। मैं कहता हूं कि इसमें सारी चीजें मौजूद हैं। मगर जाहिर है कि अपने कहने का और डील करने का एक तरीका होता है। अगर गौर से पढ़ा जाय तो वह भी इसके अन्दर मौजूद है। हो सकता है कि पानी न बरसे और सूखा पड़ जाय। मगर मेरे खयाल में हिन्दुस्तान के रहने वाले भूख

[श्री उबैदुर्रहमान]

बर्दाश्त कर लेने के आदी हो गये हैं। उनको उनके मजहब ने यह सिखाया है, मुसलमानों को भी और हिन्दुओं को भी और दूसरे लोगों को भी। उनको भूख है, लेकिन पेट पर पत्थर बांधे हुये हैं। यह नहीं है कि हर वक्त भूख-भूख और रोटी-रोटी चिल्लायें। यह गवर्नमेन्ट का कसूर नहीं है कि पानी नहीं बरसा, यह गवर्नमेन्ट का कसूर नहीं है कि सूखा पड़ गया या सैलाब आ गया। मगर यहां तो यह है कि अगर अंगुली में भी दर्द हुआ तो पंडित नेहरू का कसूर हो गया या सम्पूर्णानन्द जी का कसूर हो गया। आप एतराज जरूर करें, लेकिन कुछ पालिसी की बातें बतलायें। हम उस पर अमल न करें तो हमारा कसूर है। यह तो वही हिसाब है कि जैसे सड़क के किनारे बैठने वाला एक दवा-फरोश तमाम मर्जों को गिना देता है और उन सब की दवा एक बताता है। इसी तरीके से आपका वही स्लोगन है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार।

**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)---प्वाइंट आफ आर्डर। उन्होंने दवा फरोश बताया है हम लोगों को।

**श्री अध्यक्ष**---आप कृपा कर बैठें। (श्री उबैदुर्रहमान से) आप जारी रखें।

**श्री शिवप्रसाद नागर**---प्वाइंट आफ आर्डर, प्लीज।

**श्री अध्यक्ष**---कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं हैं, आप कृपा कर बैठें।

**श्री उबैदुर्रहमान**---एक और खराबी होती है। कुछ एसेन्शल्स होते हैं और कुछ नान-एसेन्शल्स। हमारे भाई कुछ इम्पार्टेन्ट बातें कहना चाहते हैं और कुछ अन-इम्पार्टेन्ट लेकिन एम्फैसिस ईक्वली दोनों पर देते हैं। नतीजा यह होता है कि एसेन्शल्स भी नान-एसेन्शल्स में खो जाते हैं। जब भी कोई बात करेंगे तो वही अन्दाज होगा कि मालूम होता है कि कयामत आ गयी। एक जमाना था जब तोप छूटती थी तो कैननेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, बम गिराया जाता था तो बम्बार्डमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब बहुत छोटे लफ्ज इस्तेमाल किये जाते हैं। अब तो वह इस्तेमाल करते हैं "पुश" और "क्लिक" और यह एक फीगर आफ स्पीच है कि कहेंगे तो बहुत बड़ी बात, लेकिन बहुत छोटे लफ्जों में। इसको निग्रोसिस कहते हैं, वह हल्के तरीके से कहते हैं और उसके माने बहुत होते हैं और हम बहुत कुछ समझे भी हैं। काश कि इस तरक्की-याफ्ता फन से हमारे विरोधी दल के भाई भी वाकिफ होते।

मिडिल ईस्ट की बात कही गई कि एड्रेस में यह बात नहीं आई और हमें उससे सबक लेना चाहिये। हमें उससे सबक नहीं लेना चाहिये बल्कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को लेना चाहिये। हम उसके सही तौर पर नुमायन्दे हैं। मैं तो कहता हूं कि मिडिल ईस्ट की बात यहां फिर रिपीट नहीं होगी। जो मिडिल ईस्ट में हुआ है उसका नमूना पाकिस्तान में देखा जाता है। सबक पाकिस्तान को लेना चाहिये। इन चन्द अल्फाज के साथ में.....

**श्री अध्यक्ष**---आपका समय समाप्त हो रहा है। अब आप खत्म कीजिये।

**श्री उग्रसेन**---श्रीमन्, इनको ५ मिनट का समय और मिलना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**---जी नहीं।

**श्री उबैदुर्रहमान**---इन चन्द अल्फाज के साथ में गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और जो रिजोल्यूशन मुबारकबाद का पेश हुआ है उसकी ताईद करता हूं।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का समय बजाय १५ मिनट के १० मिनट हो जाय तो अच्छा है।

**श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—मुझे विरोध है।

**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)—मुझे भी विरोध है।

**श्री रामसिंह चौहान वैद्य** (जिला आगरा)—मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप एक दफा निश्चित कर चुके हैं तो बार-बार परिवर्तन करना अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं कि जो निश्चित हो चुका है उसको चलने दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष**—नियमानुकूल तो १५ मिनट से कम हो सकता है। माननीय खुशीराम का कहना यह है कि काफी सदस्यों को बोलना है। इसलिये १० मिनट आमतौर पर कर दिया जाय। पिछले साल मैंने यह कर दिया था कि १० मिनट के बजाय जो चाहते थे उनको १५ मिनट समय मिल जाता था। अगर आप उसको पसन्द करें तो हो सकता है नहीं तो १५ मिनट रहने दें।

**श्री अवधेश प्रताप सिंह**—१५ मिनट रहने दिया जाय।

**श्री नवल किशोर** (जिला बरेली)—मुझे इसमें यह कहना है कि अभी यह डिबेट कल भी चलेगा। यदि आप उचित समझें तो आज जैसी व्यवस्था चल रही है उसको चलनें दें उसके बाद कल हम लोग आपस में बैठ जायेंगे, बात कर लेंगे। जैसा होगा वैसा तय कर लिया जायगा।

**श्री बुद्धी सिंह** (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे गवर्नर साहब के भाषण के वादविवाद में हिस्सा लेने को कहा। वैसे तो मैं इस माननीय सदन में १९४६ में कुछ दिनों के लिये आया था। उस समय मेरे दिमाग में कोआपरेटिव वगैरह की बातें थीं। मैंने उन्हीं के बारे में इजहार किया था। वर्षों के बाद पारसाल भी मैंने गवर्नर महोदय का भाषण सुना था, इस वर्ष भी सुना। मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी के संशोधन पर अपने विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैंने माननीय गोविंदसहाय को १९४६ के बाद इस सदन में एक दूसरे ही रूप में पाया। अभी-अभी उन्होंने माननीय त्रिलोकीसिंह के भाषण पर अपने वक्तव्य में यह कहा कि यह जो न्याय है उसको कार्यकारिणी से अलहदा करने का जो संशोधन है वह लिबरल है। उन्होंने यह भी कहा कि २५ वर्ष पुरानी मांग को कह कर अपने को उन्होंने साबित किया है कि वह लिबरल हैं। मुझे इस बात का अफसोस है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या पुरानी बातों पर गौर नहीं होना चाहिये? अगर न्याय को कार्यकारिणी से अलहदा करने की बात २५ वर्ष पुरानी है तो क्या उस पर गौर नहीं हो सकता? मेरा तीस वर्ष का राजनीतिक क्षेत्र है। मैं एक राजनीति के विद्यार्थी की हैसियत से यह राय रखता हूं कि जो पुरानी बातें हैं, पुराने बुजुर्गों की बातें हैं, उनको नहीं भुलाना चाहिये और उन पर जरूर विचार करना चाहिये। तब मेरी समझ में यह नहीं आता, श्री गोविंदसहाय जी तो गांधी जी को मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे उनके सम्पर्क में रहे होंगे। तो २५ वर्ष पहले की मांग ही नहीं बल्कि उससे पहले की भी बातों को हमें नहीं भुला देना चाहिये। मुझे याद है कि गांधी जी ने यह कहा था कि न्याय और कार्यकारिणी को अलग-अलग होना चाहिये। आज हमको अपने बुजुर्गों की और अपने बापू जी की बातों को भुला नहीं देना चाहिये। आज उन बातों की तरफ यदि विरोधी दल के नेता या आपकी तरफ से भी कोई संकेत करता है तो क्या आप यह कहकर टाल देंगे कि यह तो लिबरल बात हुई। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी बातों पर भी आज हमको गौर करना है। हमने जो इमारत खड़ी की है उसमें कहां-कहां सुराखों से पानी आ रहा है यह हमको देखना है। गांधी जी ने जो कहा था मैं उनको

[श्री बुद्धी सिंह]

याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि यह दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिये। तो मैं समझता हूं कि आज त्रिलोकीसिंह जी ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है उसको सरकार को मान लेना चाहिये।

दूसरे साहब, जिनका नाम मैं इस समय भूल रहा हूं उन्होंने कहा कि साहब] विरोधी दल का बोलने का स्टैन्डर्ड होना चाहिये। वह तरीके की तकरीर नहीं होती और उसका सही तरीके का ढंग होना चाहिये और शायद आपको उन बातों पर शक है। मैं यह समझता हूं कि सामूहिक रूप से इतना बड़ा हमला करना कि यहां पर प्लेटफार्म की बात होती है यह मेरी समझ में नहीं आया। वैसे मैं उनको जाती तरीके से जानता भी नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जो प्लेटफार्म की बातें होती हैं वह प्लेटफार्म पर ही होती हैं। यह तो हमारा माननीय सदन है। उसके कुछ उसूल हैं, उसके कुछ सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अन्दर ही यहां पर बातें होती हैं। तो इस प्रकार से यहां पर प्लेटफार्म की बात कहना मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नमेन्ट कसूरवार नहीं है। कुदरत का कसूर है यह जो बाढ़ आ रही है या गल्ले की कमी है इनके लिये गवर्नमेन्ट कसूरवार नहीं है। कुदरत कसूरवार है। ठीक है जहां पर कुदरत का कसूर है वहां पर कुदरत को कहना चाहिये, लेकिन जहां पर सरकार की इमारत में पानी आ रहा है वहां सरकार को भी टोकना चाहिये। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह मामला कुदरत की बात कहकर टाला नहीं जा सकता। यह मामला साफ है। सबके सामने जो अन्न का संकट है, बाढ़ का संकट है, यह तो ऐसी चीजें हैं जिनको यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि कुदरत का कसूर है और कुदरत के कसूर की वजह से सरकार दोषी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कुदरत का कसूर भी राज्य परिवार के कर्मों की वजह से ही होता है। मैं यहां पर तुलसीदास जी का एक दोहा कहना चाहता हूं-- "ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रहभारी।" यह ७ प्रकार की ईतियां तभी हुआ करती हैं जब राज्य कार्य खराब होता है। वह खराबी जब ऐसी होती है कि अपनी गलती होते हुये भी उस खराबी को वह सरकार नहीं मानती है तो विरोधीदल उसको सरकार से कहता है। जनतंत्र को मजबूत बनाने के लिये जो यह साल ब साल जनतंत्र का ढिंढोरा पीटा जाता है पारसाल के भाषण में भी और अब के भाषण में भी जो समाजवाद की रचना की बात कही गई, उन पर अलग-अलग मत हो सकते हैं। जो संशोधन उसमें रखे गये हैं उनमें बहुत सी बातें कही गयी हैं। जहां राज्यपाल के भाषण में मुझे सूबे पर की बातों पर रोशनी मिली वहां मुझे यह नहीं दीखा कि पिछले वर्षों के बजट भाषणों में या पारसाल जो उनके अभिभाषण पर विवाद हुआ था उसमें विरोधी दल की ओर से जो सक्रिय बातें कही गयी थीं उनमें से कितनी बातों को सरकार ने माना और कितनी को नहीं। मैं निहायत नम्रता के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें इस सदन में कही जायं सरकार उनकी देखभाल करके सब के साथ उन पर विचार करे, यह मेरी अभिलाषा है।

खेती की उपज बढ़े, यह आवश्यक है। क्या सरकार ने कभी यह भी सोचा कि उसने सर्व-साधारण को अपनी खेती की उपज बढ़ाने के लिये क्या साधन दिये हैं? आज भी गरीब किसान के पास अपनी खेती की उपज बढ़ाने के साधन नहीं हैं। ऐसा हो रहा है कि चन्द बड़े आदमियों को आपने साधन जुटा दिये, कांफ्रेंसें कर लीं, नुमाइश कर के मिनिस्टर साहब देख आये और रिपोर्ट दे दी कि बिलारी तहसील में साहू हरसहाय का गन्ना बहुत बढ़िया पैदा हुआ है। मेरे पास सबूत हैं और मैं यहां दो-चार मिसालें लेकर आया हूं। मैं सूबे भर की मिसालें तो नहीं रखता, वह तो आपको गवर्नर साहब के भाषण में मिलेंगीं, लेकिन सूचना के तौर पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सर्वसाधारण को उपज बढ़ाने के साधन न मिलने से ही आज उनकी उपज अच्छी नहीं हो रही है। कुदरती हालत को मैं इस समय छोड़ता हूं। उनके लिये तो सूबे भर की एक राय है और सरकार भी अब कुछ कहने लगी है, लेकिन जहां तक साधन मुहैया करने की बात है उसे देखा जाय कि सरकार कहां तक जुटा पायी है। तकावी के लिये किसान को किस-किस का मुंह ताकना पड़ता है और उसे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसे

देखा जाय। एक किसान को तकावी के लिये ४०-५० रुपया तो रिश्वत देनी पड़ती है और वह भी मिलती है तो आषाढ़ में मिलने वाली तकावी क्वार में और क्वार में मिलने वाली फागुन में। जिस किसान के पास बैल नहीं हैं और उसने चैत में दरख्वास्त दी तो वह तकावी उसको आषाढ़ तक मिल जानी चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक मजे की और बात है। तकावी का हिसाब-किताब अगर आप देखें तो पायेंगे कि बड़े-बड़े आदमियों को लाखों करोड़ों रुपया बांट दिया गया। इन बातों को कहने का मतलब यह है कि गवर्नर साहब को तो लिख कर भाषण दे दिया जाता है नीचे की रिपोर्टों के आधार पर, अगर हम सबकी इन इत्तलाओं को लेकर, जो पिछले सालों में यहां गीत गाये गये हैं उनको सुन कर और विरोधी पार्टी ने जो बातें कही हैं उन सबको सुन कर कुछ कहा जाता तो वह भाषण हम सबको कुछ रोशनी देता और हमको भी बहुत सब्र हो जाता कि गवर्नर साहब ने हमारी बातों को अपने भाषण में रक्खा है, जो असली बातें थीं उनको देखा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी हमारे यहां मुरादाबाद में ७६ हजार रुपया बागात लगाने के लिये तकावी का आया। मुझे कलेक्टर साहब से मालूम करने से पता चला कि इसका कायदा यह है कि ५ साल तक सरकार वसूल नहीं करेगी और १५ साल में बिना सूद वसूल की जायगी। वह तकावी ऐसे लोगों को बांट दी गई जो हजार-हजार और ४-४ हजार बीघे के जोत हैं और साधारण किसानों को बाग लगाने के लिये कोई तकावी नहीं मिली। राज्य परिवार के आदमियों के नाम पर तकावी दी गई है। उनकी सूची में पढ़कर सुना सकता हूं और यदि उनके नाम नहीं सुनाता हूं तो मेरे दिल की बात दिल ही में रह जावेगी।

**श्री उपाध्यक्ष**—कायदा यह है कि जो लोग जवाब देने के लिये यहां उपस्थित नहीं हों उनके नाम न लिये जावें।

**श्री बुद्धी सिंह**—तो मैं आपको इत्तला देता हूं कि यह तकावी राज्य परिवार के लोगों को दी गई जिनमें कुछ भूतपूर्व एम०एल०ए० और वर्तमान एम०एल०सी० भी हैं। मेरे पूछने पर जिलाधीश ने कहा कि उनको भी पता नहीं कि यह तकावी इन लोगों को कैसे बांट दी गई। उसके बाद पूरे १ महीने में यह लिस्ट मेरे पास आई, इससे मालूम होता है कि कैसे लोगों को यह दी गई। एक किसान ५० बीघे की जोत का मेरे पास आया जिसे तकावी नहीं दी गई जबकि उसकी दरख्वास्त सबसे पहले फरवरी के महीने की दी हुई थी। वह १० बीघे बाग लगाना चाहता था। मैं चाहता हूं कि सरकार इन तकावी पाने वाले लोगों की जांच भी कर ले कि उन्होंने बाग लगाये हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि दो एक पेड़ वे नये लगाकर दिखा देंगे और कुछ पुराने दिखा देंगे। खाद के बोरे उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनका आपस में गठबंधन है, जो अफसरों के साथ मिले रहते हैं। ये उन्हीं को मिलते हैं जो हां में हां मिलाते हैं और सरकार की चापलूसी करते हैं और सरकारी अफसरों से मिल कर भ्रष्टाचार करते कराते हैं, जिनके खिलाफ ५० हजार रुपये तक के तकावी के तकाजे हैं, नीलाम और कुर्की से हर साल वसूल होते हैं। रामपुर में एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने अपने लड़कों और अपने नाम से तकावी ली जब कि वे गांव में नहीं रहते और रामपुर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं। ऐसे भी लोग तकावी पाने वालों में हैं। अगर मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उनको यह लिस्ट दिखा दूंगा। इससे थोड़े से आदमियों की उपज अवश्य बढ़ जायगी मगर किसानों की नहीं बढ़ी है और न बढ़ेगी ही। सम्भल-बहजोई में १२५ गांवों का टुकड़ा है जहां ३ वर्ष से फसल नहीं हुई है, जहां सिवाय मूंज और रेत के और कुछ नहीं है। सूबा सरकार को १६ फीसदी वहां की की उपज के सम्बन्ध में रिपोर्ट है मगर वहां बहजोई, हसनपुर और मुरादाबाद के गंगा के खादर में फसल ५० फीसदी से अधिक खराब हो गई है।

जहां तक दस्तकारी का सम्बन्ध है, मुरादाबाद, सम्भल सराय तरीन के हजारों लोग तराई-भाबर में चले गये हैं क्योंकि यहां का उनका दस्तकारी का काम नहीं रहा। वे बेकार हो गये हैं।

राशन की दूकानों के बारे में मुरादाबाद के कलेक्टर साहब कहते हैं कि राशन की दूकान केवल शहरों में ही खोलने की सरकार ने इजाजत दी है। तो जहां से राशन पैदा होता है

[श्री बुद्धी सिंह]

उनको भी आज राशन की जरूरत है। पूरे सूबे का खयाल करके इस पर विचार होना चाहिये। राशन की दूकानें बहजोई के ग्रामों में भी खुलनी चाहिये।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बधाई का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। उस प्रस्ताव पर उस तरफ के हमारे कुछ विरोधी पक्ष के साथियों ने संशोधन भी दिये हैं। मैंने उन्हें देखा और उन लोगों के भाषण भी ध्यान से सुने। मुझे ऐसा लगा कि किसी भी प्रजातन्त्र को कामयाब बनाने के लिये जिस प्रकार के उत्तरदायी विरोधी दल की आवश्यकता होती है, हमारे दुर्भाग्य से हमारे देश और प्रदेश में हमको उस तरह का विरोधी दल अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। मैंने उनके संशोधनों में देखा कि उन्होंने शिकायत की है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उनके संशोधनों में दी हुई बातों का कोई उल्लेख नहीं किया। मैं उनकी इस बात को नहीं मानता। मैं समझता हूं कि वे तमाम बातें किसी न किसी रूप में इस अभिभाषण में आई हैं। यह दूसरी बात है कि जिन शब्दों या जिस भाषा में हमारे विरोधी पक्ष के भाई चाहते हैं उसमें वे न हों। लेकिन यदि इस बात को मान भी लिया जाय कि वे बातें राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि यदि उन सब बातों को उसमें जोड़ भी लिया जाय चाहे वे फिट होती हों या न होती हों, जबरदस्ती फिट कर ली जावें, तो क्या वे लोग इस बात पर एकमत होंगे कि उसके बाद कोई भी समस्या इस प्रदेश की ऐसी नहीं रहेगी जिसका उल्लेख अभिभाषण में न आ गया हो। मेरा कहना है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में केवल मोटी-मोटी बातें होती हैं, एक मोटी आउटलाइन होती है कि स्टेट के अन्दर क्या बातें हुईं और क्या होने वाली हैं। वैसे तो उनकी नीति की भी कुछ मुख्य-मुख्य बातें होनी चाहियें मगर चूंकि उनका अभिभाषण हमारे बजट के बाद हुआ, इसलिये उन्होंने इतना कहकर छोड़ दिया है कि बजट के समय हमारे वित्त मंत्री ने उनका जिक्र कर दिया था। उस दृष्टि से मैं यह समझता हूं कि उस भाषण में मोटे तौर से सभी बातें आ गई हैं। जितनी बातें या समस्यायें हमारे प्रदेश की हैं उन सब का उसमें जिक्र है।

सबसे मुख्य बात तो खाद्य स्थिति के बारे में कही गई। सभी साथियों ने इसकी ओर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित किया है। सही बात है और सभी को दुख है कि हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या विकट है। खास तौर से उन १२, १४ जिलों की जिनको पूर्वी यू० पी० कहा जाता है। परन्तु इस साल पश्चिम के और बुन्देलखंड के भी कई जिलों में स्थिति काफी खराब है। बिना पूर्व व पश्चिम के झगड़े में गए जहां कहीं भी खाद्य स्थिति खराब है सरकार का कर्तव्य है कि वह उस विकट समस्या का हल या सोल्यूशन निकाले और उसका मुकाबला करे और मैं यह भी समझता हूं कि सिर्फ सरकार की टिप्पणी करने से, उसको कन्डेम करने से, विरोधीदल का उत्तरदायित्व अगर पूरा हो जाता हो और समस्या का समाधान हो जाता हो तो मुझे इसमें भी कोई एतराज न होगा कि हम भी उनके साथ ४ बार के बजाय ६ बार कन्डेम करें। लेकिन ऐसा है नहीं। खाद्य समस्या हमारे तथा हमारे प्रदेश के जीवन और मरण का प्रश्न है। मैं माननीय गेंदासिंह जी से खास तौर से प्रार्थना करूंगा तथा और तमाम भाइयों से भी, कि वे मेहरबानी करके इस खाद्य समस्या को राजनीति के दल-दल में न डालें, उससे उसको ऊपर उठायें। खाद्य की समस्या कांग्रेस की समस्या नहीं है, वह विरोधी पार्टियों की समस्या नहीं है, वह तो सारे प्रदेश और देश की समस्या है और इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिये। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे कुछ भाइयों को आम व साबू की गुठलियां खानी पड़ रही हैं, कुछ को शीरा खाना पड़ रहा है, मोटा अनाज भी उनके लिये मुहैया नहीं हो रहा है। हमारे जनसंघ के नेता ने तो यहां तक कह दिया कि लोग पीपल के पत्ते खाकर रह रहे हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि उनकी यह बात गलत है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने इसको स्वयं देखा नहीं है, किसी ने उनसे

यह कह दिया मालूम होता है। अगर उन्होंने देखा होता तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हम इतना नीचे गिर गये हैं कि हमारे सामने १०-२० आदमी पीपल की पत्ती खायें और हम देखते रहें। किसी जमाने में जो राजा और महाराजा थे वे ये सब अपनी आंखों के सामने देखते रहें और उनकी थैलियां बन्द रहें और वे केवल यह कह कर सन्तोष कर लें कि असेम्बली में उसका वर्णन कर देंगे और सरकार पर उसकी सारी जिम्मेदारी थोप कर उनका कर्तव्य पूरा हो जायगा!

माननीय त्रिलोकीसिंह नेता विरोधी दल ने विवरण के साथ खाद्य स्थिति के बारे में कहा, उनके दल के कुछ नेताओं ने भी दौरा करके अपने बयान पत्रों में दिये हमारी तरफ से भी कहा गया, इससे यह स्पष्ट ही है कि स्थिति गम्भीर है। लेकिन हमारी यह भी आदत है कि राजनीति के दलदल में फंसकर बातों को बढ़ा-चढ़ा कर कहें इसलिये ठीक स्थिति का पता नहीं लग पाता। मैं महसूस करता हूं कि इस गवर्नमेंट के पास जितने भी साधन हैं, उन साधनों को देखते हुए, गवर्नमेंट जितना भी कर सकती है, उतना वह कर रही है। आज भी हमारे सामने जो किया गया है उसके आंकड़े हैं। करीब ३ हजार के ऊपर गल्ले की दूकानें खोल दी गयी हैं। कुछ भाइयों को वहां पर जो अन्न का बटवारा होता है उसके बारे में शिकायत है। उनका कहना है कि वहां पर दिक्कत होती है। यह हो सकता है, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन जहां तक सरकार की नीयत का सवाल है, सरकार द्वारा कोशिश करने का सवाल है, उसमें कोई कमी नहीं है। हां, यह हो सकता है कि जितनी कामयाबी मिलनी चाहिये थी उतनी न मिली हो। इसलिये मैं यह मानता हूं कि सरकार की नीयत और उसकी योजना बिलकुल सही है और इस प्रदेश में किसी भी इंसान को भूखों नहीं मरने देना चाहती है, उसमें कितनी कामयाबी होती है, यह बाद की बात है।

अमीनों की वसूली सम्बन्धी सख्तियों की भी शिकायत की गई कि वह बेरहमी से पैसा वसूल कर रहे हैं। जहां तक मेशीनरी की बात है, मैं यह मानता हूं कि हमारे पास जो मेशीनरी है वह आज कल के हमारे कामों के लिये उपयुक्त नहीं है। वह इन जन-कल्याण के कामों के लिये बनाई ही नहीं गई थी। हम आगे ले चलना चाहते हैं और यह मेशीनरी इस काम को पूरे तौर से अपनाती ही नहीं है। फिर भी आज के देश के नेताओं को इस बात के लिये शाबासी मिलनी चाहिये कि उन्होंने इस गली सड़ी मेशीनरी से भी ऐसे महत्वपूर्ण तथा विस्तृत डेवलपमेंट के काम ले लिये और उनमें कामयाबी भी हासिल की।

मैं यह भी समझता हूं कि कुछ फारमेलिटीज भी हुआ करती हैं, एक रुटीन होती है जो विरोधी दल को करना ही होता है। यह संशोधन जो यहां विरोधी पार्टियों की ओर से रखे गये हैं, वे भी एक तरह की रुटीन ही हैं। उन्होंने उस फारमेलिटी को पूरा करना जरूरी समझा है। मैं इनको उसी दृष्टि से देखता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यदि आप देवरिया के बाजारों में जायं तो वहां आपको ९५ फीसदी स्त्रियां नंगी मिलेंगी।

**श्री त्रिलोकीसिंह**--मैंने नंगे नहीं कहा, यह कहा कि चिथड़े पहने मिलेंगे। मैं ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

**श्री नवलकिशोर**--माननीय त्रिलोकीसिंह जी को स्पष्टीकरण के लिये धन्यवाद है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आज से १० साल पहले उनकी संख्या ९८ प्रतिशत थी या ८० प्रतिशत थी। अगर पहले ९८ फी सदी लोगों के तन पर कपड़े नहीं थे और आज ९५ फीसदी लोगों के तन पर कपड़े नहीं हैं, तो इसका मतलब तो यह हुआ ही कि कम से कम ३ फीसदी आदमियों को और कपड़े मिले हैं और इस तरह से कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी हुई है।

एक बात का यह जिक्र भी माननीय त्रिलोकीसिंह ने किया कि नवाबगंज तहसील जिसकी आबादी १ लाख ६५ हजार है, वहां एक भी एलोपैथिक अस्पताल स्त्रियों के लिये नहीं है और इसलिये आपने तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट को कंडेम कर दिया। मान्यवर, और भी कई

[श्री नवलकिशोर]

तहसीलें ऐसी हैं जहां इस तरह के अस्पताल नहीं हैं मगर मैं यह जानता हूं कि साढ़े ६ करोड़ के करीब आबादी हमारे इस प्रदेश की है, जिसके अन्दर सरकार ने सैकड़ों अस्पताल खोले हैं, फिर भी सबको दवा का प्रबन्ध नहीं है। लेकिन चूंकि नवाबगंज में कोई स्त्रियों के लिये एलोपैथिक अस्पताल नहीं है इसके माने यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई काम ही नहीं किया है! श्रीमन्, मैं इस बात को हर्गिज मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया है। हां, यह सही है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है।

उन्होंने एक बात और कही और उन्होंने कुछ आंकड़े दिये और यह शिकायत की कि हमारी भिन्न-भिन्न जो पुस्तकें होती हैं, और विभिन्न डिपार्टमेंट के जो आंकड़े होते हैं, उनमें काफी अन्तर होता है; और इसको उन्होंने सिंचित भूमि के क्षेत्रफल के आंकड़े दिखा कर साबित किया। उनकी बात सही है, मैं उनकी इस शिकायत को आज भी ठीक मानता हूं और जब कभी बात को कहा गया है, मैंने बराबर इसको माना है और हम बराबर इस बात को कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी नियोजन के लिये यह जरूरी है कि हमारे सामने प्रदेश के सही आंकड़े हों। मेरा तो यह निश्चित मत है और हम यह कई साल से बराबर देखते हैं कि कहीं न कहीं यहां के स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में इनएफिशिएंसी है और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं और मांग करता हूं कि इस बात की इनक्वायरी की जाय कि यह जो इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमारे आंकड़े गलत होते हैं, आखिर वे क्यों होते हैं और इसके लिये बड़ा या छोटा जो भी आफिसर जिम्मेदार हो उसे सख्त से सख्त दण्ड दिया जाय।

एक बात उन्होंने यह भी कही कि जहां तक आबपाशी का सवाल है जितनी उसकी हमारे यहां पोटेंशल है उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि १७० लाख एकड़ तक सिंचाई करने की पोटेंशल हमारे यहां है, लेकिन ७० लाख एकड़ के अन्दर ही सिंचाई हो पाती है।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैंने कहा था कि १ करोड़ ८ लाख एकड़ की पोटेंशल है। जिसमें से ७० लाख एकड़ सिंचाई की गई बताई जाती है। लेकिन नहरों से ४२ लाख एकड़ के अन्दर ही १९५५-५६ में सिंचाई की गयी।

श्री नवलकिशोर--मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी पोटेंशल है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, यह सही बात है और उस पर गौर हो सकता है और होना चाहिये। लेकिन एक बात तो उनको माननी चाहिये कि पिछले १०-११ साल में मैं १००-५० और ५०० की बात नहीं कहता, हजारों की तादाद में प्रदेश के अन्दर नये ट्यूबवेल्स लगे हैं और नहरों की लम्बाई भी काफी मात्रा में बढ़ी है लेकिन आपने यह साबित करने की कोशिश की है कि इस बीच में इस तरफ कुछ नहीं किया गया है। हमारे भाई पालीवाल जी ने तो यहां तक कहा कि ११ साल के अन्दर कोई मेजर प्राब्लम (समस्या) को इस सरकार ने आज तक हल ही नहीं किया है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम ११ साल तक केवल हाथ पर हाथ रक्खे बैठे रहे हों और हवा खाते रहे हों। इस तरह की बातें कहने से न तो सरकार का कोई हित होता है और न विरोधी दल का हित होता है। चाहिये तो यह था कि जितनी बातें हुई हैं उनको आप मान लेते और जो नहीं हो पाई हैं उनका जिक्र करते कि मैं इस बात को मानता हूं और मेरा विश्वास है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वह एजूकेशन का हो, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० का हो, चाहे इरीगेशन का हो, चाहे पावर का हो, जिसके अन्दर इस प्रदेश ने तरक्की न की हो। एक बात आप कह सकते थे जो आपने नहीं कही और वह यह कि आप इस बात का अन्दाज लगाते कि कितना काम, कितना पैसा खर्च करके किया गया है तो मैं समझता हूं कि आप ज्यादा हित की बात कहते। मगर आपने यह नहीं कहा। कोई भी आदमी चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो, वह आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इस प्रदेश ने किसी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं की है। एक बात और उन्होंने कही

वह यह कि उन्होंने ईराक, लेबनान और मिस्र में जो वाक़यात हो रहे हैं उनकी तरफ संकेत किया। मैंने उनके इस संकेत को ठीक से समझने की कोशिश की। मुझे ऐसा कोई अन्देशा नहीं है। परन्तु इस देश के अन्दर जो हमारी अशिक्षा है उसकी यही स्थिति रही और हमारा विरोधी दल उतना ही गैरजिम्मेदार रहा जितना आज है और ब्यूरोक्रेसी की जो स्थिति आज है वही हमारे देश व प्रदेश में रही तो मुमकिन है कि जो संकेत किया गया है उसके अन्दर कोई मानी हो। लिहाजा मैं अपने भाई त्रिलोकीसिंह जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण की बात में गवर्नमेंट की इमदाद कर सकते हैं और करें। शिक्षा के मामले में बहुत कुछ जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है मगर प्राइवेट आदमियों की भी है, लेकिन जहां तक उनकी जिम्मेदारी की बात है बहैसियत नेता विरोधी दल के, अगर उसे वे ठीक तौर से समझ लें और अन्जाम दे दें तो फिर इसका अन्देशा नहीं रहेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह---आपसे पहले मारे जायंगे क्योंकि हयादार ज्यादा हैं।

श्री नवलकिशोर---बहुत अच्छा। श्रीमन्, यह भी चर्चा हुआ कि जमीन के ऊपर सीमा निर्धारित नहीं की गई। त्रिलोकीसिंह जी ने कुछ सीलिंग आफ लैंड और कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कही। मैं सिद्धान्ततः तो इस बात को मानता हूं कि हमको आहिस्ता-आहिस्ता कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिये। लेकिन आये दिन हमारे सामने कोआपरेटिव की कार्यशैली में जो मुश्किलात सामने आती हैं, गड़बड़ियां मालूम होती हैं उनको देखते हुये मैं यह देखता हूं और समझता हूं और यह सही भी है कि समाज में जब एक क्रान्ति का प्रारम्भ हो चुका है तो आहिस्ता-आहिस्ता उतना ही बोझ हम समाज पर डालते चले जायं जितना कि समाज उठाता चला जाय। जहां तक लैंड की सीलिंग की बात है, कांग्रेस अध्यक्ष ने बार-बार कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है---"सीलिंग आफ लैण्ड इज एन आर्टिकल आफ फेथ विद दी कांग्रेस"।

यह बात अपनी जगह पर है और सही है। लेकिन जहां तक फ्यूडल सिस्टम था उसको हमने लिक्वीडेट कर दिया है। मान्यवर, जब औद्योगिक क्रान्ति हुई पश्चिमी देशों में तो फ्यूडलिज्म (सामन्तशाही) के बाद कैपिटलिज्म (पूंजीवाद) आया और इधर जब उसमें आन्तरिक कांट्रेडिक्शंस पैदा हुए, तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात पैदा हुई। हम सब जानते हैं और हमारे साथी भी इस बात को जानते हैं कि हमारा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना है, हम समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। मैं यह जरूर चाहता हूं कि ऐसा न हो कि फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म इस देश में बढ़ता चला जाय। इसलिये एक क़दम और आगे बढ़ कर एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां हम इस बात से सहमत हैं कि भूमि के ऊपर सीलिंग होनी चाहिये वहां मैं यह भी चाहता हूं कि व्यक्ति की आय पर भी कोई न कोई सीलिंग (सीमा) अवश्य होनी चाहिये। कैपिटलिज्म अनचेक्ड बढ़ता चला जाय यह भी उचित नहीं है।

हमारे कम्युनिस्ट भाई यादव जी ने कुछ भाषा की बात भी कही। उन्हीं के साथी हैं यशपाल जी, उन्होंने इस विषय में एक लेख लिखा है ६ तारीख के 'स्वतंत्र भारत' में, उसे वे पढ़ लें। भाषा के मुताल्लिक जहां तक इस प्रदेश की नीति का सम्बन्ध है अखबारों में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा है यह सरकार भी उससे सेंट परसेंट सहमत है, मगर मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग कृपया भाषा के प्रश्न को लेकर इसे राजनीति का अखाड़ा न बनायें।

मेरे इन्हीं भाई ने एक शिकायत यह भी की कि एक टाउन एरिया के चेयरमैन का क़त्ल हो गया और उसकी आड़ में यह कह दिया कि यहां की पुलिस कांग्रेस वालों के साथ मिल कर न जाने क्या-क्या गड़बड़ करती रहती है। इस तरह की बात कह कर वे यह साबित

[श्री नवलकिशोर]

करना चाहते हैं कि उन भाई का पोलिटिकल मर्डर किया गया है। उन्होंने प्रजातन्त्र की भी दुहाई दी--मुझको तो श्रीमन्, कम्युनिस्ट पार्टी के मुंह से प्रजातन्त्र की बात कुछ ढोंग और पाखंड की सी मालूम देती है। अगर वह ऐसी गैर-जिम्मेदार बात न कहते तो ठीक होता, खास कर जब कि उस पार्टी के कुछ लोगों ने एक राज्य के शासन की जिम्मेदारी स्वयं संभाली हुई है। वहां के बारे में भी क्या-क्या अखबारों में कहा जाता है यह भी उनको देखना चाहिये।

इकोनामी की बात भी महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में आयी और इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट की भी यहां चर्चा हुई कि वह हमारे सामने आने वाली है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा उन तमाम मेम्बरान को जिन्होंने ढाई, तीन साल की मेहनत के बाद रिपोर्ट तैयार की है बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उसकी सिफारिशों को सरकार शत प्रतिशत मानेगी। क्योंकि उसके मानने से कम से कम साढ़े सात करोड़ रुपये की बचत सरकार को हो सकती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कितनी ही इकोनामी कमेटी बैठ जायं और कितनी ही रिपोर्ट्स आ जायं, जब तक इकोनामी एक आर्टिकिल आफ फेथ नहीं बन जाती, और विशेष कर सरकारी कर्मचारियों के साथ, तब तक सही माने में इकोनामी नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां विभागों में डुप्लीकेशन होता है, ओवर हेवी स्टाफ जगह-जगह है, अपव्यय होता है। अगरचे सही माने में डिपार्टमेंट्स के अन्दर कोआर्डिनेशन ही हो जाय तो एक बटे पांच स्टाफ हर डिपार्टमेंट में से कम किया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो पे का स्ट्रक्चर (तनख्वाहों का ढांचा) है वह बहुत हेवी है। मैं समझता हूं देश और प्रदेश की जो नेशनल इन्कम है, और पर कैपिटा इन्कम है उसको देखते हुए यहां जो तनख्वाह का ढांचा है वह बहुत भारी है, इसको कम करना पड़ेगा। मैंने कई दफा कहा था कि कम से कम हमारे जो उच्च सरकारी कर्मचारी हैं, मैं उनको देशभक्त मानता हूं और उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है, मैंने कई बार उनसे इस बात की अपील की कि वह सरकारी कर्मचारी जिनकी तनख्वाह १,००० रु० माहवार से ज्यादा है वह अपनी खुशी से उसमें १० परसेंट की कमी की बात पेश करें। हो सकता है कि हमारे सामने कुछ कानूनी व वैधानिक दिक्कतें हों लेकिन देशभक्ति के सामने कोई दिक्कत नहीं होती। उनको ऐसा करना ही चाहिये।

अन्त में जैसा कि राज्यपाल महोदय ने स्वयं भी कहा है, मैं उसकी एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि हमने जो कुछ किया, किया मगर हमें बहुत ज्यादा करना है। हमारे साधन सीमित हैं, हमारा काम बहुत बड़ा है? हम इन्सान हैं, इन्सानों की गवर्नमेंट है, फरिश्तों की नहीं। गलती हुई है और होंगी। मगर हम चाहते हैं कि देश के कामों में विकास के सभी दल मिल कर काम करें। मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी तथा उनके तमाम साथियों के सामने अपील करता हूं कि जो काम तथा योजनाएं इस देश के हित में हैं, प्रदेश के हित में हैं। उन तमाम कामों में सार्वजनिक अच्छे कामों में राजनीतिक मतभेदों को छोड़ कर वह हमारे और सरकार के साथ सहयोग करें।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री झारखंडे राय का नाम पुकारा)

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--मैं आपका ध्यान कार्य-क्रम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। २९,३० और ३१ के प्रोग्राम में बहुत से विधेयक मौजूद हैं और अभी तक.....

**श्री उपाध्यक्ष**--आप कृपया बैठें। मैंने माननीय झारखंडे राय जी को भाषण के लिये पुकार लिया है। उनके बाद ही आप कहियेगा जो कुछ कहना हो।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण को बड़े गौर से सुना। दो बार पढ़कर उसे पूरी तरह से समझने की भी कोशिश की। उनके सम्बोधन के पढ़ने और सुनने से जो चित्र मेरे मानस पटल पर उभरा, मेरा अपना विचार है कि वह आज की प्रदेश की स्थिति से बिलकुल विपरीत है, दोनों का कोई मेल नहीं है। हमारे प्रदेश की विषम खाद्य स्थिति, औद्योगिक संकट, उद्योग-धंधों में जो मालिक और मजदूरों के बिगड़ते हुये रिश्ते हैं, चोरी, डकैती, कत्ल और गुन्डा-गर्दी की बढ़ती हुई घटनाओं का कोई दिग्दर्शन उस प्रकार नहीं हुआ है जैसी कि आज प्रदेश की स्थिति है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का खाद्य-संकट एक राष्ट्रीय संकट का रूप धारण कर चुका है। पूरे ६ साल से मैं इस बात को देख रहा हूं कि इस माननीय सदन में जितनी बहस इस विषय पर हुई है उतनी शायद ही किसी एक विषय पर हुई हो। लेकिन अभी तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हो सका कि सरकार भुखमरी किस को मानती है, और उसकी भुखमरी की परिभाषा क्या है। हम चाहते हैं सरकार से और उस के मुख्य कर्णधारों से कि वह एक विज्ञप्ति निकाल कर इस का स्पष्टीकरण करें कि भुखमरी किस को कहते हैं और उन की भुखमरी की परिभाषा क्या है ताकि हमारे उन के दृष्टिकोणों में कहीं जाकर तो साम्य हो सके, वरना हम कितनी ही भुखमरी की सच्ची खबरें लावें, यह तो होता नहीं कि हम कोई हजार दस हजार खबरें लाते हों, कहीं इक्की दुक्की या कुछ दर्जन घटनायें हो जाती हैं जो हमारी प्रत्यक्ष जानकारी से या मालूमात से और जांच पड़ताल से मिलती हैं उनका हम जिक्र करते हैं तो सरकार उन खबरों को अमान्य कर देती है और पिछले ६ साल से वह इस बात पर अड़ी हुई है कि हमारे यहां एक भी भुखमरी से मृत्यु नहीं हुई। ऐसी हालत में कोई भी समझौता हमारे उन के बीच में नहीं हो सकता चाहे वह कितना ही सहयोग का हाथ बढ़ावें। अगर उन की निगाह में हम झूठे हैं, हमारी सारी जांच और प्रत्यक्ष की देखी चीजें गलत हैं और हमारी पूरी जानकारी उन को अमान्य होती है तो उन की दोस्ती का हाथ एक जाल है और एक धोखे का हाथ है। पिछली बार भी मैंने इस बात को कहा था कि एक सर्वदलीय समिति बनाई जाय। पिछली कमेटी की जिस तरह से माननीय माल मंत्री ने हत्या की उस को पूरा प्रदेश जानता है। उस कमेटी में यह मांग हुई कि उसको घूमने दिया जाय, कमेटी में बहुमत तो उसी पक्ष का था, एकाएक कमेटी जहां का चाहे दौरा करे, जिलाधीश को पहले से मालूम न हो, बिना नोटिस के वह जाये और गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया एक तरफ से वह चले और किसी हरिजन बस्ती में या मध्यम वर्ग की बस्ती में जाय और वहां जाकर लोगों की दशा की जांच करे और देखे कि किसी भी घर में एक बखरी में, डेहरी में कितना गेहूं या अनाज है? हमें आज भी विश्वास है कि अगर हमें ऐसी यात्रा करने को मिले तो हमारे और उन के दृष्टिकोण में अन्तर नहीं हो सकता। मैंने स्वयं छोटी-छोटी कमेटियों में बैठकर देखा है कि वहां पर हमारे श्री फतेह सिंह राणा, श्री वीरेन्द्र वर्मा और श्री तिवारी जी की निगाहों में कोई फर्क नहीं होता। वहां पर बड़े-बड़े अधिकारी आते हैं और जब हम उन की जांच करते हैं तो इसी निगाह से करते हैं, इसी उद्देश्य से करते हैं कि हमारे प्रश्नों के द्वारा जितने भेद हैं वह उभर आयें और किसी भी प्रकार की कोई गलती छिपे नहीं और सुधार हो। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां बैठकर तमाम बहसें होती हैं, उन का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, ऐसा लगता है कि यह पूरी डेमोक्रेटिक प्रणाली एक ढोंग है। संकट एक चीज है और उसके सबूत हैं लेकिन वह इस पर तुले हैं कि हम मानेंगे नहीं। मैं कहता हूं कि आप जांच क्यों नहीं करने देते, अगर हम झूठे हैं तो हमारे मुंह पर कालिख लगेगी, चलिये घूमा जाय, हमें विश्वास है कि कोई भी मंत्री कोई भी माननीय सदस्य, पूर्व, पश्चिम या मध्य के जिलों में कहीं के भी हमारे साथ चलें, चाहे कमेटी की शक्ल में चलें किसी भी हरिजन बस्ती में, आप कोई भी अन्तर हमारे और अपने दृष्टिकोण में नहीं पायेंगे और यदि होगा तो वह नगण्य होगा। इस राजहठ को अब छोड़िये, इस झूठे घमंड को छोड़िये। आप इस बात पर तुले हैं कि क्योंकि विरोधी दल ऐसा कहते हैं इसलिये हम नहीं मानेंगे। माताटीला के बारे में कमेटी बनी, एन०ई०एस० ब्लाक में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या और सुधार हो सकते हैं, इनके बारे में कमेटी बनी। हमारा कहना है कि रसी तरह से आप चकबंदी के बारे में भी एक समिति बनाइये, आप ने वादा किया था

[श्री झारखंड राय]

कि पूरे प्रदेश में ५ वर्ष में चकबन्दी पूरी हो जायगी, हमें बड़ी आशा थी और किसान आशा करता था कि हमारे खेत इकट्ठा हो जायेंगे और बड़े-बड़े खेत एक जगह हो जायेंगे लेकिन जैसा कि मैंने बार-बार कहा इस तरह से तो २५ साल में भी चकबन्दी नहीं हो सकेगी। हमारे कहने से कोई कमेटी नहीं बनाई गई। पी०एस० पी० का आयोग घूमा, आप उसकी बात मान लीजिये, उसी की फाइन्डिंज को मान लीजिये, हमारा पूरा सहयोग है और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा सहयोग होगा। आप उतरे हुये हैं कि हम कुछ भी कहेंगे, आप मानेंगे नहीं। हो सकता है कि हमारे कहने में अतिरंजन हो, अतिशयोक्ति हो, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन हम बिलकुल झूठे हैं और आपका लेखपाल, आपका एस०डी०ओ० और कानूनगो सच्चा है, यह हम नहीं मान सकते हैं। हमारी आपकी जो लड़ाई है यह अनन्त काल तक चलेगी, चाहे इसमें हम मिटेंगे या आप। हम गम्भीरता से कहते हैं, कोई हंसी की बात नहीं है कि अगर पूर्वी यू०पी० की खाद्य समस्या का समाधान ठिकाने से नहीं किया गया, वह हर साल की भिखमंगी कायम रही तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। थोड़ी सी तकावी, थोड़ी सी लगान की माफी और सहायता यह दरिद्रपने की चीजें हैं। हम इस पर बहुत जोर नहीं देते। हमें यह कबूल है कि हम १० साल तक भूखों मरें, लेकिन आप हमारी समस्याओं के समाधान के लिये बढ़िये, चाहे इस काम में २० साल लगें, लेकिन हमें गारंटी हो कि हमारी समस्यायें हमेशा के लिये खत्म हो जायंगी, हमको ये अखाद्य चीजें नहीं खानी पड़ेंगी तो २० साल तक हम कष्ट सहेंगे और २० साल और भी पेट पर पत्थर बांध कर रह सकते हैं। एक राष्ट्र और समाज के जीवन में २० साल एक बूंद के समान भी नहीं होता है। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ--मैं रोम-रोम से सहमत हूं नवल किशोर जी से कि खाद्य समस्या राजनीति से ऊपर है लेकिन आज जैसी आपकी राजनीति चल रही है उसमें खाद्य समस्या पीछे हो गयी है और राजनीति आगे हो गयी है। ऐसी स्थिति में पूर्वी अंचल की खाद्य समस्या को एक प्रथम स्थान और प्राथमिकता दी जाय, वरना नतीजा क्या होगा? एक निराशा पैदा होगी वहां की २ करोड़ हताश जनता में, जिसने विदेशी हुकूमत के हर पहलू का जमकर विरोध किया, आज उसी को उसका फल भोगना पड़ा। उस जनता का नैतिक पतन होगा और वह राष्ट्रीय पतन के समान होगा। जनता अन्त में ऊबेगी और दो ही आल्टरनेटिव हैं, या तो राष्ट्रीय पतन होगा या इनकलाब होगा, खूनी क्रान्ति होगी। उसको कोई रोक नहीं सकता है। न प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रोक सकती है, न कम्युनिस्ट पार्टी रोक सकती है, न कांग्रेस रोक सकती है। वह अनिवार्य है और इतिहास का सत्य है। इसलिये समस्या को गम्भीरता से लिया जाय। यह राजनीति और पार्टी का विषय नहीं है, राजहठ और झूठे अभिमान का विषय नहीं है। ६ साल से कहते-कहते हम थक गये। मेरी बोलने की इच्छा नहीं होती, मुझे कोई उत्साह नहीं होता। बोलने से क्या फायदा? मुझे तो यह देखकर इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर अविश्वास हो जाता है। हमें तो यह ढोंग मालूम होता है। न कहने का अन्त, न सुनने का अन्त और नतीजा जीरो। इसलिये मैं कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार इस गम्भीर स्थिति को उसी हिसाब से ले और इस आने वाले संकट से अपने को बचाये, देश को बचाये। कोई आज खूनी क्रान्ति नहीं चाहता है। मुमकिन है, हमारे बाद बोलने वाले कोई मंत्री जी हमारे बारे में कहेंगे कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूं इसलिये खूनी क्रान्ति की बात करता हूं। लेकिन हमने अमृतसर कांग्रेस में पीसफुल ट्रांजीशन टु सोशलिज्म की नीति अपनायी है। लेकिन यह हठधर्मी, यह मिथ्या और झूठी बातें और यह राजनीतिक चालें, इस काम को जो खाद्य समस्या को हल करने का है, उसको रोकेंगी तो हम नहीं जानते कि क्या होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महामान्य राज्यपाल ने ला ऐन्ड आर्डर के बारे में बड़ा संतोष प्रकट किया। अगर वह सेंटेंस न लिखा गया होता तो मैं कुछ नहीं कहता। संतोष प्रकट करने के बजाय अगर चुप रहते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं

होगा जो इस पर संतोष प्रकट करे। चुप रहिये तो अच्छा है, कुछ इज्जत बनी रहेगी, लेकिन संतोष प्रकट करना और उसको अभिभाषण में छाप देना यह उचित नहीं था।

मैं एक ही बात का जिक्र करूंगा कि जिसका जवाब नवलकिशोर जी ने दिया। पूरे उत्तरी हिन्दुस्तान में क्या बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का मऊ एक प्रमुख बुनकर सेंटर है। जब सारे हिन्दुस्तान में कत्ल और गारत हो रहा था, खूनी जंग और खाना जंगी मची हुई थी, जब देश के कुछ हिस्सों में हिन्दू, मुसलमान और सिख परस्पर खून के प्यासे हो चुके थे उस समय भी मऊ में शांति थी, एक ईंट और पत्थर नहीं चल रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ बातें हैं कि एक के बाद एक तीन घटनायें होती हैं कम्युनल रायट टाइप की छोटी-छोटी। एक में बनवारी लाल जी, ८४ वर्ष के वयोवृद्ध हिन्दू कांग्रेसी नेता मारे जाते हैं। उसके बाद एक उस्मान नाम का मुसलमान मारा जाता है। उसके बाद फिर एक हिन्दू मारा जाता है। अब यह चिनगारी उन जगहों पर जा रही है जहां पर साम्प्रदायिकता पहले से थी। एक हमारे साथी, श्री मुस्तफा हुसैन भी मारे गये। कोपागंज हमारे जिले में साम्प्रदायिकता का अड्डा था जहां पर पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी गयी--मुझे गर्व है इस बात के कहने में--और उस सारी फिजा को हमने बदला है। पोलिटिकल बैटिल चुनाव में हमने किया और वहां पर एक पोलिटिकल फीलिंग पैदा हुई। उसका फल यह मिला कि हमारे साथी का कत्ल हो गया। उसके बारे में जिस हल्के तरीके से भाई नवलकिशोर जी ने जिक्र किया है उसका मुझे दुःख है। एक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति होते हुये उन्होंने बहुत हल्के तरीके से उसका जिक्र किया। वह मर्डर हुआ है और सफा मर्डर हुआ है। सौ गज की दूरी पर थानेदार खड़ा हुआ है और मर्डर हो जाता है। उस मामले से सारे जिले में क्षोभ हो गया है। वह ऐज ऐन इंडविजुयल भी इतना शानदार व्यक्ति था कि उसके जनाजे में ५,००० व्यक्ति साथ गये थे और सैकड़ों हिन्दू फूट-फूट कर रो रहे थे। इस घटना का बड़ा महत्व है और इस नाते भी कि एक साम्प्रदायिक कस्बे में जहां की हवा बदल रही हो वहां ऐसी घटना होने से उसका महत्व विशेष हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। ६ साल का मेरा स्पष्ट अनुभव है और अगर यह बात सरकार ने नहीं मानी तो मैं यह भी कहता हूं कि इस हाउस में मैं आने वाले वर्षों में इस प्राबलम पर कभी नहीं बोलूंगा। आप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कमेटी की जो फाइंडिंग्ज हैं उन्हीं को मान लीजिये, हमें कोई इनकार नहीं है। अशोक मेहता साहब देश के जाने माने व्यक्ति हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी केन्द्रीय सरकार ने कायम किया था। वह सारे देश में घूमी है। अगर अनआफिशियली वह एक फाइंडिंग देते हैं तो व्यावहारिक तौर पर आपको उसे मानने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये। अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो आप इस हाउस की एक आल-पार्टी कमेटी बनाइये। मुझे विश्वास है कि मैं और बाबू मुक्तिनाथ राय, वे हमारे जिले के हैं, या कोई भी और व्यक्ति एक जगह को, एक घटना को, एक डेहरी को देखेंगे तो यह नहीं हो सकता कि हम कहें कि इसमें कुछ है नहीं और वह कहें कि इसमें तो गेहूं भरा हुआ है। न इतने हम बेईमान हैं और न इतने वह बेईमान हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक आल पार्टी कमेटी बनाइये ताकि जो परिस्थिति का असली मूल्यांकन है वह मालूम हो जाय और जो हाउस का समय बार-बार इस बात में लग रहा है वह हमेशा के लिये खत्म हो जाय कि भुखमरी है या नहीं। क्या मेजर्स लिये जायं वह तो बाद की बात है। इसके बाद जो उस कमेटी की फाइंडिंग्स हों वह हाउस के सामने लाइये। उसमें जितने भी संशोधन करके उसका एनरिचमेंट यह माननीय सदन करना चाहे वह करें और उसके बाद उसको मानिये और उस पर अमल कीजिये। हम सब एक हैं, यह राष्ट्रीय प्रश्न है, पार्टीज का प्रश्न नहीं है। हम सब यूनाइटेड हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे।

## कार्यक्रम के संबंध में जानकारी की मांग

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि २९, ३० और ३१ जुलाई का जो कार्य-क्रम रखा गया है उसमें क्या क्या रखा जायगा यह न मालूम होने से हम लोग संशोधन नहीं रख सकते हैं। पहले भी श्रीमन्, आपको खयाल होगा कि यह समस्या उत्पन्न हुई थी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

और उस समय आपने सदन को स्थगित कर दिया था। क्रम न मालूम होने से हम संशोधन रखने में असमर्थ हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि पहले क्रम बतला दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप इस सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम १९ के उपनियम (२) को देखें। वह इस प्रकार है---

"प्रत्येक सप्ताह के प्रथम कार्य-दिवस पर जब सदन समवेत हो, सदन का नेता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सदस्य प्रश्नों के उपरान्त सदन को उस सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की तथा उस क्रम की जिस प्रकार वह किया जायगा सूचना देगा। यदि कोई परिवर्तन आवश्यक समझा जाय तो ऐसा करने के एक दिन पूर्व सरकार सदन को यथासम्भव इसकी सूचना देगी" चूंकि एजेंडे में विषय आगये हैं तो जब तक सरकार सूचना नहीं देती है तब तक वह उसी क्रम से माने जायेंगे। आपके लिये सावधानी की बात यही होगी कि आप उसी क्रम से संशोधन देना शुरू कर दें। अध्यक्ष कोशिश करेंगे कि यह क्रम तोड़ा न जाय। जैसा छपा है वही क्रम रहेगा। इस साल हमारी तरफ से यह किया गया है कि दो महीने का प्रोग्राम पहले भेज दिया गया है उस क्रम में विशेष कारण के बिना कोई विघ्न उपस्थित नहीं होने दिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने आपका ध्यान उपस्थित किया कि .....

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, मैंने इतनी बात कह दी है। अब भविष्य की प्रतीक्षा करें।

## श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो श्री वीरेन्द्र वर्मा ने बधाई का प्रस्ताव उपस्थित किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रदेश में तमाम सरकार की कमियों के होते हुये सरकार की तरफ से हर विभाग में जो कार्य हुये हैं, वह प्रसंशनीय हैं, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है।

हमारे प्रदेश की मुख्य समस्या खाद्य समस्या है। दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश के कई जिलों में कई वर्षों से बाढ़ और सूखे के कारण पैदावार बहुत कम हुई है जिसकी वजह से वहां के लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई है और लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम सबका, सरकार का और विधायकों का भी परम कर्त्तव्य है कि उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये या कम से कम उनको कम करने के लिये पूरी-पूरी कोशिश करें और उनको यह सहारा दें कि उनकी तकलीफ में हम लोग भी उनके साथ हैं। हमारी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिये कि जिससे उनके जीवन में निराशा का संचार हो और वह समझ लें कि उनके सामने ऐसी कठिनाइयां हैं कि उनमें उनका कोई भी साथी नहीं है। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम उनका कल्याण नहीं करते हैं बल्कि उनका हम अपकार करते हैं और हमारी बात का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

हम बराबर इस विषय में पड़े हुये हैं कि यह भुखमरी है, या इसको तकलीफ कहा जाय या उनकी खराब हालत कही जाय। कुछ लोगों को बड़ा रोष है कि इसको भुखमरी क्यों नहीं मान लिया जाता है। अगर भुखमरी की बात सच है जिसको आज छै साल से कह रहे हैं कि भुखमरी है। अगर भुखमरी होती तो अब तक वहां की आबादी की क्या हालत हुई होती? मैं समझता हूं कि वहां की ५० प्रतिशत आबादी खत्म हो गई होती। मेरा खयाल है कि उनको यह बात कि भुखमरी है और कुछ वर्ष पहले से भुखमरी की हालत पैदा हो गयी जिस को सरकार ने माना नहीं और उसको दूर करने की कोई कोशिश नहीं की उसका नतीजा यही हो सकता है। रह गया उनकी तकलीफ को दूर करने का सवाल। वह तो दूर करना ही चाहिये। सरकार को भी उसके लिये अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोशिश करनी चाहिये और हम को भी कोशिश करनी चाहिये। सरकार की तरफ से उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिशें हुईं। बराबर कोशिशें

हो रही है। यह बात दूसरी है कि कुछ लोगों को उनकी कोशिशों से संतोष न हो और चाहते हों कि कुछ और कोशिश हो। उससे ज्यादा हो सके बहुत अच्छा है। इसमें किसी को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भुखमरी न मानकर जो सहायता हुई उससे कुछ लाभ नहीं हुआ है। काफी उनकी तकलीफ कम हुई। छः वर्ष से जब से उनकी हालत खराब है, कुछ अपने बल पर कुछ सरकार की तरफ से, जो सहायता हो रही है उसके बल पर वह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब अगर हम बराबर यही कहते रहें कि उनकी हालत कुछ ऐसी है कि उनके लिये अब कोई सहारा नहीं है, बंगाल की हालत पैदा हो गयी है, बहुत बड़ी आबादी खत्म होने वाली है, इस तरह की बातें अगर हम कहेंगे तो उनमें जो साहस है वह भी खत्म हो जायगा। किसी को मुसीबत में सहारा देने के लिये सबसे बड़ा काम यह होता है कि उनको इस बात का सहारा हो कि उनकी तकलीफ दूर हो जायगी। ऐसी तकलीफ नहीं है जो असाध्य हो जिसका मुकाबला नहीं कर पायेंगे। यह कह देना कि तकलीफ असाध्य है इससे बड़ी परेशानी पैदा होगी।

३,२८१ दूकानें मंजूर हो चुकी हैं। उनमें से ज्यादातर दूकानें खुल चुकी हैं। जो खुलना बाकी हैं उनको खुलना चाहिये। अगर कहीं पर दूकानों की और जरूरत है तो वहां पर भी खुलनी चाहिये इसमें किसी को इनकार नहीं हो सकता। दूकानों का खोलना बहुत जरूरी है। लेकिन जो दूकानें खुली हैं उनके बारे में जो नक्शा सामने रखा जाता है वह ऐसा है कि उससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि वह नक्शा ठीक नहीं है। माननीय दुबे जी ने एक नक्शा रखा। उसको देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है। उन्होंने कहा कि एक दूकान पर ६,००० की आबादी रख दी गयी है। छः हजार की आबादी कैसे दूकान से गल्ला खरीद सकती है? उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। छः हजार की आबादी एक वक्त में एक दिन दूकान पर गल्ला खरीदने तो जायगी नहीं। उसके मानी यह हैं कि १२ सौ परिवार होंगे। हम सब जानते हैं कि सब परिवार के लोग गल्ला खरीदने नहीं जायेंगे। लगभग ५० फीसदी आयेंगे। इसके माने यह हुये कि ६०० परिवार एक दूकान पर हुये। और रोज नहीं खरीदेंगे। अगर ६ दिन का समय लगाया जाय तो एक दिन में १०० परिवार हुये जो गल्ला खरीदने आयेंगे। अगर ४० मन गल्ला रोज बिकता है, २० मन गेहूं और २० मन मोटा अनाज तो वह ५०० रुपये का होगा। इस तरह से हर परिवार को ५ रुपये का गल्ला हर हफ्ते मिल जायगा। तो कौन सी हालत ऐसी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इतने आदमी एक दूकान पर रख दिये गये हैं। इस प्रकार हर परिवार को एक महीने में २० रुपये का गल्ला मिल जायगा। यह परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे यह नतीजा निकाला जाय कि इसमें कोई सहायता नहीं हो रही है। इसी तरह से बातें कही जाती हैं। यह बात दूसरी है कि कहीं पर और दूकानों की जरूरत हो। तो वहां खुलनी चाहिए। कुछ जगहें हैं जहां पर पूरी दूकानें नहीं खोली गयी हैं।

मैं फैजाबाद की तरफ भी इशारा करूंगा। फैजाबाद में दूकानें पूरी नहीं खुली हैं। ५१ दूकानें मंजूर हुई हैं लेकिन सब नहीं खुली हैं। जहां पर दूकानें खुली नहीं हैं वहां पर खुलनी चाहिये इसके अलावा वहां और भी जरूरत है और वहां पर और भी दूकानें खुलनी चाहिये।

श्री उग्रसेन--फैजाबाद में खुलनी चाहिये?

श्री जयराम वर्मा--आपका तो यह खयाल है कि इस प्रदेश में सारी जरूरत देवरिया को है और दूसरे जिलों से कोई वास्ता नहीं है। आप देवरिया जिले को इस तरह की बात कहकर और भी बिगाड़ना चाहते हैं। उनकी हिम्मत को खत्म करना चाहते हैं। यह उनके हित की बात नहीं है। आप उनको अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाह दीजिये, तभी आप उनकी मुसीबत दूर कर सकते हैं। उनकी हालत असाध्य है यह कहकर आप उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--उनका यह मतलब है कि फैजाबाद में भी दूकानों की जरूरत है या नहीं?

**श्री जयराम वर्मा**--जो दूकानें वहां पर मंजूर हुई हैं उनसे और भी ज्यादा वहां पर खुलनी चाहिये। मैं तो सारे प्रदेश के लिये कहता हूं कि जहां-जहां भी दूकानों की जरूरत हो वहां पर सब जगह खुलनी चाहिये। लेकिन हमारे दुबे जी ने जो नक्शा उपस्थित किया है मैंने उसकी तशरीह कर दी है कि उसके माने क्या हो सकते हैं। इस तरीके से उस नक्शे को खराब शक्ल देकर सदन के सामने नहीं रखना चाहिये। जो लोग कहें कि उनके जिले में जरूरत है तो वहां पर दूकान खुलनी चाहिये।

खाद्य के मुताल्लिक मेरा निवेदन है कि कुछ जिलों में बल्कि मेरे बगल के जिले आजमगढ़ में ही देहात की दूकानों पर गेहूं और मोटा अन्न दोनों मिलते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जिले में मोटा अन्न ही मिल रहा है। यह ठीक बात नहीं है क्योंकि अगर आजमगढ़ के पश्चिमी हिस्से को देखा जाय तो वहां में और हमारे यहां में कोई अन्तर नहीं है। यह दोनों एक तरह के ही हैं। तो यह जो कमी है और वहां पर जो मोटा अन्न ही दिया जाता है उससे काम नहीं चलेगा। वहां पर भी गेहूं देने की जरूरत है। बाकी जिले के और हिस्सों में भी दूकानें खुलने की जरूरत है।

श्रीमन्, यह खाद्य समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि बराबर हमारे सामने रहती है। इस मसले को हल करना हमारा परम कर्त्तव्य है। खाली हर साल कोई सहायता देने से या कोई दुकान खोल देने से यह मसला हमेशा के लिये हल होने वाला नहीं है। उसके लिये स्थायी हल निकालने की जरूरत है। स्थायी हल तभी हो सकता है जब कि उनकी पैदावार को बढ़ाया जाय और उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिये पूरी कोशिश हो। पैदावार बढ़ाने के बाद वहां पर उद्योग धन्धे खोले जायें। पैदावार बढ़ाने के लिये मेरा यह खासतौर से सुझाव है कि हम अपने देश की गल्ले की कमी को पूरा करने के लिये बाहर से गल्ला मंगाते हैं। उसके लिये काफी पैसा खर्च करते हैं। उसमें कुछ एक्सचेन्ज की भी दिक्कत होती है। उसके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि जितनी परेशानी हमको उठानी पड़ती है और पैसा व्यय करते हैं, अगर वह पैसा यहां के किसानों पर खर्च कर दें तो पैदावार जरूर बढ़ेगी। मैं इस बात को भी मानता हूं कि हमारे यहां की खेती दूसरे पेशों के मुकाबले में ज्यादा मेहनत चाहती है और दूसरे पेशों के मुकाबले में पैदावार भी कम है, आमदनी भी कम होती है और आये दिन दैवी आपत्ति भी आती है तो वहां पर किसानों को इस तरह से छोड़ देना बगैर किसी आकर्षण के दिये हुये और फिर उम्मीद करना पैदावार बढ़ जाय तो इस तरह से पैदावार नहीं बढ़ेगी। अगर पैदावार बढ़ेगी तो उससे गल्ला सस्ता होगा और जब गल्ला सस्ता होगा तो पैसा कम आयेगा। तो ऐसी दशा में उनके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि यदि वे ज्यादा गल्ला पैदा करते हैं तो उनको मुआवजा ज्यादा मिले। सरकार की तरफ से भाव तय हो जाना चाहिये। जिस प्रकार से खादी या हैंडलूम में हम रिबेट २ आना या ३ आना देते हैं उसी तरह से सरकार को जब वे अनाज दें तो उनको कुछ रिबेट दिया जाय जो सब्सिडी की शक्ल में हो। अगर इस तरह से कर दिया जाय तो उनके लिये काफी आकर्षण हो जायगा और किसान पूरी मेहनत करके गल्ला पैदा करेंगे। वह यह समझेंगे कि इसका पूरा लाभ उनको मिलने वाला है और किसी दूसरे को मिलने वाला नहीं है। इस तरह से गल्ले की पैदावार ज्यादा होगी और हमारे देश की तकलीफ दूर हो जायगी।

इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि जो खाद्यान्न है किसान उनकी तरफ ध्यान कम देते हैं और कैश क्राप्स की तरफ उनका ध्यान अधिक रहता है। मांग आती है कि गन्ने का दाम बढ़ना चाहिये। नतीजा क्या होता है कि किसान का ध्यान कैश क्राप की ओर खिसकता जा रहा है और वह गेहूं, चना, मटर और धान बोना नहीं चाहते। इस खिसकाव को रोकने के लिये यह जरूरी है कि खाद्यान्न का दाम मुकर्रर किया जाय और कुछ सब्सिडी उनको मिलने लग जाय ताकि वह उधर खिसकने न जायं। मैं समझता हूं कि अगर उनको आकर्षण मिलेगा तो उनका ध्यान इधर ज्यादा होगा और थोड़ी मेहनत करके वह अपने देश की समस्या को हल कर सकेंगे।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मान्यवर, समय के लिये थोड़ा अनुरोध मैं पहले से ही कर दूं क्योंकि लालबत्ती हो जाने के बाद आपको भी कुछ परेशानी हो जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपको ५ मिनट और मिलेंगे, इसका ध्यान रख कर बोलियेगा ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, जब हमारा यह निश्चित मत है कि इस उत्तर प्रदेश का कल्याण अधिक अन्न उत्पादन में है तो हमें यह देखना होगा कि यह सरकार इस दिशा में हमको कितनी सुविधायें प्रदान कर रही है । श्रीमन्, मुझे तो यह शिकायत है कि जो हमारे अधिकार हैं उनको उनसे भी वंचित किया जाता है । जिस चीज की हम कीमत देते हैं वह भी हमको सरकार से पूरी नहीं मिलती । हमको एक रुपये में नलकूपों से १६,००० गैलन पानी मिलना चाहिये.....

एक सदस्य---१९,६०० गैलन ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मैं और भी प्रसन्न हूं । तो मैं यह बताना चाहूंगा कि इस प्रदेश में इस गरमी और वर्षा के अभाव में जब पानी की कमी हुई तो नलकूपों का डिस्चार्ज भी कम हुआ और जितना पानी हमको एक रुपये में मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है । मैं आपके द्वारा इस सरकार को चुनौती देता हूं और यह जानना चाहता हूं कि क्या गरीब किसान इस मुनाफाखोरी के लिये है ? श्रीमन्, यह भी कहा जाता है कि सिंचाई के लिये जितनी सुविधायें हैं उन से हम किसान लाभ नहीं उठा रहे हैं । मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि किसान लाभ उठाने के लिये तैयार हैं । हाल यह है कि ट्यूब वेल मौजूद है लेकिन उसका आपरेटर नहीं है । जब पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी नहीं मिलता । जब किसान खाद, बीज, और पानी चाहता है वह उसको नहीं मिलता । मैं माननीय माल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि तकावी रूल्स में उन्होंने संशोधन जरूर किये हैं लेकिन परिस्थिति को देखते हुये उनमें और संशोधन होने की आवश्यकता है । आज यह सुविधायें समाज के उस अंग को प्रदान होती हैं कि जो समर्थ है, जो सम्पन्न है, जिसको आज उन सुविधाओं की जरूरत नहीं है । और समाज के उस अंग को जिसके पास भूमिधरी नहीं है, सीरदारी नहीं है कुछ नहीं मिलता । जब ईल्ड गिरती हो, जब उत्पादन कम हो तो ४५ प्रतिशत पापुलेशन के ४२ प्रतिशत एरिया में ब्लाक्स बने हों, मैं पूछना चाहता हूं कि उसका फल क्या हुआ ? मैं यह भी कहूंगा कि मजाक होता है ।

माननीय राज्यपाल के संबोधन में विकेन्द्रीयकरण का प्रश्न उठाया जाता है । यह दूसरा मजाक है कि अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्षों के लिये पावर्स डेलीगेशन के लिये सरकार का परिपत्र जाता है और वह गोपनीय रखा जाता है और किससे गोपनीय रखा जाता है ? इस सम्मानित सदन के सदस्य ही उसके मेम्बर भी हैं । जब दफा ७ में डेलीगेशन की पावर्स मौजूद हैं, अगर कलेक्टर उनको पढ़ नहीं सकता है तो उसको वहां रखने की भी क्या जरूरत है और उसके लिये सर्कुलर भेजने की क्या जरूरत थी । यह सिर्फ उस पार्टी को संगठित रखने के लिये भेजा गया जिसको वह करना चाहते थे । जब हर चीज आप चुनाव से करते हैं और आपका कहना भी है कि जिस जिले में उपाध्यक्ष मौजूद न हो तो वह चुना जाय, तो फिर यह कौन सा सिद्धान्त है कि एक ही सिद्धान्त पर किसी जगह आप चुनाव रखते हैं और दूसरी जगह जहां आपको सुविधा होती है, अपने बल को कायम रखने के लिये आप परिपत्र भेज देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---"आप" शब्द का प्रयोग यहां केवल मेरे लिये ही हो सकता है ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मैं समझता था कि इससे वे समझ लेंगे लेकिन आयन्दा अहतियात रखूंगा । इसलिये मैं जोर से कहता हूं कि सुनावायी हो जाय । लेकिन फिर भी माननीय नवलकिशोर जी कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है । माननीय जयराम जी का कहना है कि हम लोगों को असहाय बनाते जा रहे हैं और जब हम उनके सामने कोई चीज रखते हैं तो कहते हैं कि

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

सत्य नहीं है । हर इन्सान को हमेशा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता । कुछ इंसानों को कुछ दिनों बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन यह कांग्रेस हर इंसान को हर वक्त बेवकूफ बनाना चाहती है, जो आजकल संभव नहीं है ।

गोविन्दसहाय जी हमें बुनियादी बातों की तरफ ले जाना चाहते हैं । उनको रोकता कौन है बुनियादी बातों पर जाने से । जहां आंकड़ों का प्रश्न होता है उन्हें बुनियादी बातें सूझती हैं । हम यहां उनसे शिक्षा ग्रहण करने नहीं आये हैं ।

श्रीमन्, यह उत्तर प्रदेश की सरकार के ही आंकड़े हैं जिसमें दिया हुआ है कि सन् १९५५ में इस सरकार की पुलिस विभाग के पास २१,९८० घृणित अपराधों की सूचना दी गयी और पुलिस द्वारा २२,३६३ घृणित अपराधों की जांच की गई । ये शब्द हैं कि उनको सूचना मिली, अगर उनको यह सूचना मिली तो मैं समझता हूं कि वे सूचित हैं । ये क्या फीगर्स हैं, यह कोई मेरे अपने घर की किताब नहीं है, यह सरकारी किताब है । वे देख सकते हैं कि २१,९८० रिपोर्टेड केसेज हैं, और २२,३६३ घृणित अपराधों का इनवेस्टिगेशन हुआ । ये कहां से आये ? माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं, इसलिये मैं आपके द्वारा उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

आज हमको यह उपदेश दिया जाता है कि भ्रष्टाचार की बात मत करो । एक माननीय सदस्य तो यह भी कहने लगे कि जो भ्रष्टाचार अधिक करता है वही इसकी बात करता है । मैं यह कहता हूं कि आपकी मर्जी है, आप मालिक हैं, जो चाहें सो कहें, उस तरफ बैठ कर तो यह बात शोभती है लेकिन बहुत दिनों तक यह आवाज इस हाउस में बुलन्द नहीं हो पायेगी, यदि यही रूप-रेखा रहती है । श्रीमन्, भ्रष्टाचार निरोधक समितियां हर जिले में हैं । कम से कम माननीय मुख्य मंत्री जी से मुझे यह उम्मीद नहीं थी । जब वे समझते हैं कि जिले में जो ऐसी समितियां जिनका विधि की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, हम डाकखाने के रूप में वहां बैठते हैं, और हम कोई चीज भेजते हैं तो यह हेड आफ दि डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वह उसकी जांच कराना चाहता है तो जांच करावे । जांच कौन करता है, कल तक जो एक सब-इंसपेक्टर था और जो कि आज कम्पलेंट आफिसर के नाम से कहा जाता है । अगर विकेन्द्रीयकरण करना है तो या तो इस कमेटी को अधिकार दीजिये, नहीं तो इस कमेटी को भंग कर दीजिये । जिस उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन समितियों को जिले में कायम किया है उनका वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है । फिर मैं पूछता हूं कि आखिर हम क्या करें ? शिकायत के जरिये हम यह भी पता नहीं लगा सकते, हम उनको मजबूर भी नहीं कर सकते कि किसी मामले में जांच हो । अगर हेड आफ दि डिपार्टमेंट चाहे तो जांच करावें न चाहें तो न करावें । श्रीमन्, मैं कहता हूं कि अगर सम्बन्धित कागजात मंगाये जायें तो मालूम होगा कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में तो कुछ इन्क्वायरी भी हुई है लेकिन पुलिस विभाग में कोई इन्क्वायरी नहीं हो पायी है । इसका कारण यह है कि कम्पलेंट आफिसर साहब पुराने सब-इंसपेक्टर हैं और उसी थैली के चट्टे-बट्टे हैं । श्रीमन्, इन सब चीजों को देखते हुये हमको एक बात में कठिनाई होगी । और हम विकेन्द्रीयकरण चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा कि आप कोई भी चीज कीजिये वह इस माने में कीजिये जिसका कि लाभ हम तक पहुंच सके, सिर्फ कागज पर होने से ही कोई लाभ नहीं होता है ।

श्रीमन्, यही नहीं इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिये महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में कोई ऐसी चीज नहीं बतलायी गई है जिससे हमको संतोष हो । हां कुछ लोगों को डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनाकर, कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता है लेकिन इस समूचे प्रदेश को उससे कोई फायदा नहीं होगा ।

मैंने माना कि पूर्वी हिस्से के बारे में बहुत ही असत्य भाषण किया गया है, मैंने यह भी माना कि बहुत उन्नति होती जा रही है, चकबन्दी से समस्त प्रदेश प्रसन्न है, लेखपाल महोदय हर प्रकार

का न्याय कर रहे हैं । यह सब स्वीकार है लेकिन होता क्या है ? हमारे माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा विभाग में कुछ बुनियादी परिवर्तन करने जा रही है । भाई ठीक है, लेकिन वह चीज महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में होती तो हमको शान्ति होती । उनकी पर्सनल नालेज है, कहां तक मैं उस पर विश्वास करूं और न करूं । श्रीमन्, यही नहीं बल्कि यह भी कहा गया कि माननीय गोविन्दसहाय जी द्वारा जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव को अलग करने की बात जो बार-बार कही जाती है यह बहुत हैकनीड और पुरानी चीज है । लेकिन गोविन्द सहाय जी यह भूल जाते हैं कि संविधान में और हर जगह वे इसे देखते होंगे । फिर जब २५ साल पुरानी और सड़ी गली चीज को यह सरकार अपना नहीं सकती तो कौन सा मौलिक परिवर्तन वे करावेंगे ।

माननीय नवलकिशोर जी गरज रहे थे और यह समझाना चाहते थे कि शिक्षा और उत्पादन हर दिशा में काफी उन्नति कर रहे हैं और यह भी कहा कि पूर्वी जिलों में पहले ९८ फीसदी औरतें फटे पुराने कपड़ों में आती थीं तो अब ९५ फीसदी आती हैं । मुझे दुख होता है और लज्जा से मैं नतमस्तक हो जाता हूं जब ब्रिटिश राज्य के पैमाने पर यह सरकार कार्य करना चाहती है । इससे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती ।

माननीय नवल किशोर जी का यह भी कहना है कि फ्यूडलिज्म खत्म करके वे यह नहीं चाहते कि कैपिटलिज्म आ जाय । श्रीमन, पहले तो उसूल की बात महात्मा गांधी या चन्द इने गिने लोग किया करते थे, लेकिन अब तो बुनियादी बात पर बहुत से लोग जैसे नवल किशोर जी, गोविन्द सहाय जी भी लेक्चर देने लगे हैं । मैं कांग्रेस दल के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि खाद्य समस्या से हम सहमत हैं, लेकिन जो शिक्षा हमको दी जाती है उससे हम विरोधी दल के नाते इस प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकेंगे । शिक्षा के लिये भी एक उम्र होती है, इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये । सब चीजें अपनी जगह पर उचित ढंग से होनी चाहियें ।

साम्यवादी पार्टी के सदस्यों के भाषण सुनने से कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि वे डेमोक्रेसी के इस ढंग से कुछ बड़े दुखी हैं और उनके पैर फिसलना चाहते हैं । मैं उनसे कहूंगा कि साहस और धैर्य छोड़ देने से कोई पोलिटिकल पार्टी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती है । प्रजातंत्र में बहुत सी बातें सुन चुके और बहुत सी बातें कह चुके । यह कहना और सुनना अपनी जगह पर सदैव कायम रहेगा । यह कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव धन्यवाद का आया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । इससे पहले कि मैं उस सम्बोधन के सम्बन्ध में कुछ कहूं मुझे परसों जब माननीय राज्यपाल जी का सम्बोधन शुरू होने ही को था तो सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय राजनारायण जी पर बड़ा तरस आया । वह एक ओर तो यह जानते हुए कि माननीय राज्यपाल हिन्दी भाषा में बोल नहीं सकते उन्हें इस हाउस को तामिल या तेलगू भाषा में, जिसका एक शब्द भी इस सदन के सदस्यों की समझ में न आता सम्बोधित करने के लिए आग्रह किया और उनके माफी मांगने के बाद भी यह जानते हुए कि वह असमर्थ हैं, सदन से उठ कर चले गये ।

अब जहां तक अभिभाषण का सम्बन्ध है, कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जिस पर राज्यपाल जी ने प्रकाश न डाला हो । यह ठीक है कि जो कुछ नहीं अब तक पूरा हुआ उसका कोई कैटलाग नहीं है उनका अभिभाषण । उस अभिभाषण में, प्रदेश की कितनी आवश्यकतायें हैं, उनको कितना पूरा किया गया, कितना अभी बाकी है, क्या-क्या सरकार को वर्ष के भीतर में करना है इसका समुचित दिग्दर्शन मिलता है । उसके भीतर मिलता है खाद्य समस्या की ओर इशारा, उसमें हमें मिलता है मीडियम और काटेज इंडस्ट्रीज की ओर इशारा । उसमें हमें मिलता है समाजवादी समाज के लाने के लिये जो सरकारी कामों में ठेकेदारी की प्रथा है उसको हटा करके लेबर कोआपरेटिव की आयोजना । उसमें यह भी है कि सारे काम कोआपरेटिव्ज के जरिये किये जायें । इन तमाम बातों की ओर उनका इशारा

[श्री उदयशंकर]

है। उनका इशारा इस ओर भी है कि भ्रष्टाचार जो हमारे न्यायालयों आदि में है उसको हम किस तरह से रोकें। उनका इशारा इस ओर भी है जो हमारे एन० ई० एस० ब्लाक्स काम कर रहे हैं। उनमें जितने काम हुए हैं उसकी रूप रेखा दी हुई है कि उसकी देखरेख के लिये भी एक कमेटी बनायी जाय। इन तमाम बातों की ओर इशारा किया है। शिक्षा की ओर भी जो इशारा किया है वह सब हमें बताता है। अगर वह एक-एक चीज को कहते तो मेरी समझ में इस सदन के सदस्यों की बुद्धि का मूल्यांकन कम होता। तो वह तमाम बातें जिनमें इस प्रदेश को आगे ले जाने की बात है इस अभिभाषण में पूरी तरह से हैं और कोई भी आदमी जो उसे ध्यानपूर्वक पढ़े तो इस नतीजे पर आयेगा कि अभिभाषण में कोई कमी नहीं है। किसी चीज को उन्होंने छोड़ दिया हो ऐसी बात नहीं है।

अब रहा उसे पूरा कैसे करना चाहिये। तो मुझे देखने में यह आता है कि वह लोग जो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, जो बहुत ज्यादा एक चीज को बढ़ा कर कहते हैं उन्हें कितनी रियायतें मिल रही हैं। मसलन एक मिसाल के लिये मैं लेता हूं कि जितने भी हमारे पुराने जमींदार साहबान थे जिनकी जोत में प्रदेश की जो जमीन है वह उसका ज्यादा से ज्यादा भाग है। प्रदेश के गांवों में आप जायं तो एक तिहाई के लगभग जमीन तो पुराने जमींदारों के हाथ में अब भी है। उनके साथ हमारी सरकार ने जो भूमि व्यवस्था का कानून बनाया उसमें उनके साथ रियायत की गई और वह आज भी जमीन को एक प्रीमियम के साथ जोते हैं, जब कि उन्हीं की बगल में दूसरे काश्तकार जो वैसी ही जमीन जोत रहे हैं, वह लगान उनसे ज्यादा देते हैं। और यह उससे कम लगान देते हैं जिसकी वजह से जो ज्यादा मेहनतकश हैं उसके ऊपर एक प्रीमियम है। अब यह रिआयत कि जो जरा आराम से रहे हैं वह धीरे-धीरे संभल जायं और संभल करके अपनी स्थिति को संभाल लें, इस काम के बदले आप उल्टे चिल्लाते हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है।

अब एक दूसरी चीज देखने की है। खाद्यान्न की कमी हमारे सूबे में हो गयी है। हमारे भाई गेंदासिंह जी बहुत ज्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाय। गन्ने के रकबे में जितनी जमीन चली गयी उसमें शायद किसान ने अपनी अच्छी से अच्छी जमीन लगा दी और इसलिए वह गन्ने में अपनी जमीन ले गया कि खाद्यान्नों के दाम उसको उतने नहीं मिलते जितने गन्ने से मिलते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि खाद्यान्न घट गया और आज हमें लाखों मन गल्ले के लिए दूसरों के सामने हाथ पसारना पड़ता है और इस प्रदेश का बहुत सा रुपया हमको सब्सिडी के रूप में सस्ते गल्ले की दूकानों में देना पड़ता है। अगर हमारे भाई गेंदासिंह जी किसानों से इस बात को कहें कि वह गन्ने को थोड़ा कम बोयें और उसका इंटेंसिव कल्टीवेशन करें और जो जमीन गन्ने में फंसी हुई है वह कुछ खाद्यान्न में आये तो शायद इस समस्या का हल आसानी से हो सकेगा।

अब रही एक बात कि जितना लोगों को कष्ट है, तो यह तो ठीक है कि जब कोई दैवी आपत्तियां आती हैं तो उनसे लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और तभी ये जितनी चीजें हैं होती हैं, जैसे भकोड़ खाने की बात और कहीं साखू के बीज खाने की बात कही गयी। यह तो हमेशा जब इस तरह की स्थिति आयेगी तब जो खाद्यान्न है वह सप्लीमेंट किया जायगा इन चीजों से और आदमी अपनी जगह पर उसको सप्लीमेंट करेगा। आज भी आप लखनऊ की सब्जी की दूकानों पर जायं तो वहां भकोड़ काफी मिलेगा। वहां अगर यह चीज मिलेगी तो वहां लोग ज्यादा खायेंगे। यह ठीक है कि यहां लोग तफरीह में खाते हैं, लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह अखाद्य चीज है। वह कोई अखाद्य चीज नहीं खा रहे हैं। वैसे तो महुआ है, सरई है, आम की गुठलियां हैं, ये चीजें भी खाद्यान्न को सप्लीमेंट करती हैं। आम की गुठलियां भी लोग खाते हैं। तो इस चीज को एक ऐसा रूप दे देना कि उससे एक असन्तोष की भावना लोगों में पैदा हो, यह कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है।

ऐसे समय में जब मुल्क एक समस्या से गुजर रहा हो तो हमें अपने सारे रिसोर्सेज से आदमी को जिन्दा रखना है। हां, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस चीज को भी कहा, इशारा किया कि जो नेचर की वैगरीज हैं उन पर हमें भरोसा नहीं करना है। आगे चल कर उन्होंने कहा है कि हमें उन देशों की तरह अपने देश में खेती का प्रबन्ध करना है जहां पानी कम होता है, लेकिन खेती पूरी कर लेते हैं। इस ओर भी उन्होंने संकेत किया है और हमारा पूरा-पूरा विश्वास है कि यह मंत्रिमंडल इस ओर प्रयास करेगा कि आगे चल कर, चाहे इसमें २,४,१० वर्ष क्यों न लग जायं, अगर पानी न भी बरसे तो हमारी खेती किसी तरह से सफर न करे।

एक बात और अर्ज करूंगा। भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। बात सही है। इससे कोई इनकार नहीं है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार प्रायः हर वाक आफ लाइफ में है और कुछ समय तक अभी रहेगा, बिलकुल नेस्त नाबूद शायद कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी नहीं होगा। उसके लिये एक क्लाइमेट पैदा करने की जरूरत होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा मंत्रिमंडल उस ओर कदम उठायेगा। जो काम सरकारी ढंग से होने को है, जिन कामों को लोगों को करना है, उनमें सरकार से जितना सम्बन्ध पड़ता है उसके सम्बन्ध में ईमानदारी के रास्ते पर चलने में अगर आसानी और सस्ता पड़े तो बेईमानी के रास्ते पर लोग कम जायंगे। इसके लिये हमें कदम उठाना होगा और हमारी सरकार को योजनायें बनानी पड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ओर हमारी सरकार का पूरा ध्यान है और वह इस ओर सक्रिय कदम उठा रही है। अब यह दूसरी चीज है कि यह रोग इतना व्यापक है कि उसमें जितनी कामयाबी हमको मिलनी चाहिये उतनी अभी तक नहीं मिल पायी है। यह मसला ऐसा मसला है कि जब तक सब लोग मिल कर इसे हल करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक किसी तरह से कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी। आप चाहेंगे कि जो चीजें आपके मन में हैं वह तो कर दें और दूसरे ईमानदार बने रहें, यह असम्भव है। इसके लिये पहले तो एक स्टैंडर्ड अपना बनाना होगा। मैं तो चाहूंगा कि लेजिस्लेचर्स में जो लोग चुन कर आयें उनका एक कोड आफ कांडक्ट हो, उनका एक स्टैंडर्ड हो कि वे उतने से आगे कोई चीज नहीं करेंगे और जब तक लेजिस्लेचर्स का कोई कोड आफ कांडक्ट नहीं बनता तब तक हम और आप यह कहें कि छोटे-छोटे अहलकारों को, छोटे-छोटे आदमियों को सीधे रास्ते पर ले आयेंगे यह बहुत मुश्किल बात है और मुझे बहुत कठिन नजर आती है।

**श्री उपाध्यक्ष**--समय समाप्त।

**श्री उदयशंकर**---इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन साथी दवनारायण जी भारतीय ने महामहिम राज्यपाल के संबोधन के सम्बन्ध में किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। सरकारी पक्ष धन्यवाद का प्रस्ताव ला करके हमसे सहयोग और समर्थन चाहता है। मैंने इस सम्भाषण को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा। मालूम हुआ कि एक बड़ा क्रान्तिकारी नारा सामने आया है कि अब शायद समाजवादी लक्ष्य खत्म हो गया है और साम्यवादी लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं और उसके लिये सहयोग और ट्रूस की अपील की गयी है। जो सरकार ने अब तक कार्य किये हैं उनका काफी अच्छा गुणगान उसमें है और भविष्य की कुछ योजनाओं की तरफ थोड़ा सा इशारा है। इस प्रकार की चीजें मैंने महामान्य राज्यपाल महोदय के भाषण में देखीं; और मुझे बड़ा दुःख हुआ। प्रान्त में अभी दो तीन महीने पहले विभिन्न प्रकार की महामारियां, जैसे मस्तिष्क शोथ ज्वर जनित बाल रोग, चेचक और हैजा आदि रोगों के कारण हमारे प्रदेश की कितनी ही ललनाओं के लाल लुट चुके हैं और कितनी ही वीरांगनाएं वैधव्य भोग रही हैं। उनके प्रति भविष्य के लिए कुछ करने की बातें तो दूर रहीं बल्कि उनके प्रति समवेदना और सहानुभूति के दो शब्द नहीं पाते हैं और हमसे कहा जाता है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद दीजिये।

[श्री रामसिंह चौहान वैद्य]

हमारा भावी भविष्य विभिन्न प्रकार के रोगों में नष्ट हो रहा है और पशुधन पानी और चारे के अभाव में नष्ट हो रहा है। इसके लिये कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि भविष्य में अन्न पानी के अभाव में किसी को तरसना नहीं पड़ेगा। कोई भी समवेदना की बात दिखाई नहीं देती जिससे उनको थोड़ी सी भी सांत्वना मिलती कि भविष्य में वह इस तरह की मृत्युओं के शिकार नहीं होंगे।

जहां तक अन्नाभाव का सवाल है उसके लिये बहुत कुछ कहा जा चुका है। पानी के अभाव के सम्बन्ध में बांदा और हमीरपुर का जिक्र किया गया है। लेकिन अल्मोड़े की भी यही हालत रही और पीने के पानी तक के लिये लोग तरस गये। १२ वर्ष से अपनी सरकार बनाने के बाद भी और सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाओं के बावजूद भी हमारी पानी की समस्या हल नहीं हो पाई है तो अन्य समस्याओं के लिये तो रोना ही रह जाता है। मूक पशुओं के चारे की क्या हालत है? इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं देख रहा हूं कि पश्चिमी जिलों में भी यही हालत है। वहां पर भूसा ६-७ रुपये मन बिक रहा है। एक ओर तो चारे के अभाव में पशु मर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न रोगों में जनता ग्रस्त है और हमसे कहा जाता है कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य की पूर्ति की ओर पहुंच चुके हैं।

कहा जाता है कि ३३३ विकास खंड खुले हुये हैं और हमारे यहां काफी विकास हुआ है। हां, विकास जरूर हुआ है। थोड़े से मकान बन गये हैं, कुछ लोगों को सुभीता हो गया है लेकिन हमारे लिये क्या विकास हुआ? किसानों को कितना लाभ हुआ है? विकास खंडों में आज जाकर देखिये कि कृषि की शिक्षा कितनी हुई है। बड़ी अजीब सी बात मालूम होती है नारे बाजी का दोष हम पर लगाया जाता है लेकिन उसमें कितना हाथ सरकार के लोगों का है इस पर विचार नहीं किया जाता है। एक नारा दो महीने पहले लगाया गया और उसका काम भी पूरा हो गया है। खरीफ आन्दोलन चला और ढेंचा और सनई वगैरह के बीज पहुंचाये गये। लेकिन पता नहीं कि पहुंचे भी या नहीं? इसका भी पता नहीं चलता कि वह कौन सी योजना है? हमें पता नहीं चलता है लेकिन सुनाई अवश्य पड़ जाता है, अखबारों में देखने को मिलता है, पत्रिकाओं में देखने को मिलता है और फोटो भी नजर आते हैं बड़े-बड़े सुन्दर, बड़े-बड़े अच्छे, लेकिन वहां जाने पर देखते हैं कि न ढेंचा बोया गया है न सनई। खरीफ आन्दोलन खत्म हो गया। बड़े गीत गाये जायंगे, आंकड़े बिछा दिये जायंगे, तरह-तरह की सुन्दर किताबें छपा कर बटवा दी जायंगी और सन्तोष कर लिया जायगा कि अब हम सम्पूर्णता की तरफ पहुंच गये हैं। सदैव सुझाव दिये जाते हैं।

(इस समय ४ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

बाढ़ की समस्या हर साल आती है, इतना पानी आता है। उसकी रोकथाम के लिए पचासों बार इस सदन में सुझाव दिये गये हैं। पानी का देश में अभाव नहीं है लेकिन हमारी नासमझी के कारण हमारे हाथ से पानी चला जाता है। उसको स्थान-स्थान पर रोक कर छोटी-छोटी बंधियां और तालाब और कुएं बनाने की बात कही गयी। लेकिन उनसे तो सरकार के सहयोगियों को, सेठ साहूकारों, ठेकेदारों को कुछ मिलेगा नहीं। उनको उससे लम्बी चौड़ी रकमें तो मिलेंगी नहीं। वह कार्य तो गांव सभाओं के द्वारा कराया जायगा। छोटे-छोटे कार्य क्यों करें, उनके सहयोगियों को, सेठों को पैसा कैसे मिलेगा? वहां पर पापाचार कैसे चलेगा? मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार भाग रहा है। उसका तो दम टूट रहा है। अब तो पापाचार है। जो सुझाव दिये जाते हैं माने नहीं जाते हैं। क्या किया जाय?

दलबन्दी की बात कही जाती है कि राजनीतिक दलबन्दी न बढ़ाइये। जरा अपनी ओर भी देखिये। पद और पूंजी के लोभ में स्वयं जकड़े हुए हैं और हमको उपदेश देते हैं कि दलबन्दी न करो।

मेरा नम्र निवेदन है कि जहां तक प्रदेश की उन्नति का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि कोई भी प्रदेश का व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपनी अच्छी योजनाओं के लिए जिनसे प्रदेश को लाभ हो, किसानों और श्रमिकों का लाभ हो, उसमें सरकार से सहयोग न करे। लेकिन सहयोग आप चाहते कहां हैं? आप सहयोग चाहते हैं सेठों और साहूकारों का और उन्हीं के सहयोग पर आपकी सरकार चल रही है। हमारा सहयोग नहीं चाहते हैं। केवल उपदेश देते हैं, नारा देते हैं। जो सरकार यहां से पहले गयी है आपके हाथ में बागडोर छोड़ कर, वह यही पाठ पढ़ा गयी है। उसको आप भूलना नहीं चाहते हैं। हमसे कहते हैं कि इस पाठ की पूर्ति के लिए सहयोग दीजिये। हम कैसे सहयोग दें? हाथ पैर बांध कर आप चाहते हैं...

**श्री अध्यक्ष**--'आप' का प्रयोग बहुत कर रहे हैं। अब सरकार का प्रयोग कीजिये।

**श्री राम सिंह चौहान वैद्य**--सरकार के ही संबंध में मैं कह रहा हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रयोजन सरकार से ही था। तो जो स्थिति इस वक्त हमारी है उसके लिये विभिन्न प्रकार की जो योजानाएं हैं उनको जब तक अब विकेन्द्रित नहीं करते हैं और जो बार-बार समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ सुझाव दिये हैं अन्न समस्या को हल करने के लिये कि अन्न सेना बनाइये, पानी की समस्या के लिये छोटी-छोटी बंधियां बनाइये, वर्षा के पानी का उपयोग कीजिये जिसके न होने के कारण बाढ़ें आती हैं, जल का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि जिससे हमने जो काम किये हैं कुछ थोड़े से गांव ऊंचे किये हैं, नदियों के किनारे बंधियां बनायी है वह सब टूट जाती हैं। ऊपर से अब रोक कीजिये। नीचे रोक करने से उल्टा काम होगा। उससे क्या लाभ हो सकता है? मालूम तो ऐसा पड़ता है कि दूध के उफान को रोकने के लिये मलाई का बांध बना देना चाहते हैं। देश की अच्छी मिट्टी अच्छा धन, श्रम सब गलत प्रयोगों में नष्ट हो रहा है। इसलिये मैं अपनी सरकार से अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, यह निवेदन करूंगा कि जो सुझाव केन्द्रीय सरकार ने दिये हैं उन सुझावों को अपनाइये। हमारी बातें अगर अब अच्छी नहीं लगती है तो कम से कम अपनों की बातों को मानिये और उनको अपनाकर देश के कल्याण के लिये, जन जीवन के कल्याण के लिये कार्य कीजिये। पार्टी का हित, पद की प्रतिष्ठा और पूंजीपतियों का पालन आदि जो आज की पालिसी है उसको समाप्त करें। देश के सर्वोदय के लिये गान्धी जी का जो नारा है, आज जो अन्य बड़े-बड़े नेता भी उस नारे को लगाते हैं, उस नारे को अपनाकर सब के सुख के लिये कार्य कीजिये।

यह तो मुझको मालूम है और मेरे सभी साथी जानते है कि हमारे प्रदेश में जो पक्षपात पूर्ण व्यवहार हो रहा है यह उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। तो मैं अपने सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम आप सभी अपनी सब समस्याओं पर शान्ति, सहानुभूति और समवेदना पूर्वक विचार करें। जो भी सुझाव विरोधी दल के आते हैं उनको केवल यह न समझें कि वे विरोध स्वरूप सुझाव देते हैं या कोई उनको शौक है। अगर उनमें तथ्य है तो उनको अपनाने की कृपा करें और अपने प्रदेश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें जिससे कि हम कम से कम अन्न और जल के लिये न तड़पें और तरसें।

शिक्षा के संबंध में बहुत बातें सभी साथी कह चुके हैं। यह प्रयोगशालाएं बन्द कीजिये। आज देखते हैं कि प्रदेश के अन्दर गांवों में जो छोटी-मोटी शिक्षाशालाएं चल रही हैं उनकी दशा

[श्री रामसिंह चौहान वैद्य]

इतनी दुखद है कि उनको देखकर अफसोस होता है। कहीं पर बच्चे नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। कहीं पर टूटे-फूटे मकान में बच्चे पढ़ रहे हैं। जितने भी स्कूल हैं वे अधिकांश में प्रायः नष्ट-भ्रष्ट पड़े हैं।

अब आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को तोड़कर जिला परिषदें बनाई हैं। उनका कार्य किस प्रकार होगा यह अभी भविष्य के गर्भ में है।

अब बहुत से विधेयक आने वाले हैं जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में कहा है। रेन्ट कन्ट्रोल की बात है और दूसरे विधेयकों की बात है लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिसके लिये मैं प्रदेशीय सरकार का ध्यान दिलाने के लिये कहना चाहता हूं वह यह है कि जो कीमतें हैं उनको किसी स्टेज पर स्थिर रखना चाहिये। जिस वक्त किसानों के खेत में अन्न पैदा होता है उस समय गेहूं १३, १४ रुपये मन उनसे खरीद लिया जाता है, बाद को अधिक दाम पर वह बिकता है। मेरे जिले में २४, २५ रुपये मन बिका है। इस प्रकार से इस पर कंट्रोल करने की चेष्टा की जाय जिससे दाम ज्यादा ऊंचे न जायं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज साधारण सा विधेयक इसके लिये ला सकते हैं। तब पहले साल से उसमें इतना अन्तर दूसरे साल नहीं आयेगा। किसान जब पैदा करते हैं तो सौदागर और सूदखोर उनसे जाकर खरीद लेते हैं जो सस्ते से सस्ते दाम पर लेते हैं। उसके बाद वह अपनी खत्ती भरते हैं। खत्ती भरने के बाद फिर उपभोक्ताओं के जीवन से खिलवाड़ करते हैं और प्रदेश के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसको रोकने की कृपा की जाय। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस संबंध में शीघ्र से शीघ्र कोई विधेयक लाये जिससे हमारी कीमतों की समस्या हल हो सके।

इसके अतिरिक्त जहां तक और समस्याओं के समाधान की बात है उसके संबंध में हमारे बहुत साथी अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। मैं अधिक समय न लेकर केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जो राज्यपाल महोदय ने संबोधन किया है उसमें जो हमारे साथी के द्वारा संशोधन रखा गया है उसको सम्मिलित कर लिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने माननीय राज्यपाल को उनके भाषण पर बधाई के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आया हूं। इस भाषण के संबंध में कल माननीय गेंदासिंह जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था कि मुझे यूं बोलना पड़ा कि मैं यह समझा कि एक बहुत अच्छे वकील ने एक बहुत कमजोर केस को ले लिया। भाषण के लिये तो उन्होंने काफी कह दिया। यह मान लिया गया कि वह भाषण बहुत अच्छा भाषण था। उसमें सब आवश्यक वस्तुओं का सन्निवेश था। अब एक चीज यह आती है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार का केस वास्तव में ऐसा कमजोर है कि जिसको प्लीड नहीं किया जा सकता ? क्या वह ऐसा है कि जिसका औचित्य दिखलाया नहीं जा सकता ? अध्यक्ष महोदय कल से आज तक जितना विवाद इस विषय पर चला है उसमें अधिकतर समय पूर्वी जिलों की परिस्थिति का वर्णन करने में लगा है और मैं समझता हूं कि यह विषय इस सदन में बहुत बार आ चुका है और वहां की परिस्थिति भी ऐसी है कि जिसके विषय में हमें सोचना ही पड़ेगा कि क्या हो और क्या न हो। परन्तु मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी जिलों की स्थिति स्थायी रूप से खराब है या अस्थायी रूप से। कल अन्न के भावों का चर्चा था, मेरे पास यह आंकड़े हैं, इनमें बताया गया है कि पूर्वी जिलों में अन्न के भाव उतने नहीं बढ़े जितने कि पश्चिमी जिलों में बढ़े हैं। जून और जुलाई में पश्चिमी जिलों में सवा दो और सवा तीन रुपये तक भाव बढ़ गये हैं जब कि पूर्वी जिलों में २ रुपये ५० और केवल ५२ पैसे तक ही भाव गये हैं। इसका यह अर्थ है कि या तो सरकार ने पूर्वी जिलों में इतना अन्न भेज दिया कि जिससे इतनी अन्न की वहां कमी होते हुए भी अनाज के भाव ऊंचे नहीं हो सके अथवा वहां की हालत अच्छी है और यदि सरकार ने अनाज दिया है, वहां भेजा है तो पूर्वी जिलों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की सरकार

का मुकदमा बहुत कमजोर नहीं दिखाई देता । हमको यह कहना पड़ेगा कि वहां के लोगों की परिस्थिति को देख कर सरकार ने जो कुछ हो सकता था किया और यह बात स्पष्ट है। हमारे पश्चिमी जिलों में अभी थोड़ी सी दुकानें खुली हैं किन्तु वहां उनकी संख्या बहुत अधिक है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में पूर्वी जिलों के संबंध में काफी कहा है और उन्होंने यह भी आश्वासन दिलाया है कि यह सरकार पूर्वी जिलों का स्तर ऊंचा उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी । फिर मैं, अध्यक्ष महोदय, नहीं समझ पाया कि इसके ऊपर इतनी अधिक चर्चा की क्या आवश्यकता थी ।

अब जहां तक पिछड़ेपन का संबंध है, हम इसे बहुत दिनों से देख रहे हैं । राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में कहा है कि ब्रिटिश शासन में यह जिले नेग्लेक्टेड रहे और इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत काफी खराब हो गयी । अगर हम देखें तो जब से यह कांग्रेस सरकार आयी है बजट का एक बहुत अच्छा प्रतिशत पूर्वी जिलों पर लगाया जाता है और मुझे इसका कोई विरोध नहीं है । मैं समझता हूं कि यह लगाया जाना चाहिये । जहां आवश्यकता हो वहां लगाया जाना चाहिये । परन्तु इसके साथ ही हम यह देखें कि इससे हमारी सरकार का केस मजबूत होता है या कमजोर । इससे उनकी परिस्थिति में कोई अंतर पड़ा है या नहीं । अभी नवलकिशोर जी ने श्री त्रिलोकीसिंह जी के व्याख्यान के बारे में कहा था । उन्होंने कहा था कि ९५ प्रतिशत लोग फटे कपड़ों में दिखाई दिये । हमें यह देखना है कि कांग्रेस राज्य के बाद उनकी संख्या ९८ से ९५ हुई है या ९० से ९५ । मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं । जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां हर साल बाढ़ आती है । जब मैं इस असेम्बली का मेम्बर नहीं था, बहुत दिन नहीं हुए, एक साल अनाज की वहां कमी थी । मैंने देखा कि लोग वहां एक प्रकार की 'लेदर' घास होती है उसके दाने निकाल कर खा रहे थे । इधर तीन, चार साल से वहां की पैदावार बिलकुल खराब हो रही है , लेकिन जब मैं इधर घूमा तो किसी ने यह शिकायत नहीं की कि वहां घास खायी जा रही है और वह ऐसा क्षेत्र है कि जिसका सरकार को सहायता में पूर्वी जिलों से कोई अनुपात नहीं । जब उस क्षेत्र में घास खाना बन्द हो सकता है तो मैं नहीं समझता कि पूर्वी जिलों में अभी तक कोई उन्नति कैसे न हुई हो । कल सीताराम जी ने भी वहां के बारे में कुछ कहा इस विषय पर और उनको कहने का अधिकार है । वह वहां के रहने वाले हैं । माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि—बाबू सम्पूर्णानन्द जी उन्हें अपने ही परिवार का समझें । बाबू जी ही नहीं, हम में से प्रत्येक सदस्य को यह समझना चाहिये कि हम अब एक ही परिवार के सदस्य हैं । यदि प्रदेश के समूचे बजट को दो वर्ष के लिये पूर्वी जिलों में दे दिया जाय और इससे वहां की हालत ठीक हो सके तो मैं समझ लूंगा कि यदि परिवार के सारे सदस्यों के दो दिन उपवास करने से परिवार का एक रोगी ठीक हो सकता है तो मैं भी उसके लिये तैयार हूं । लेकिन यह हो नहीं सकता, हम आहिस्ता-आहिस्ता ही प्रगति कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हमने पढ़ा कि पूर्वी जिलों की हालत सुधारने के लिये आयोजन किया जा रहा है कि हंगर मार्च होंगे, कुछ लोग संगठित होकर जलूस निकालेंगे और प्रचार करेंगे । असेम्बली में भाषण करेंगे, लेकिन हमने यह नहीं सुना कि यह कहा गया हो कि वहां के लोग रुपया जमा करें, मुख्य मंत्री जी से कहा जाय कि आप अपने नाम से वहां के लिये एक फंड खोलिये जिससे उन जिलों के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। होगा क्या ? व्याख्यान होंगे, हंगर मार्च होंगे और प्रचार होगा । माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आश्वासन दिलाया है कि उनकी सरकार इस भाग के लिये पूरा प्रयत्न करेगी और अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि "मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि आप में से प्रत्येक, राजनीतिक विचारों में विभिन्नता होते हुए भी, मेरी सरकार को इस क्षेत्र के निवासियों का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के कठिन कार्य में पूरी सहायता करेगा" । इस भाषण के बाद मैं आशा करता था कि प्रत्येक दल के नेता गवर्नर महोदय को अपने पूरे सहयोग का आश्वासन दिलायेंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ ।

[श्री जगदीशप्रसाद]

खाद्य की समस्या पर यहां बहुत ज्यादा बहस हुई। मैं इसे एक दृष्टिकोण से आपके सामने रखूंगा। आप देखेंगे कि सिंचाई के साधन बढ़े, बीज और खाद का भी प्रबन्ध हुआ। यह कहा जा सकता है कि ज्यादा होना चाहिये था। लेकिन इस बात पर जो बहस है कि यह सरकार के प्रयत्न की कमी है, तो क्या विरोधी दल के सदस्य यह समझते हैं कि यदि यह अतिवृष्टि और अनावृष्टि हमारे प्रदेश में २,३ वर्षों से न हुई होती तो भी हमारे प्रदेश में खाद्यान्न की इतनी कमी होती? मैं कहता हूं कि हर्गिज नहीं। उन्हें समझना चाहिये कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य से अधिक अन्न उत्पन्न कर लिया था। एक वर्ष तो अनाज के भाव गिरने लगे थे और यह समस्या पैदा हो गई थी कि अनाज के भावों को कैसे रोका जाय ताकि किसान को हानि न हो। उसके बाद यह कहना कि सरकार ने पूरा प्रयत्न नहीं किया, युक्तिसंगत नहीं है। दैवी आपदाओं का कोई सरकार कैसे मुकाबला कर सकती है? अनावृष्टि का प्रबन्ध सरकार कुछ कर भी सकती है। गवर्नर महोदय ने भी कहा है कि प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो भी सरकार साधनों को बढ़ा रही है और १०,२० वर्षों में पूरा इन्तजाम हो जायगा। परन्तु अति वृष्टि का क्या होगा? आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में गवर्नमेंट आफ इंडिया को फूड ऐण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, इमारत में ८ फीट पानी था। मैं नहीं समझता कि आज इस संसार में कोई भी सरकार ऐसी है जो कि इस प्रकार की दैवी आपदाओं का सामना करने में सक्षम हो।

गवर्नर महोदय ने यह भी कहा कि सिंचाई के पूरे साधनों का उपयोग नहीं होता यह ठीक है और माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि पूरा कोआर्डिनेशन न होने से साधनों का पूरा उपयोग नहीं होता मैं इसे मानता हूं कोआर्डिनेशन की कमी है, कुएं बन जाते हैं, इनर्जाइजेशन नहीं होता, तार लग जाते हैं और उन पर दो दो वर्ष तक बिजली नहीं दौड़ती, इससे अपव्यय होता है इसे रोका जाये।

अन्न के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कुछ आंकड़े दिये। उनके इस कथन से तो मैं भी सहमत हूं कि कभी-कभी सरकारी आंकड़ों में परस्पर विरोध हो जाता है परन्तु जो आंकड़े उन्होंने दिये, मैं समझता हूं कि उसमें भ्रम है। उन्होंने बताया कि १९५४–५५ के सरकारी जो सिंचाई के आंकड़े हैं वह ३०·६ प्रतिशत हैं। उसी पुस्तिका से मैंने भी देखा है।

श्री त्रिलोकीसिंह—वह यह किताब नहीं है, पीली किताब है।

श्री जगदीशप्रसाद—मैंने उसको देखा तो वह वास्तविक बोये हुए क्षेत्र और वास्तविक सिंचाई के क्षेत्र का अनुपात है। सिंचाई क्षेत्र में जितने भी साधन हैं उनमें प्राइवेट साधन भी हैं, ९ लाख के करीब कच्चे और पक्के कुएं भी हैं, तालाब भी हैं। लेकिन महामान्य राज्यपाल ने जो आकड़े दिये हैं वे केवल सरकारी साधनों द्वारा सिंचाई के ही दिये हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह—ऐसा नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद—इसमें विकेन्द्रीकरण का भी जिक्र किया गया है। हमारे सामने यह बहुत बड़ी समस्या थी। उसके लिये जो जिला परिषदों और गांव सभाओं को अधिकार दिये जाने का जिक्र है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे शासन की जो अनियमितताएं हैं, जो इनएफीशिएन्सी व करप्शन है, उसको दूर करने का यह एक बहुत बड़ा उपाय है।

सहयोगी आन्दोलन के विषय में भी सरकार की जो चेष्टा है उसका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके बारे में मेरा अपना खयाल है कि मुनाफा कमाने वाली सोसाइटीज तो बहुत बन जाती हैं लेकिन यदि हम उनको उत्पत्ति के कार्यों में डाल दें तो बहुत अच्छा हो और यह भी खुशी

की बात है कि उसके विधान में भी कुछ तब्दीली होने जा रही है। क्योंकि इससे हमारे सामने जो दिक्कत थी कि हमारी स्कीम साधारण आदमी को नहीं खींचती थी, वह चीज दूर हो जायगी।

"अध्यक्ष महोदय मेरा समय हो गया है, भ्रष्टाचार की यहां बहुत चर्चा रही और प्रायः इस सदन में इस पर बहस होती है परन्तु अभी तक हम कोई फूल प्रूफ सुझाव नहीं दे सके कि जिसके अपनाने से यह बन्द हो जाय। अब सरकार का एक हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का विचार है जो इस पर विचार करे, मैं इसका स्वागत करता हूं।

नियोजन के संबंध में माननीय गोविन्दसहाय जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इतने वर्षों के बाद आज यह देखने की जरूरत है कि क्या-क्या काम हुए और हम उनके द्वारा जन सहयोग को किस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं।

**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दूसरा दिन इस विवाद का है, महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में और इस धन्यवाद-प्रस्ताव के समर्थन में जो रस्म-अदा की जा रही है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं मजबूर हूं उक्त रस्म को अदा करने के लिये और इस समय मैं माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं।

आज विकास के लिये सरकार ने जो कुछ किया है और जो कुछ भी करने जा रही है, उसे राज्यपाल ने पूरे तौर से अपने अभिभाषण द्वारा बतलाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूर्वी जिलों की खाद्य-समस्या है, उसी प्रकार से हमारे राज्य में बुन्देलखंड के अन्दर भी एक समस्या है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि बुन्देलखंड की समस्या जो इतनी महत्वपूर्ण है, उससे कोई वाकिफ न हो। आज से कुछ दिन पहले प्रायः सभी को बुन्देलखंड के मौदहा क्षेत्र में जाने का मौका मिला होगा और उन्होंने देखा होगा कि जिस वक्त जीप गाड़ियों में बैठ कर लोग निकलते थे तो किस तरह से धूल से भर जाते थे, किस तरह से लू लपट में पड़ते थे और उस समय वह महसूस करते थे कि सड़कों की यहां पर कैसी बुरी हालत है और यह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन के अन्दर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका कोई भी जिक्र नहीं आया।

श्रीमन्, मैं यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे बुन्देलखंड के जिले से अंग्रेजी राज्य की भी बड़ी दुश्मनी रही है। हमारे यहां महारानी लक्ष्मी बाई के नेतृत्व में वहां के लोगों ने अंग्रेजों का किस तरह से मुकाबला किया, इसके कहने की जरूरत नहीं है। यह तो संभव है कि अंग्रेजी राज्य में कोई रचनात्मक कार्य वहां पर न हुआ हो लेकिन यह दुख की बात है और खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम स्वतंत्र हो गये, फिर भी आज जालौन जिले को देखा जाय तो बरसात के दिनों में कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता है। चारों तरफ से वह नदियों से घिरा हुआ है और वहां एक भी पुल नहीं है। जालौन ऐसा जिला है जिसके एक तरफ तो जमुना है, दूसरी तरफ बेतवा है और तीसरी तरफ पहुज है, इस तरह से वह चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। बाहर जाने के लिये एक भी रास्ता नहीं है। मैंने भी एक प्रश्न के जरिये जानने की कोशिश की कि इस पंचवर्षीय योजना में वहां पुल के लिये कोई इन्तजाम किया गया है या नहीं, तो मालूम हुआ कि इस पंचवर्षीय योजना में एक भी पुल की व्यवस्था नहीं की गयी है। आज हमारे जिले में जहां कि गल्ले की पैदावार बहुत अधिक है और जो सरप्लस एरिया कहा जाता है वहां का गल्ला हम आसानी से बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि उसके लिये कोई रास्ता ही नहीं है। वहां के लोगों के लिये गल्ले के सिवा जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है लेकिन फिर भी सड़कें या आवागमन के और कोई साधन न होने से हम गल्ले को कहीं बाहर नहीं भेज सकते हैं। न तो वहां मोटर ही जा सकती है, न ट्रक ही जा सकती है। अगर वहां कोई पुल वाली सड़क होती तो हम बैलगाड़ियों

[श्री गरीबदास]

के जरिये या ऊंटों के जरिये किसी दूसरे नजदीक के जिले में अपने गल्ले को भेज सकते थे। हमारे यहां लोगों को आठ-आठ दिनों तक घाट पर उतरने के लिये रुकना पड़ता है क्योंकि जब नदियां चढ़ जाती हैं तो जल्दी उतरती ही नहीं और जब उनका उतार होता भी है तो वह बहुत खतरनाक होता है। बरसात के दिनों में जब कि नावों में गल्ला भर कर बाहर ले जाया जाता है तो वे नावें नदियों में अक्सर डूब जाती हैं जिससे बड़ा नुक़सान होता है। वहां पर आवागमन के कोई साधन नहीं हैं। तो मैं कहता हूं कि बुन्देलखंड के साथ सरकार का व्यवहार सौतेली मां की तरह है। न तो वहां एक भी पुल है, न कोई सड़क ही है। सड़कों की यह हालत है कि कालपी ऐसा क्षेत्र है जो ४० मील के करीब पड़ता है और उसके अन्दर तीन नदियां पड़ती हैं। वहां के लोग गर्मी के दिनों में बाजार से अपना सौदा खरीद कर लाते हैं, नहीं तो बरसात के दिनों में उनको हल्दी और नमक मिलना भी मुश्किल हो जाय—क्योंकि वहां नाला पड़ता है, जिसको देखना हो तो वह देख सकता है। वहां तो नाव भी नहीं चल सकती है। ऊबड़-खाबड़ जमीन है, पानी की तेज धारा बहती है जिसमें नाव भी नहीं जा सकती है और पैदल भी नहीं चल सकते। ८-८ दिन बाजार नहीं हो पाता है। किसानों की अदालतों की तारीखें पड़ती हैं लेकिन तारीखें चूक जाती हैं और बाद में दरख्वास्तें दी जाती हैं कि नदी बढ़ जाने से मैं नहीं आ सका। आज भी रोडवेज वहां नहीं है और सड़कों की दशा वर्णनातीत है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत वहां सड़कें हैं। अब वह जिला परिषद् बन गई है और अब देखना है क्या होता है लेकिन जो कच्ची सड़कें हैं उन पर प्राइवेट लारियां भी नहीं चलती हैं, न बैलगाड़ियां उन पर चल पाती हैं। किसानों को इस प्रकार आवागमन की कोई सुविधा नहीं है।

बुन्देलखंड इलाके में बांदा, हमीरपुर, जालौन जिलों में एक भी ट्यूबवेल नहीं है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वर्ष बाहर से पानी का ट्रक भर कर बांदा जिले में लाया गया और १ रुपये की एक बाल्टी वहां बिकी, यह बात मेरी खुद की देखी हुई है। जो नहरें वहां बनाई भी गई हैं, गर्मियों में वह बन्द हो जाती हैं, पानी नहीं देती हैं। अगर पानी दिया जाता है तो पहले से नहर वाले इश्तहार निकाल देते हैं और नतीजा यह होता है कि वक्त से पानी न मिलने से गन्ने की फसल सूख जाती है। उसका हर्जाना भी नहीं दिया जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में भी इस इलाके में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये आबपाशी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों की जो खाद्य समस्या है उसको हल करने के लिये हम गल्ला दे सकते हैं, अगर वहां पानी और बिजली की व्यवस्था हो जाय और हमारे पास अन्न भेजने के लिये समुचित आवागमन के साधन हो जायें। लेकिन हमारे पास पानी नहीं है, खेती भी ऊबड़-खाबड़ है। नहर निकलती है तो मैदानी इलाके में निकल जाती है। लेकिन महसूल जो है उसका ढंग यह है कि एक बार पानी लगा लिया तो वह उतना ही लगेगा जितना कि कई बार पानी लेने में लगता है। नतीजा यह होता है कि जो जबरदस्त होता है वह आबपाशी कर लेता है और निर्बल आदमी पानी एक बार ही लगा पाता है और उसकी फसल सूख जाती है। तो इस अभिभाषण में हमारे बुन्देलखंड के जिले को बिलकुल ही नजरन्दाज कर दिया गया है। मुझे इस सम्बन्ध में बड़ा खेद है।

मेरे जिले में आज भी बिजली नहीं है। राज्य के सभी जिलों के हेड क्वार्टर्स पर बिजली पहुंच गई है सिवा हमारे जिले के। जालौन के लिये कहा गया कि बिजली अब लगती है, तब लगती है, खम्भे भी धोखा देने के लिये लगा दिये गये हैं लेकिन बिजली न तब लगी और न अब

लगी । श्रीमन्, बुन्देलखंड की ओर कोई दृष्टिपात करने का प्रयत्न नहीं किया गया और जो वहां की दशा है वह पूर्वी जिलों से कम बदतर नहीं है ।

सदर अस्पताल को छोड़कर जिले के अन्दर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है । जहां-जहां ऊबड़-खाबड़ इलाका है और नदियां हैं वहां १०, १० मील तक छोटा अस्पताल भी नहीं है । आदमी बीमार होता है तो उसके इलाज के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं होते ।

इसी प्रकार जब से जमींदारी उन्मूलन हुआ है उसके पश्चात जितने भी गांव में जंगल थे वह सरकार ने अपने कब्जे में ले लिये और नतीजा यह हुआ कि गायों का चरना बन्द हो गया, मवेशी नहीं जा सकते । इस १०, ११ साल के अन्दर हमारी दशा यह है कि हमारे यहां बछड़ों की पैदावार कम हो गई, बैल नहीं मिलते हैं और पश्चिमी जिलों से मेलों से बैल आते हैं । एक एक बछड़ा ५००, ५०० रुपये का पड़ता है । चूंकि हमारा जिला कृषि प्रधान है इसलिये वहां जानवरों की आवश्यकता रहती ही है, लेकिन मिलते नहीं । यह बहुत बड़ी कमी है । इन जंगलों में जहां लकड़ी मिलती थी, घास मिलती थी वह सब प्रायः बुन्देलखंड के लिये बन्द हो चुकी है । ज्यादा न कह कर मैं यह बताऊंगा कि सरकार वस्तुस्थिति को छुपाने का पूरा प्रयास करती है ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की दशा नहीं सम्हली । बच्चे कहीं पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, कहीं किसी ग्रामीण भद्र पुरुष की इमारत में शिक्षा पाते हैं । यह दशा बुन्देलखंड में है । जिला परिषद् बनी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ओवरहालिंग हुआ । मुझे तो विश्वास नहीं है ।

अलावा इसके प्राइमरी शिक्षा में बड़े खेद की बात है लड़कों को पढ़ाया जाता है, चित्र बनाये जाते हैं किताबों में गणेश जी के, हनुमान जी के, गणेश जी के सूंड लगा दी और हनुमान जी के पूंछ । अगर इस प्रकार की पुस्तकें विदेशों में जायें तो कोई क्या समझेगा, क्या है हमारी संस्कृति ? यह पढ़ाया जाता है---प्रार्थनायें होती हैं रघुपति राघव राजाराम । ईसाई, मुसलमान लड़कों के गले के नीचे हिन्दू धर्म उतारा जाता है । शिक्षा के अन्दर ऐसा करना जिससे किसी विशेष सम्प्रदाय व वर्ग को बढ़ावा मिलता हो यह उचित बात नहीं है ।

अब मैं थोड़ा चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । यह योजना हमारे सूबे में चल रही है । ठीक है इसमें बहुत से लाभ हो सकते हैं, लाभ हों । लेकिन आम जनता को जिसके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है उनकी कौन सी व्यवस्था इस चकबन्दी में की गई है ? जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । जिस प्रकार पूंजीपति सरकार पैसे वालों के लिये मदद करती है उसी प्रकार यह सरकार आज जिनके पास खेती है, बड़े-बड़े रकबे हैं, उनकी जमीनें इकट्ठा कराती है लेकिन भूमिहीन के लिये इस योजना में कोई व्यवस्था नहीं ।

सरकार ने बड़ी बहादुरी का काम किया जमींदारी खत्म की । लेकिन किसान के लगान में क्या कमी आई ? कुछ कमी नहीं आई । बल्कि एक और टैक्स लग गया जिसको लगान कर कहते हैं । लगान के ऊपर इकन्नी रुपया ग्राम पंचायत और लेती है । तो इस तरह से उस पर और टैक्स बंध गया । गवर्नमेंट ने जमींदारी खत्म की अपने फायदे के लिये, नहरें बनायी, आबपाशी भी बढ़ायी अपने फायदे के लिये । लेकिन समय पर पानी नहीं मिलता ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण काफी संख्या में सुने । उनकी ओर से सिवा इसके कि सरकार की बुराइयां करें और कोई ऐसे सुझाव नहीं आये हैं कि जिन से कोई दोष दूर हो सकें या जो जनता के हित में हों, आम पब्लिक के हित में हों । हमारी सरकार तो हर प्रकार का सुधार करने के लिये हमेशा तैयार है । जैसे कि अभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने हरिजनों के बारे में दो तीन बातें कही हैं लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस १० वर्ष के काल में जो हमारी सरकार ने इस पिछड़े वर्ग के लिये जिसे हरिजन कहते हैं जो काम किये हैं वह इससे पूर्व कभी किसी सरकार ने नहीं किये थे । मैं उन भिन्न-भिन्न कामों को गिना सकता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीसिंह]

हूं जो इस सरकार ने हरिजनों के लिये किये हैं और हम को यह आशा नहीं है कि आने वाली किसी भी पार्टी की सरकार उतना कार्य हरिजनों के हित में कर सकेगी । आप देखें कि सबसे पहला कष्ट हरिजनों को जल का था और पीने के पानी की एक बड़ी भारी समस्या थी लेकिन इस ५ वर्ष के काल में ही न मालूम कितने पानी पीने के कुएं बने हैं और आज कोई भी यह नहीं कह सकता कि आज कुएं के बिना हम प्यासे हैं । हर जिले की अलग-अलग फिगर हैं, वह हर जगह बनाये गये हैं ।

आप जितनी बात हरिजनों के लिये उधर से कहते हैं वह केवल हरिजनों के वोटों के लिये कहते हैं लेकिन आप ने अभी तक उनकी भलाई के लिये कुछ भी काम नहीं किया है और आप केवल प्रोपेगेन्डे की बात करते हैं । हमने इस के हमेशा उदाहरण दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष--आप जरा शान्ति के साथ बोलें ।

श्री हरीसिंह--आप ने हमेशा हरिजनों को दबाया है, आप की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वालों ने हरिजनों को हमेशा दबाया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--आप शान्ति से जवाब देंगे तो वह चुप हो जायेंगे ।

श्री हरीसिंह--जो अत्याचार मौदहा में आप की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हुये हैं वह हम जानते हैं और उसके लिये हमें बड़ा दुख है । हम ने कितना ही कहा कि मानवता के नाते इतना न सताओ, लेकिन वहां आपकी पार्टी वालों ने कुछ नहीं सुना । आप हमारी सरकार को कहते हैं जो सरकार उनके लिये करोड़ों रुपया व्यय कर रही है और व्यक्तिगत तरीके से और मानवता के नाते उन की हर तरह से मदद कर रही है । आप की पार्टी ने कितने कुएं किस जगह बनवाये हैं, जरा बतावें । हमारी सरकार के कुएं हर जगह उन के लिये बने हैं····

श्री शिवप्रसाद नागर--मौदहा वाला मामला तो बद्रीनारायण में साफ हो गया ।

श्री हरीसिंह--जहां तक सरकार का सवाल है आज भी वहां का हरिजन वर्ग तारीफ करता है । जहां तक सरकार का सवाल है····

श्री अध्यक्ष--सावधान-सावधान । माननीय सदस्यगण जरा खामोश रहें ।

श्री त्रिलोकीसिंह--श्रीमन्, उन्होंने लांछन लगाया है कि मौदहा में हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया ।

श्री अध्यक्ष--लेकिन इस तरह से बीच में बोलने का किसी को कोई हक नहीं है । आप को पहले जो शोर पीछे से हो रहा है उसे रोकना चाहिये । मौदहा का जिक्र मैंने सुना, पहले वह उसी तरफ से हुआ, जब वह उनके कान में पहुंचा तो उन्होंने जवाब दिया ····

श्री त्रिलोकीसिंह--श्रीमन्, उन्होंने कहा था कि मौदहा में हरिजनों के प्रति दुर्व्यवहार किया गया ।

श्री अध्यक्ष--वह तो अपनी सरकार की तारीफ करते हैं लेकिन आप जब उन्हें छेड़ते हैं तो वह आपकी निन्दा करते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२३ जुलाई, १९५८ ।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

### तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में चकबन्दी विभाग के कतिपय वर्गों के हरिजन तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या:

| क्रम-संख्या | वर्ग | हरिजन कर्मचारियों की संख्या | अन्य कर्मचारियों की संख्या | योग |
|---|---|---|---|---|
| १ | चकबन्दीकर्ता (consolidator) | — | ३८ | ३८ |
| २ | अमीन (लेखपाल) .. .. | २ | २२८ | २३० |
| ३ | पेशकार तथा क्लर्क .. .. | १ | ४६ | ४७ |
| ४ | चपरासी (class IV servants) .. | १७ | ७४ | ९१ |

संसद पुस्तकालय

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर)

| मंडल | नाम जिला | फसलों को क्षति खरीफ १३६५ फसली (आना प्रति रुपया) |
|---|---|---|
| गोरखपुर .. | १—गोरखपुर | ३ |
| | २—बस्ती | १० |
| | ३—आजमगढ़ | ८ |
| | ४—देवरिया | ४ से ८ |
| वाराणसी .. | १—वाराणसी | ७ |
| | २—मिर्जापुर | १० |
| | ३—जौनपुर | ८ से १४ |
| | ४—गाजीपुर | १० |
| | ५—बलिया | ८ |
| फैजाबाद .. | १—फैजाबाद | १० |
| | २—गोंडा | २ से १२ |
| | ३—बहराइच | ११ |
| | ४—सुल्तानपुर | २ से १६ |
| | ५—प्रतापगढ़ | ८ |
| | ६—बाराबंकी | २ |

विधान सभा सचिवालय

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर)

## ग्राम सभाओं के नाम जिनको १३६० फसली में वसूली का कार्य सौंपा गया

### तहसील बलिया

१—कोटवां
२—छाता
३—मूरली छपरा
४—दिउली
५—नूरपुर
६—परीखरा
७—तीखा
८—सोहाव
९—खरहा ठार
१०—जगदीशपुर

### तहसील बांसडीह

११—राजपुर
१२—बड़सरी
१३—सेरीया
१४—शाहपुर
१५—लिलकर

### तहसील रसड़ा

१६—राजपुर
१७—सराय भारथी
१८—संवरा
१९—बेलौंझा
२०—गहनी

संसद पुस्तकालय

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

### सूची जिला बदायूं के उन ग्रामों की जिनमें खरीफ १३६५ फसली बाढ़ के कारण एक रुपये में १२ आने से अधिक क्षति पहुंची तथा उन ग्रामों में मालगुजारी और तकावी जो स्थगित की गई

| क्रम-सं० | ग्राम का नाम | | स्थगित मालगुजारी की धनराशि | | | स्थगित तकावी की धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | आ० | पा० | रु० | आ० | पा० |
| | **तहसील बदायूं** | | | | | | | |
| १ | चन्दनपुर .. | .. | ७० | ११ | ० | १,१०० | ० | ० |
| २ | पिप्रौल पुख्ता .. | .. | ३६७ | ५ | ९ | २,९३५ | ० | ० |
| ३ | अल्लीपुर मधैया | .. | १५ | १५ | ९ | ८०० | ० | ० |
| ४ | हुसैनपुर पुख्ता.. | .. | ३७५ | १२ | ७ | ८९५ | ० | ० |
| ५ | हरपालपुर .. | .. | १३१ | १ | ३ | ७९५ | ० | ० |
| ६ | नूरगंज .. | .. | ४ | ६ | ९ | १९० | ० | ० |
| ७ | धौरेरा .. | .. | ८१४ | ६ | ० | १,२०० | ० | ० |
| ८ | गंगपुर खाम .. | .. | ६१ | १२ | ३ | .. | | |
| ९ | सिकन्दराबाद .. | .. | १४३ | ७ | ० | १,२७५ | ० | ० |
| १० | बिटरोई .. | .. | १०७ | १२ | ० | १,५५० | ० | ० |
| | **तहसील सहसवां** | | | | | | | |
| ११ | मालपुर टिटैरा खाम | .. | १२९ | ४ | ० | .. | | |
| १२ | सिरोसौल .. | .. | १,०८५ | ० | ० | .. | | |
| १३ | बोहिस .. | .. | २,२०३ | ११ | ० | .. | | |
| १४ | सलाबतपुर पुरवा बाहिस | .. | १,१८२ | ७ | ० | .. | | |
| १५ | निगावली सकूरगंज | .. | ५६ | ० | ० | .. | | |
| १६ | नैनौल कबाला | .. | १,१६९ | ० | ० | .. | | |
| १७ | दादरा .. | .. | १,४९६ | ० | ० | .. | | |
| १८ | जटकी .. | .. | १,४९१ | ० | ० | .. | | |
| १९ | फरीदनगर .. | .. | ५४३ | ० | ० | .. | | |
| २० | नगारिया मुतालिका फाटनपुर .. | | ६१५ | ० | ० | .. | | |
| २१ | बीबीपुर .. | .. | १७२ | ० | ० | .. | | |
| २२ | मनहेरा .. | .. | ३०० | १० | ० | .. | | |
| २३ | रसूलपुर कलन | .. | १,२४० | ० | ० | .. | | |
| २४ | बधता नागला | .. | ३,०४७ | ० | ० | .. | | |
| २५ | आदमपुर .. | .. | ३८८ | ३ | ० | .. | | |
| २६ | हसन नागला | .. | ५६१ | ७ | ० | .. | | |
| २७ | पाटनपुर .. | .. | ५१८ | ९ | ० | .. | | |
| २८ | कन्ना नगला .. | .. | ३९३ | ३ | ० | .. | | |

| क्रम-सं० | ग्राम का नाम | | स्थगित मालगुजारी की धनराशि | | | स्थगित तकावी की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | आ० | पा० | |
| २९ | भोगजीत नगरिया | .. | ७२१ | ० | ० | .. |
| ३० | आनन्दपुर .. | .. | ५०० | ८ | ० | .. |
| ३१ | मदरपुर .. | .. | ५१२ | १२ | ० | .. |
| ३२ | जरेठा .. | .. | ४९८ | ४ | ० | .. |
| ३३ | धोबरखेड़ा .. | .. | ७१८ | १३ | ० | .. |
| ३४ | बस्तुया .. | .. | ५३६ | ८ | ० | .. |
| ३५ | करिया माई .. | .. | ६८६ | ० | ० | .. |
| ३६ | चमारपुरा .. | .. | १,२६९ | ५ | ० | .. |
| ३७ | खैरपुर बल्ली | .. | २५८ | १० | ० | .. |
| ३८ | जमालपुर पिपरी | .. | ६७१ | १ | ० | .. |
| ३९ | नागला चोई | .. | १,०१५ | ५ | ० | .. |
| ४० | रसूलपुर टप्पा मलस ई | .. | ६३२ | १३ | ० | .. |
| ४१ | शम्शपुर मलक फलेह | .. | २८३ | ० | ० | .. |
| ४२ | सुकती .. | .. | ५९ | २ | ० | .. |
| ४३ | बकोलिया .. | .. | ७ | ७ | ० | .. |
| ४४ | कानगढ़ .. | .. | ४० | ४ | ० | .. |
| ४५ | खरची सखा .. | .. | ४६८ | ३ | ० | .. |
| ४६ | अटकोना .. | .. | ६५८ | १५ | ० | .. |
| ४७ | दर्बापुर .. | .. | ६४७ | ६ | ० | .. |
| ४८ | हस्सोया नागला | .. | ३२२ | १० | ० | .. |
| ४९ | मुंडिया नदां .. | .. | ३६८ | ४ | ० | .. |
| ५० | बक्सर खालसा | .. | ६९१ | १४ | ० | .. |
| ५१ | बक्सर मुन्सजाग्ता | .. | ७४५ | ९ | ० | .. |
| ५२ | नसीरपुर गौस | .. | ३९७ | ४ | ० | .. |
| ५३ | भीकमपुर दयाजमनी | .. | १,५०८ | ५ | ० | .. |
| ५४ | सुजयाजगंज जबेला | .. | २९३ | ० | ० | .. |
| ५५ | बरसुइया .. | .. | ७७५ | १३ | ० | .. |
| ५६ | नागला कटार | .. | ९५० | १२ | ० | .. |
| ५७ | जमनी .. | .. | ६१७ | १० | ० | .. |
| ५८ | घूरनपुर .. | .. | ८०९ | १ | ० | .. |
| ५९ | हरदत्तपुर .. | .. | १,४८७ | ८ | ० | .. |
| ६० | स्माइलपुर अल्लीपुर | .. | ५२२ | ० | ० | .. |
| ६१ | जौनेरा .. | .. | ६७५ | ११ | ० | .. |
| ६२ | नरौटा टप्पा हवेली | .. | २३० | १३ | ० | .. |
| ६३ | लहेड़ा असुकुल्लाहपुर | .. | ३४१ | ७ | ० | .. |
| ६४ | समशपुर गंग | .. | ५४७ | १२ | ० | .. |
| ६५ | नहरपुर .. | .. | ३५२ | १३ | ० | .. |
| ६६ | खजूरी .. | .. | ४०७ | ११ | ० | .. |
| ६७ | माई हुसैनपुर खाम | .. | ७४१ | १३ | ० | .. |
| ६८ | रामपुर पुख्ता | .. | १६४ | ५ | ० | .. |
| ६९ | मुडेना .. | .. | ७०५ | १२ | ० | .. |

उत्तर प्रदेश सरकार

| क्रम-संख्या | ग्राम का नाम | | स्थगित मालगुजारी की धन राशि | | | स्थगित तकावी की धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | आ० | पा० | रु० | आ० | पा० |
| ७० | जमालपुर .. | .. | २५६ | ७ | ० | .. | | |
| ७१ | सिघोला चैतसिंह | .. | १,३७९ | ५ | ० | .. | | |
| ७२ | मुबारकपुर .. | .. | ५०४ | ८ | ० | .. | | |
| ७३ | भावला .. | .. | ७२४ | ५ | ० | .. | | |
| ७४ | मैनपुर सैलाव | .. | ११ | १४ | ० | .. | | |
| ७५ | खागी शफीउद्दीन | .. | ३०८ | १० | ० | .. | | |
| ७६ | मनिहार नागला उर्फ भगनागड़ | | ३८५ | ८ | ० | .. | | |
| ७७ | शाहपुर .. | .. | ३६३ | ९ | ० | .. | | |
| ७८ | धनारी बालू शंकर | .. | १,५६४ | ० | ० | .. | | |
| | **तहसील दातागंज** | | | | | | | |
| ७९ | हिरदयपुर .. | .. | १७ | ० | ० | .. | | |
| ८० | विसौरिया .. | .. | ४०७ | ० | ० | ८८५ | ० | ० |
| ८१ | डबरा .. | .. | ३५८ | ० | ० | ५१० | ० | ० |
| ८२ | गढ़िया पगम ारपुर | .. | ३५८ | ० | ० | ५७० | ० | ० |
| ८३ | सूरजपुर खाका खाम | .. | ३७ | ० | ० | .. | | |
| ८४ | खानपुर .. | .. | ५१८ | ० | ० | .. | | |
| ८५ | कटकौरा .. | .. | १६९ | ० | ० | ४४५ | ० | ० |
| ८६ | रामपुर खुर्द | .. | ४३० | ० | ० | ९७५ | ० | ० |
| ८७ | नगैरा खन्नू .. | .. | ८०४ | ० | ० | २,२९० | ० | ० |
| ८८ | मोजमपुर .. | .. | ८२८ | ० | ० | ७५० | ० | ० |
| ८९ | पट्टी बिजै खाम | .. | ६३ | ० | ० | ५४५ | ० | ० |
| ९० | शेरपुर .. | .. | ५०२ | ० | ० | ९७० | ० | ० |
| ९१ | सकटपुर .. | .. | १०४ | ० | ० | ७५ | ० | ० |
| ९२ | पूरनमेधा .. | .. | १३४ | ० | ० | .. | | |
| ९३ | सूरजपुर ढाका पुख्ता | .. | ११८ | ० | ० | .. | | |
| ९४ | पट्टी बिजै पुख्ता | .. | नं० ८३ वाले ग्राम में शामिल है। | | | | | |
| ९५ | लालपुर खादर | .. | २९२ | ० | ० | ६३५ | ० | ० |
| ९६ | कूडरा .. | .. | ५६८ | ० | ० | १,३४० | ० | ० |
| ९७ | मौनी तिकन्ना पुख्ता | .. | १,७९१ | ० | ० | २,५०५ | ० | ० |
| ९८ | सहराहा खाम | .. | ३७९ | ० | ० | २,०७० | ० | ० |
| ९९ | विचिलया पुख्ता | .. | २८३ | ० | ० | ९०० | ० | ० |
| १०० | विचिलिया खाम | .. | २८ | ० | ० | .. | | |
| १०१ | जिरौना कुलहा | .. | ७३ | ० | ० | .. | | |
| १०२ | ककरौआ .. | .. | ३६५ | ० | ० | .. | | |
| १०३ | करीमगंज .. | .. | २८५ | ० | ० | .. | | |
| १०४ | रूकुमपुर खाम | .. | ३७९ | ० | ० | .. | | |
| १०५ | गलौठी .. | .. | ७७२ | ० | ० | .. | | |
| १०६ | अटसेना .. | .. | ७८५ | ० | ० | .. | | |
| १०७ | चनाखेड़ा .. | .. | ७२६ | ० | ० | .. | | |

| क्रम-सं० | ग्राम का नाम | स्थगित मालगुजारी की धनराशि | | | स्थगित तकावी की धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रु० | आ० | पा० | रु० | आ० | पा० |
| १०८ | आनन्दपुर .. .. | ४५२ | ० | ० | .. | | |
| १०९ | रोहड़ी .. .. | १,३७३ | ० | ० | २०८ | ० | ० |
| ११० | राजपुर पुख्ता .. | ४ | ० | ० | .. | | |
| १११ | राजपुर खाम .. | ९१ | ० | ० | .. | | |
| ११२ | पौरा .. .. | ८७ | ० | ० | .. | | |
| ११३ | करेहका .. .. | ४५५ | ० | ० | .. | | |
| ११४ | करखेड़ा .. .. | ५६५ | ० | ० | .. | | |
| ११५ | बसेला .. .. | १,४०७ | ० | ० | ८० | ० | ० |
| ११६ | गडरौली .. .. | ९०७ | ० | ० | .. | | |
| ११७ | कमन .. .. | ३,१८१ | ० | ० | .. | | |
| ११८ | नाथपुर अंगद राइ .. | ५१८ | ० | ० | .. | | |
| ११९ | देवकली मसमुल आबादी .. | १३ | ० | ० | .. | | |
| १२० | टापू लावारिस .. | १६ | ० | ० | .. | | |
| १२१ | खरेली पुख्ता .. .. | १३७ | ० | ० | ४०५ | ० | ० |
| १२२ | लल्लू भाई .. .. | १,५९७ | ० | ० | ४९३ | ० | ० |
| १२३ | बिचौरा खुर्द खाम .. | ३ | ० | ० | .. | | |
| १२४ | मुगर्रा .. .. | ३२७ | ० | ० | २२८ | ० | ० |
| १२५ | बिचौरा खुर्द पुख्ता .. | ३७ | ० | ० | .. | | |
| १२६ | सरेली खाम .. .. | १३७ | ० | ० | .. | | |
| १२७ | अहमदनगर बिचौरा .. | ४० | ० | ० | .. | | |
| १२८ | मुबारकपुर .. .. | १९८ | ० | ० | .. | | |
| १२९ | बाकरपुर .. .. | १५१ | ० | ० | ८६९ | ० | ० |
| १३० | अ समिया रफतपुर पुख्ता .. | ८११ | ० | ० | .. | | |
| १३१ | सकटपुर खाम जडोड .. | ४ | ० | ० | .. | | |
| १३२ | आसनिया रफतपुर खाम .. | ५ | ० | ० | .. | | |
| १३३ | सितौली खाम .. | २८ | ० | ० | .. | | |
| १३४ | कमलू नागला .. | १९८ | ० | ० | .. | | |
| १३५ | तिलोकपुर .. .. | ६५० | ० | ० | .. | | |
| १३६ | बिला माई .. .. | १,७४५ | ० | ० | १,०१३ | ० | ० |
| १३७ | सहहापुर .. .. | ६७८ | ० | ० | १,०६२ | ० | ० |
| १३८ | खिरया मधुकर खाम .. | ४७ | ० | ० | .. | | |
| १३९ | अक्तूइनियन कलां .. | ३६६ | ० | ० | .. | | |
| १४० | टिकई खाम | १२० | ० | ० | | | |
| | योग .. | ७६,०६४ | १४ | ० | ३०,६६३ | ० | ० |

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७८ एल० ए०—१९५८—८३७।